राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्ठम विधान सभा के द्वितीय सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या 19

शुक्रवार,

दिनांक 30 सितम्बर, 1977.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री भंवरलाल शर्मा ।

मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध ज्ञापन

522. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा-महल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जल प्रदाय विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री पी. एस. राजवंशी के द्वारा विभाग में किये गये गलत कार्यों एवं घोटालों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मुख्य मंत्रीजी को उनके पद सम्भालने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उस ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या मुख्य मंत्रीजी ने पद भार सम्भालते ही भ्रष्टाचार समाप्त करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो श्री राजवंशी के प्रति प्राप्त इस ज्ञापन में वर्णित तथ्यों की जांच के कोई आदेश दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब इस ज्ञापन के आधार पर जांच करवा कर कब तक प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जायेगा ?

(3) इस ज्ञापन में कितने रुपयों के गबन के चार्जेज व पद के दुरुपयोग के क्या-क्या चार्जेज लगाये गये हैं ?

(4) ज्ञापन में वर्णित तथ्यों व ज्ञापन के आधार पर जनता के कठिन कमाई के पैसे के दुरुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए क्या राज्य सरकार श्री राजवंशी को अविलम्ब निलम्बित करके जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, नियुक्ति (श्री महबूब अली): (1) यह सही है कि जल प्रदाय विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री पी. एस. राजवंशी के विरुद्ध एक ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ, राजस्थान प्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा मुख्य मंत्री राजस्थान को प्रस्तुत किया गया था । ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । मुख्य मंत्रीजी ने पद भार संभालने के पश्चात् भ्रष्टाचार समाप्त करने की घोषणा की थी । श्री राजवंशी के विरुद्ध प्राप्त ज्ञापन में वर्णित आरोपों के बारे में जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं। आशा

Page No.2

(श्री महबूब अली)
है जल्दी से जल्दी इन आरोपों के बारे में जांच सम्पन्न होकर तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा।

(3) ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जब तक जांच प्रतिवेदन प्राप्त न हो जावे तब तक किसी प्रकार की कार्यवाही के बारे में विचार बनाना अपरिपक्व होगा।

(ज्ञापन की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जांच कौन कर रहा है?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह जांच के आदेश कब दिए और किस अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है?

श्री महबूब अली : 3-9-77 को जांच के आदेश कर दिए गए हैं।

श्री शंकरलाल : कौन अधिकारी जांच कर रहा है? यह बतायें।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : जिन आरोपों की जांच की जा रही है वे आरोप क्या क्या हैं? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे?

श्री महबूब अली : ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। उसमें देखा जा सकता है कि क्या-क्या आरोप हैं। वैसे कुल 14 आरोप हैं।

श्री शिवचरण सिंह : जिन आरोपों की आप जांच करवा रहे हैं उनमें स्पेसिफिक आरोप कौन-कौन से हैं, यह बतावें ताकि मालूम हो सके कि किन आरोपों की जांच करवा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय कह चुके हैं कि ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री महबूब अली : मैंने निवेदन किया कि ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच के आदेश दिनांक 3-9-77 को दे दिए गए हैं।

श्री शिवचरण सिंह : कौन अधिकारी जांच कर रहा है?

श्री महबूब अली : वी. आई. राजगोपाल जांच कर रहे हैं।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय मंत्री इस बात को · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें खण्ड (3) का उत्तर आपने नहीं दिया। इसमें कितना पब्लिक धन इन्वाल्व्ड है जो चार्ज लगाये गये हैं उसके आधार पर? दूसरा मेरा निवेदन है, आप यह बतायें कि जांच के लिए आपने किस अधिकारी को नियुक्त किया है?

श्री महबूब अली : अभी मैंने निवेदन किया था कि वी. आई. राजगोपाल, जो कि मेडिकल कमिश्नर हैं, को जांच अधिकारी

Page No.3

(श्री महबूब अली)

नियुक्त किया गया है। जहां तक आरोपों का प्रश्न है, ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। कितने आरोप हैं और उनमें कितना कितना धन इन्वाल्व्ड है, यह सब इसके अन्दर लिखा हुआ है। इसका अलग से टोटल लगा कर मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता।

श्री शंकरलाल : ज्ञापन में लिखा हुआ है वह तो अलग बात है लेकिन प्रश्न में स्पेसिफिकली पूछा गया है कि कितने रुपयों के गबन के चार्जेज व पद के दुरुपयोग के क्या क्या चार्जेज लगाये गये हैं ? जब स्पेसिफिक प्रश्न है, तो स्पेसिफिक उत्तर आना चाहिए। ज्ञापन की प्रतिलिपि तो सदन की मेज पर रख दी है, लेकिन जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तो दें।

श्री महबूब अली : प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है और वह हाउस की प्रोपर्टी बन चुकी है। इस ज्ञापन को देखने से आपको मालूम हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरोपों को पढ़ सकते हैं····

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सप्लीमेण्ट्री है।

मुख्य अभियन्ता कार्यालय पर उस विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। वहां पर भागीरथसिंह शेखावत, माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव और डाक्टर उजला अरोड़ा भी मौजूद थे और आपसी वार्तालाप कर रहे थे, उस समय राजवंशी ने यह कहा था कि ये भाड़े के टट्टू साथ में ले आये हैं। क्या मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे कि इस प्रकार की वार्ता हुई थी ?

श्री महबूब अली : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई बात कही है और आप मुझे लिखित में देंगे तो उसकी जांच कराई जा सकती है।

श्री शिवचरण सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्पेसिफिक चार्जेज मेमोरेंडम में क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जो चार्जेज हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है, आप उसमें देख लें।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं बता देता हूं।

भारतीय मजदूर संघ ने जो चार मुख्य आरोप लगाये हैं, स्पेसिफिक करप्शन के क्या वे इसमें सम्मिलित हैं, यह देख कर बता दें। एक है ··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रतिलिपि में देख लें कि हैं या नहीं।

श्री शिवचरणसिंह : मैं अभी एक मिनट में बता देता हूं। चार स्पेसिफिक आरोप हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, मैंने आपको कह दिया है।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है कि जो ज्ञापन दिया गया था उसके साथ एक सूची भी दी हुई थी। लास्ट में एक 12 फाइलों

(श्री एच. एन. शर्मा)
की सूची थी, वह उसमें से गायब है। जिस ज्ञापन की प्रतिलिपि का आप उल्लेख कर रहे हैं उसके साथ में एक सूची थी, 12 फाइलों का उसमें हवाला दिया गया था। वह सूची फाड़ ली गई है ताकि उन फाइलों का पता नहीं लग सके। मंत्री महोदय बतायें कि यह सूची कैसे फाड़ ली गई?

मुख्य मंत्री (श्री भैंरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री एच. एन. शर्मा : जो आपके पास प्रतिलिपि है उसके साथ एक सूची बारह फाइलों की थी जिसमें करप्शन से सम्बन्धित 12 फाइलों का हवाला दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कह चुके हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है उसका मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

क्या यह सही है कि श्री राजवंशी ने छः करोड़ का लोहा अलग अलग कारखानों से खरीद कर इस विभाग में इकट्ठा किया है और वह लोहा किसी काम का नहीं है? आज भी वह लोहा इस विभाग के अलग अलग हैड क्वार्टर्स पर पड़ा हुआ है क्या यह बात सही है? अगर यह बात सही है, तो यह भी बतायें कि छः करोड़ रुपया इस लोहे को खरीदने में किस लिए लगाया गया?

श्री भैंरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महो- मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे मामले की जांच हो रही है। जांच किस प्रकार से हो रही है, कौन सी फाइलें देखी जा रही हैं, कौन सी नहीं देखी जा रही हैं, यदि इसके विस्तार में नहीं जायं तो जांच सही होने में बड़ी सहायता मिलेगी। इस सम्बंध में अभी मैं इतना निवेदन करता हूं।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आपने जांच कमीशन बनाया है और जांच मेडिकल कमिश्नर से करवा रहे हैं, तो यह कोई चीर-फाड़ का मामला तो है नहीं, यह आंकड़ों की जांच करने का मामला है।

श्री पुरुषोतम मंत्री : वे भी आई. ए. एस. आफिसर हैं।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : आई. ए. एस. होने से क्या होता है? यह मेडिकल के आदमी का काम नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि कोई भी हाई कोर्ट का जज हो और उनके साथ में इस सदन के मेम्बर हों, उनकी कमेटी बना कर इसकी जांच करायें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इस विभाग का इंजीनियर है इसने 18 करोड़ रुपयों का गबन किया है, साले ने, कुल 18 करोड़ का गबन करके इस स्टेट के पैसे को खा कर बैठा है। मैं कहता हूं कि छोटे मोटे आदमी की इन्क्वायरी से काम नहीं चलेगा। सदन के दो माननीय सदस्य और एक्स-हाई कोर्ट जज की सम्मिलित कमेटी बनायें जांच करने के लिए।

श्री शंकरलाल : जब 18 करोड़ के गबन का मामला है और उसकी इंक्वायरी हो रही है तो जैसा कि जनता पार्टी के वरिष्ठ

Page No.5

(श्री शंकर लाल)
माननीय विधायक आरोप लगा रहे हैं उसकी मेडिकल सेक्रेटरी से तो जांच नहीं होगी...

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह मेरे पास पूरा रिकार्ड है इनका।

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि आप इन्क्वायरी तो करवायेंगे लेकिन यह बड़ा टेक्निकल मामला है। जब तक कोई इसको समझने वाला आदमी, टेक्निकल अधिकारी साथ में नहीं होगा तब तक इस टेक्निकल मामले की जांच ठीक तरह से नहीं हो सकेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी हो रही है। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी से जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उसके बाद इन्क्वायरी में पर्सनल कौन हों और किस प्रकार से इंक्वायरी हो–इसके बारे में विचार करेंगे। अभी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी प्रकार के घोटाले, गबन, पक्षपात, जो कुछ भी होंगे, सारे के सारे खुल कर सामने आयेंगे और सामने आने पर जो दोषी होंगे उनको निश्चित तौर पर दण्ड मिलेगा।

श्री शिवचरण सिंह : मैं स्पेसिफिक चार मामलों की बात बता रहा हूँ। क्या आप उनकी रिपोर्ट मंगा कर देखेंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर वे शामिल नहीं हों तो भी आप लिख कर दे दें।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : यह जो सारी गड़बड़ है। इसकी जांच होने तक यह अधिकारी पद पर नहीं रहना चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा (मिनाय) : जब तक यह जांच हो सम्बन्धित अधिकारी उस पोस्ट पर नहीं रहना चाहिये, यह हमारी मांग है।

श्री उगमराज मेहता : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रतनलाल वर्मा : इन्क्वायरी होने तक वह अधिकारी पद पर नहीं रहना चाहिए वरना फिर वही लीपापोती होकर मामला खतम हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री एच.एन. शर्मा : चीफ इंजीनियर को इसमें इन्क्लूड करेंगे ?

श्री शिवचरण सिंह : राजवन्शी के खिलाफ जो आरोप हैं...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : जब तक प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कह सकता।

श्री शिवचरण सिंह : आपके चेम्बर में मैं आपको सब बता दूंगा तब तो आपको संतोष हो जायेगा।

श्री एच.एन. शर्मा : मैंने एक बात कही थी कि ज्ञापन के साथ में एक लिस्ट थी...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कैसे-कैसे गबन व घोटाले हैं! मैं उनकी सूची माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं। इसके आधार पर देख लें कि किस तरह से

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

18 करोड़ का घोटाला है। आप इसकी जांच करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय कह चुके हैं।

श्री एच.एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो ज्ञापन की प्रतिलिपि पेश की गई है उसके साथ में बारह फाइलों के नाम लिख कर लास्ट में संलग्न किये थे। वह माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने राजवंशी को दे दी, उन्होंने ज्ञापन के अन्तिम पेज को फाड़ लिया, जो बारह फाइलों की लिस्ट थी उसको, ताकि उनका पर्दाफाश नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई भी सूची देना चाहें तो अब भी दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है कि वह लिस्ट मेरे पास है। मैंने उस लिस्ट को इंटेन्शनली इन्क्वायरी के इन्ट्रेस्ट में हाउस में प्रस्तुत नहीं किया है। वह लिस्ट मेरे पास है। रिकार्ड से गायब नहीं है, आप निश्चित रहें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरजीराम बुरडक : इसकी जांच के बाद क्या परिणाम होगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जांच के बाद जो परिणाम निकलते हैं, वह सभी होंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

प्रश्न संख्या 523

नेक्स्ट। श्री गोपालसिंह।

अनुपस्थित : (कृपया आगे देखें)

श्री सुभाष चन्द्र व श्री नवरंगसिंह।

ग्राम कुहाड़वास तहसील खेतड़ी में जमीन का आवण्टन

524. **श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़), श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कुहाड़वास तहसील खेतड़ी में दिनांक 15–8–63 को कुछ व्यक्तियों को जमीन का आवण्टन हुआ? यदि हां, तो किन किन को कौन कौन सी जमीन का आवण्टन हुआ? सूची मय नाम, पते, खसरा नम्बर, पट्टा नम्बर आदि के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अलाटमेण्ट में पक्षपात बरता गया है? और हरिजन एवं गरीब किसानों को इसमें कोई महत्व न देकर सबल, सवर्ण लोगों को, जिनके पास पहले से ही काफी जमीन है या जो अच्छी नौकरियों में है, आवण्टन किया गया है? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया और क्यों?

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्वेश्चन का उत्तर मिला नहीं अभी तक।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) यह सही नहीं है कि ग्राम

Page No.7

(श्री कैलाश मेघवाल)
कुहाड़वास तहसील खेतड़ी में दिनांक 15-8-63 को कुछ व्यक्तियों को भूमि का आवण्टन किया गया बल्कि दिनांक 15-4-63 को 9 व्यक्तियों को भूमि का आवण्टन किया गया था जिनकी सूची नाम व्यक्ति, खसरा नम्बर व पट्टा नम्बर आदि सहित संलग्न है।

(2) आवण्टियों में से 5 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं तथा चार अन्य जातियों के हैं।

अन्य जातियों के जिन चार व्यक्तियों को आवण्टन हुआ उनमें श्री जुगलाल सिंह व श्री भोलाराम दोनों सगे भाई हैं। इनकी संयुक्त खातेदारी में जमाबन्दी संवत् 2023 के अनुसार 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि थी। श्री जेठाराम की संयुक्त खातेदारी में उनके हिस्से की 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि पूर्व से है तथा श्री धर्नसिंह के खाते में भूमि नहीं थी बल्कि उसके पिता के नाम से 14 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी।

इन चारों में से श्री जुगलाल सिंह एवं श्री धर्नसिंह सरकारी थे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह जुगलाल व भोलाराम की जमीन थी? वह सरकारी कर्मचारी थे, उनके खिलाफ राज्य सरकार को शिकायत भी हुई थी और राज्य सरकार ने कार्यवाही की थी। राज्य सरकार द्वारा जो अनुसूचित जाति के लोगों को अलाटमेण्ट होने वाले थे वह कांग्रेस के प्रभावशाली लोगों को किये गये।

श्री मूलचन्द डागा : यह कांग्रेस का नाम लेना कब छोड़ोगे? कांग्रेस क्या चीज है?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है, उसमें यह सही है कि अनियमितता बरती गई है। पहले 17-17 बीघा अलाट की गई थी। कलेक्टर के सामने मसला पहुंचा तो 15-15 बीघा अलाट कर दी। आगे सरकार के सम्मुख मसला आया तो तत्कालीन आफिसर ने इसको सही माना। कलेक्टर ने इस बारे में एक लाइन लिखी है "I don't deem any reason to interfere in the order."
यह सच है, वह कुछ भी फैसला दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह बोलेंगे?

श्री सुभाषचन्द्र आर्य : जुगलाल को 10 हजार की आमदनी थी लेकिन उसको जमीन अलाट कर दी गई।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकारी आदमियों को जमीन का आवंटन किया गया?

श्री रतन लाल वर्मा : उसका नोटिस कौन सी तारीख को निकाला गया?

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकारी आदमियों को जमीन अलाट की गई? कलेक्टर ने लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत इजाजत दे दी तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या राज्य सरकार इस आवंटन को निरस्त करने का आदेश देगी?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय मंत्री महोदय, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या राज्य सरकार कनसर्निंग विभाग की गलती मानती है ? अगर गलती मानती है, तो जिन अधिकारियों ने गलत काम किया है, सरकार उनके खिलाफ क्या करने जा रही है ? जिनको अलाटमेंट किये गये हैं क्या सरकार उनको कैंसिल करेगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारी की एक की स्वीकृति ली गई। दूसरे आवण्टन के बाद में जुगलाल है। क्या कार्यवाही की जा सकती है, यह विचार कर लिया जायेगा। कानूनी दृष्टि से अनियमितता हुई है। नियम के विरुद्ध अलाटमेंट किया गया है। इसके बारे में जो भी कार्यवाही होगी, वह की जाएगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 'जो भी' क्या होता है ? आप कार्यवाही करें। गलत काम किया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अनुसूचित जाति को गांवों में जमीन मिलती नहीं है। कलेक्टर और अधिकारी दूसरे लोगों को दिलाते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : इसका 1963 में अलाटमेंट हुआ है। जनता पार्टी की सरकार थोड़े ही थी उस वक्त...

श्री मूल चन्द डागा : यह न्याय का सवाल है। जनता पार्टी का इसमें क्या है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जायें।

श्री रतनलाल वर्मा : उनको आवंटन करने के लिए नोटिस कब निकाला गया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जायें।

श्री मूलचन्द डागा : भिनाय के सरपंच सब जानते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिसने अनियमितता की है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अनियमितता को सुधारा जाएगा। नियमों के अन्तर्गत कदम उठाया जाएगा।

श्री वंशीलाल सारस्वत : यह अलट्रा-वायर्स है। यह अलाटमेंट नहीं किया जा सकता है। नियम 14 (4) के अन्तर्गत अवैध है। इसको अवैध घोषित किया जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ झण्डा उठाया है। वह गलत आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें सस्पेन्ड करें।

श्री सुभाषचन्द्र आर्य : जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनको एलाट नहीं करना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : सरकारी कर्मचारियों को जमीन अलाट की गई है। क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : नेकस्ट । श्री अब्दुल अजीज ।

मकराना की संगमरमर की खानों में बाढ का पानी

525. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना की संगमरमर की खानों में बाढ़ का पानी घुस गया और 3000 मजदूर बेकार हैं ?

(2) राज्य सरकार पानी निकाल कर कितने समय में खनन का कार्य शुरू करवा देगी ?

(3) खनिज मालिकों को इमदाद के तौर पर तकावी देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

(4) क्या कुदरती वर्षा के पानी को निकालने के लिए खानों के क्षेत्र में खनिज विभाग ने कोई जगह नहीं छोड़ी ? यदि हां, तो इसके लिए अब राज्य सरकार के पास क्या उपाय है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां, कुछ खानों में पानी भर गया है । केवल 500 मजदूर बेकार हुये हैं ।

(2) खानों का पानी निकालने का कार्य स्वयं खान वालों का है । राज्य सरकार खान सुधार योजना के तहत पानी निकालने हेतु पम्प उपलब्ध करा रही है । खानों से जब भी पानी निकाला जाएगा, उन खानों में खनन कार्य प्रारम्भ हो जाएगा ।

(3) खान मालिकों को खान विभाग में तकावी देने का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी विभाग उपकरण आदि के लिए ऋण अवश्य उपलब्ध कराता है । खान मालिक अगर चाहे तो विभाग से ऋण ले सकता है ।

(4) मकराना में सदियों से चल रहा खनन कार्य योजनाबद्ध तरीके से विकसित नहीं हुआ है । अतः सम्भव है कि कुछ स्थानों पर पानी इकट्ठा हो जाता हो । राज्य सरकार सर्वेक्षण करा रही है ।

श्री एच. एन. शर्मा : 'केवल' शब्द हटा दो ।

श्री अब्दुल अजीज : कुछ पम्प वहां पर पानी निकालने के लिए भेजे हैं, इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है· · · ·

श्री अब्दुल अजीज : लेकिन इसमें जो तादाद बताई गई है उससे मैं सहमत नहीं हूं । मजदूरों की संख्या तीन हजार ही है, 'पांच सौ' पता नहीं, यह फिगर आप कहां से लाये हैं । इसके अलावा मैं प्रश्न के खण्ड (4) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है, पांच किलोमीटर में कोई भी पैसेज पानी के फ्लो के लिए नहीं छोड़ा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? पास ही में आपने रहीमबख्श और मिश्राजी को खानें दे दी हैं । इसके स्थायी हल के लिए मैं अनुरोध करता हूं ।

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है,

(श्री एच. एन. शर्मा)
उसमें 'केवल' शब्द हटाने के लिए मैंने निवेदन किया था। यह मजदूरों की हीनता दर्शाने के लिए प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि पांच सौ नहीं होकर पांच हजार होते तो तसल्ली होती। इस 'केवल' शब्द को हटा दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : यह पक्की बात है।

श्री अब्दुल अजीज : इन खानों में पानी न घुमे, इसके लिए सरकार क्या प्रबन्ध करेगी ?

एक माननीय सदस्य : इन खानों में पानी भरने से क्या राज्य सरकार को रेवेन्यू का लोस नहीं हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इन सब बातों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद देखा जायगा कि पानी को निकालने की क्या व्यवस्था की जा सकती है।

श्री अब्दुल अजीज : पानी निकालने के लिये मशीनें तो भेजी जा चुकी हैं, उसके लिये तो मैं धन्यवाद दे चुका हूं। आगे उसमें पानी नहीं आवे इसका क्या उपाय आप करने जा रहे हैं ? यह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। 'केवल' शब्द मजदूरों में हीनता पैदा करता है, इसलिए यह आदेश दिया जाय कि 'केवल' शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इससे यह जाहिर होता है कि पांच सौ नहीं पांच हजार मजदूर बेकार होते तो तसल्ली होती।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं और मंत्री महोदय भी। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, वह भी इस भावना से सहमत होंगे।

नेक्स्ट। श्री शंकर लाल।

राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में सुपरवाइजरों की नियुक्ति

526. **श्री शंकर लाल (जैतारण)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सुपरवाइजरों की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस तारीख तक और कितने आवेदन-पत्र कितने स्थानों के लिये निश्चित अवधि में प्राप्त हुए ?

(2) आवेदकों की परीक्षा कब ली गई और उसमें कितने प्रार्थी सफल रहे ?

(3) सफल आवेदकों को साक्षात्कार के लिये कब बुलाया गया और साक्षात्कार कितने आवेदकों का कब कब लिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि अभी तक ऐसे आवेदकों का चयन घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कितने पदों के लिये चयन किये गये व्यक्तियों के नाम कब तक प्रकाशित कर दिये जावेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां, यह सही है।

(श्री सम्पत राम)

आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15-8-76 थी। इस तिथि तक 2,907 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। कुल रिक्त स्थान 177 थे। इनमें से 49 पद सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष मण्डी समिति कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे।

(2) आवेदकों की लिखित परीक्षा माह नवम्बर, 1976 में ली गई थी और उसमें 804 आशार्थी सफल रहे।

(3) सफल आवेदकों को साक्षात्कार के लिये माह अप्रेल व मई, 1977 में बुलाया गया। इन 804 सफल आवेदकों में से 722 आवेदक साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए। साक्षात्कार का क्रम 18-4-77 से 3-5-77 तक चलता रहा।

(4) जी हां। आवेदकों का चयन परिणाम इसलिये घोषित नहीं किया गया क्योंकि मण्डियों में नियुक्त किये जाने वाले इन सुपरवाइजरों के पदों की संख्या के बारे में पुनर्विचार की आवश्यकता हो गई थी। प्रथमतः कृषि जिन्सों की संख्या में कमी किये जाने से मन्डी समितियों की आय काफी कम होना सम्भावित हो गया था एवं इससे पदों के सृजन करने में कठिनाई आ गई। द्वितीय मण्डी समिति कर्मचारियों के सेवा नियमों के आधार पर सीधी भर्ती 33% तक ही हो सकती है परन्तु पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले शेष पदों की पूर्ति के लिए उपयुक्त संख्या में योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। अतः यह विचारणीय था कि नियमों में संशोधन कर सीधी भर्ती से अधिक नियुक्तियां की जायं।

श्री शंकरलाल : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में अन्तिम निर्णय कब लेंगे ? 15-8-76 से आशार्थी आशा लगाये बैठे हैं, उनको अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उनको सूचना भेज देनी चाहिये कि आपको आशा करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी क्या नीति है कि इम्तिहान हो गया, इन्टरव्यू हो गया और अभी तक कोई चयन सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की गई। यह बता दीजिये कि कब तक आप अन्तिम निर्णय ले लेंगे ?

श्री उगमराज मेहता : क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के रिश्तेदारों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त होने के तुरन्त बाद उप मंडी निरीक्षक के लिये ट्रेनिंग में भेजा गया जब कि उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं भेजा गया ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह सम्बन्धित है इससे ? अरे भाई, सुबह सुबह कांग्रेस का नाम लो। कल्याण होगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह परम्परा गलत है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको डाइरेक्शन दीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : 'अरे' शब्द असंसदीय है, इस शब्द का प्रयोग बन्द किया जाय। माननीय सदस्य बहुत प्रयोग करते हैं।

Page No.12

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, उससे मैं सहमत हूं । जो परीक्षा हुई उसका नतीजा घोषित किया जाना चाहिये था और उसमें देर नहीं की जानी चाहिये थी, क्योंकि कई तरह की बातें होने की संभावना रहती है । लेकिन इसमें यह बात नहीं है, कुछ दिक्कतें आ गई थीं । अब एक महीने में इसका फैसला कर दिया जायगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें कई लड़के ओवर एज हो गये जो एग्जामिनेशन में पास हो गये थे और जिनका साक्षात्कार भी हो गया, उनका क्या होगा ?

श्री सम्पतराम : मुझे पता नहीं, यदि माननीय सदस्य का कोई इन्ट्रेस्ट है, तो उसका नाम मुझे बतायें ।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : इन्ट्रेस्ट का क्या सवाल है, यह नीति का प्रश्न है । मेरा प्रश्न यह है कि चयन का अन्तिम निर्णय लेने में देरी हुई और इसी दौरान कोई ओवर-एज हो गया, तो यह देरी सरकार की वजह से हुई है । अगर वह सफल हो जाता है, तो क्या सरकार उसको लेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपका प्रश्न बहुत विस्तृत है । यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है ।

श्री शंकर लाल : सरकार की क्या नीति है इस सम्बन्ध में ? यह ब्राड क्वेश्चन है ?

मुख्य मंत्री : (श्री भैरोंसिंह शेखावत) नियमों के आधार पर किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री शिवचरण माथुर का भतीजा माथुर है, उसको कैसे पहले ले लिया गया ? उससे पहले कई बैठे थे, उनको पहले नियुक्ति की जानी चाहिए थी । उसको पहले ही बोर्ड ने कैसे नियुक्त कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : जिन व्यक्तियों के एग्जामिनेशन लिए गए हैं उनके बारे में यह प्रश्न है ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ कहा है, वह हमने सुना नहीं है ।

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़) : यह कहा है you cannot force the Minister for reply.

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सरकार को स्पष्ट रूप से कोई नीति बतानी चाहिये ।

श्री नवरंग सिंह : इसके बारे में सरकार की क्या नीति है, वह स्पष्ट रूप से यहां पर बतानी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उज्जला अरोड़ा।

श्री खेतसिंह राठोड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी यही कहा है कि सरकार की नीति तय होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सामान्यत: एक प्रश्न पर पांच सप्लीमेंट्री क्वेश्चन

(श्री उपाध्यक्ष)
किये जा सकते हैं। इस पर काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा।
प्रश्न संख्या 527।

जयपुर नगर के दर्शनीय स्थानों का विकास

527. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जयपुर स्थित दर्शनीय स्थानों के विकास और उनको आकर्षित करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कौन कौन से स्थानों पर कब कब क्या कार्य किया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि नाहरगढ़ और गलता पर जाने वालों के लिए 'रोप वे' लगाये जाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि जन्तर-मन्तर मार्ग में स्थित प्रमुख जलेब चौक को भी आकर्षक बनाये जाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जयपुर नगर में निम्न दर्शनीय स्थान हैं :—हवामहल, चन्द्र महल, वेध शाला, गैटोर, सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर का बाग, गलता, रामनिवास बाग, राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय, नाहरगढ़, गोविन्द देवजी का मन्दिर आदि।

जयपुर नगर के आस पास निम्न दर्शनीय स्थल हैं :—आमेर के महल, जगत शिरोमणी का मन्दिर, आमेर के रास्ते में रानियों की छतरियां, सांगानेर के जैन मन्दिर।

(2) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची निम्न प्रकार है:—

1. जयपुर में कैम्पिंग साइट का निर्माण। यूथ होस्टल के पास।
2. सस्ते भोजन के लिए अल्पाहार गृह का निर्माण।
3. जयपुर से दिल्ली एवं जयपुर से आगरा पैकेज टूअर्स चलाने के लिए दो डीलक्स बसों को क्रय करने की योजना।
4. नाहरगढ़ पर "रोप वे" निर्माण।
5. आमेर में एक मोटल का निर्माण।
6. आमेर का क्षेत्रीय विकास।
7. नाहरगढ़ पर अल्पाहार गृह, प्रसाधन गृह एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण।
8. प्रमुख इमारतों को रोशन करने का कार्य।
9. जल महल क्षेत्र का विकास।
10. रामनिवास बाग में बिजली के तार भूमिगत बिछाने का कार्य।
11. जयपुर के बाग बगीचों का विकास।

Page No.14

(श्रीमती विद्यापाठक)

12. तीज टूरिस्ट बंगले में परिवर्तन एवं परिवर्धन ।

13. रामगढ़ बांध पर पर्यटक काटेजों एवं स्वल्पाहार गृह का निर्माण ।

14. जनता होटल का निर्माण ।

(3) सिर्फ नाहरगढ़ पर बादल महल से एक 'रोप वे' की योजना विचाराधीन है जिस पर राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम विचार कर रहा है ।

(4) जी नहीं ।

इस स्थान का स्वामित्व विभाग के पास नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : जो दर्शनीय स्थान जयपुर में हैं, उनके विकास के लिए कितनी धनराशि लगेगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : कुछ विकास कार्य योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं । बाकी छठी पंचवर्षीय योजना में लिये जायेंगे ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : हलो, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया यह ध्यान रखें कि यह टेलीफोन बूथ नहीं है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या नशाबन्दी टूरिस्टों के लिए भी लागू है ? यदि नहीं, तो क्या यहां पर बार लगाये जायेंगे ?

श्रीमती विद्या पाठक : इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो जल महल की योजना है उसके बारे में बतावें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इतना लम्बा प्रश्न पूछ लिया है । इस पर सप्लीमेण्ट्री नहीं पूछतीं तो अच्छा होता । वैसे आपका अधिकार जरूर है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदया ने पहले यहां पर कहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट की योजना थी, वह बन्द कर दी गई है । तो वहां पर जो गन्दा पानी बहता है, उसके विकास की कोई योजना है क्या ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : पहले यही पूछ लेते तो इतना लम्बा प्रश्न नहीं करना पड़ता ।

श्रीमती विद्या पाठक : ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पहले पी. डब्ल्यू. डी. सड़क बनवा देगा, उसके बाद पर्यटन विभाग सोचेगा और विचार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगित प्रश्नों की सूची लम्बी है । प्रश्नों के बाद उनको लिया जाना है ।

(व्यवधान)

ऐसा है, मैं यह चाहूंगा कि जो स्थगित प्रश्न हैं, उनको पहले ले लिया जाये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जल्दी, जल्दी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पर निर्भर है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि स्थगित प्रश्न काफी हैं।

श्री अब्दुल हादी : मेरा यह पहला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। इसको पहले ले लेंगे तो मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह छोटा सा प्रश्न है। माननीय सदस्य आग्रह कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या 528।

तहसील चौहटन के ग्रामों में पेयजल की समस्या

528. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की तहसील चौहटन के ग्राम पडरिया, खारिया, धारासर, रतासर, जेसार, रमजान की गफन, बारबी की गफन आदि निकट के 15–20 गांवों में पीने का पानी अत्यन्त खारा है और इन ग्रामों के निवासियों के लिये पीने के पानी की समस्या भयंकर है? यदि हां, तो इन ग्रामों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है और उसकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी?

राज्य मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (**श्री महबूब अली**) : जी हां। इन ग्रामों में व आसपास के गांवों में उपलब्ध जल खारा है। इन ग्रामों के लिए विस्तृत जल प्रदाय योजना नहीं बनाई गई है। नई योजना जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार एवं धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जा सकेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी सरकार ने प्राथमिकता यह तय की है कि जिन गांवों में पानी खारा है, उनको प्रायोरिटी दी जायेगी। स्वयं मुख्य मन्त्री ने यह ऐलान किया है। आप स्वयं यह मानते हैं कि इन गांवों का पानी खारा है। तो क्या इस साल इन गांवों की योजना बना दी जायेगी?

श्री महबूब अली : जिला आयोजना समिति का प्रस्ताव आने पर और धन की उपलब्धि पर इन गांवों की योजना बनाई जावेगी। यह बात सही है कि इन गांवों का पानी खारा है और इन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या प्राथमिकता के आधार पर इन गांवों को लिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : नीति निर्धारित हो चुकी है। उसके अनुसार लिया जाएगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : जिला आयोजना समिति ने इसको रिकमण्ड कर दिया है?

श्री महबूब अली : जिला आयोजना समिति का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भेजा हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन यह है कि जिला आयोजना समिति के बारे में जिलों को गवर्नमेंट की ओर से कोई इन्स्ट्र-

(श्री खेतसिंह राठौड़)

वशन नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार की जितनी समितियां थीं, वे समाप्त कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी, मिनिमम नीड प्रोग्राम कमेटी, डी.पी.ए.पी. कमेटी, ये सब कमेटियां काम नहीं कर रही हैं। आप यहां पर यह कहते हैं कि समिति का प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा, योजना ली जाएगी जब कि आपने समितियां भंग कर दी हैं और जिलों को कोई हिदायत नहीं दी है।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : मैं यह जानना चाहूंगी कि समस्त प्रदेश के लिए एक मास्टर प्लान बना हुआ है उसके आधार पर इन गांवों को पानी कहां कहां से देना प्रस्तावित है ? कृपया इसकी जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष : नेंकस्ट। जानकारी करा ली जाएगी।

श्रीमती नारंगी देवी : जहां पर पानी खारा है, वहां पर पीने का पानी देने का प्रश्न चल रहा है। मेरा यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पचास ऐसे गांव हैं जहां पर पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः वहां के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? वह आदिवासी क्षेत्र है और पेय जल नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह चौहटन का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्रीमती मदन कौर : राज्य सरकार का बार बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि मास्टर प्लान बना हुआ है, उसके आधार पर कहां कहां उपलब्ध करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : पानी कहां से लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस समय मास्टर प्लान हमारे सामने नहीं है, मास्टर प्लान देखकर बताया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किस स्टेज पर है ?

श्रीमती मदन कौर : गांवों के नाम भी होंगे। सोर्स क्या है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जिला आयोजना समिति का गठन ही नहीं किया गया है तो कैसे मीटिंग बुलायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

स्थगित प्रश्न। श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

बनेड़ा तहसील के किसानों से पिलाई की वसूली

*134. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1963–64 में दी गई एक दरख्वास्त पर 1966 में राज्य में जिस जगह लगान व पिलाई शामिल होकर लगान वसूल किया जा रहा था उस जगह पिलाई अलग से न ली जाये संबंधी आज्ञा में तर पिलाई भी माफ की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1966 की इस आज्ञा के पहले बनेड़ा तहसील में पिलाई न वसूल की जाये, यह आज्ञा दी गई

Page No.17

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

थी ? तथा बकाया पिलाई की वसूली को भी स्थगित कर दिया गया ?

(3) उक्त दोनों आज्ञाओं के विरुद्ध बनेड़ा तहसील में किसानों से कुल कितनी पिलाई वसूल की गई ? पटवार क्षेत्र के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त नाजायज वसूली को राज्य सरकार कब तक किसानों को वापस देने का प्रबंध कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री सम्पत राम) : (1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29-7-66 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों, जहां लगान व पिलाई सम्मिलित वसूल की जाती थी, पर निम्नलिखित व्यवस्था आदेशित हुई थी :-

(क) भविष्य में जल शुल्क निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए तथा समस्त बकाया राशि अपलेखित कर दी जानी चाहिये।

(ख) तरी पिलाई वसूल नहीं की जानी चाहिए व तरी पिलाई के संबंध में बकाया रकम भी अपलेखित की जानी चाहिए।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22-1-1963 द्वारा बनेड़ा तहसील क्षेत्र में जल शुल्क की वसूली एक माह के लिए स्थगित की गई थी व आदेश दिनांक 27-7-1963 द्वारा यह वसूली अंतिम निर्णय होने तक रोक दी गई थी।

(3) ग्रामवार, पटवार व मंडलवार विवरण संलग्न है।

(4) राज्य सरकार के दि. 29-7-1966 के आदेश मे जल शुल्क (ऐसे क्षेत्रों पर जहां लगान और पिलाई सम्मिलित वसूल की जाती थी) व तरी पिलाई वसूल न किए जाने व बकाया राशि को अपलेखित करना भी उल्लेखित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मुझे जो सूची दी गई है उसमें बहुत कम पटवारी क्षेत्र हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज स्थगित प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं फिर कहता हूं कि कोई जानकारी अभी तक विभाग ने नहीं दी है। जिस आज्ञा का उल्लेख मंत्री महोदय ने किया है कि 1965 में सारी पिलाई माफ कर दी गई थी उसके बाद भी वहां के किसानों से साठ हजार रुपए सरकार ने वसूल कर लिए है और आज बता रहे हैं कि 19 हजार रुपए कुछ तहसीलों में वसूल किए गए हैं। आप फर्मा रहे हैं कि नहीं वसूल की जानी चाहिए। फिर भी 7 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। तो क्या मंत्री महोदय इस बात की आज्ञा सारी तहसीलों और पटवार सर्किल्स को देंगे कि पैसा वसूल किया गया है, वह काश्तकार को वापस लौटा दें ? अगर हां, तो कितने दिनों में ?

श्री सम्पतराम : वस्तु स्थिति यह है कि उस समय जो राज्य सरकार ने आज्ञा निकाली उसमें थोड़ा सा नुक्स रह गया था। वह यह था कि जिनसे लगान लिया जाता था और जिसमें पानी भी शामिल था उनसे पिलाई नहीं लेनी चाहिए थी। अन्त में आदेश निकाला कि यह माफ किया जाता है

(श्री सम्पतराम)
और वसूली न की जाए। लेकिन यह आदेश नहीं निकला कि जो वसूली की गई हो वह वापस की जाए····

श्री मूलचन्द डागा : वह तो आटोमैटिकली होगा।

श्री सम्पत राम : दूसरी बात माननीय सदस्य ने फर्मायी है कि 19 हजार रुपए बाकी हैं जो वापस नहीं हुए। वसूली की रकम 48 हजार है, फिर भी माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तो मैं दुबारा जांच कराऊंगा कि वास्तव में किसानों से कितना रुपया उस आदेश की मन्शा के विपरीत वसूल किया गया है। इस मामले में मैं सहानुभूति रखता हूं। यह रुपया आज्ञा जारी होने के बाद क्यों वसूल हुआ ? यह विभाग को वापस देना चाहिए क्योंकि जिसने नहीं जमा कराया उसको तो फायदा हुआ और जिसने जमा कराया उसको नुकसान हुआ, तो सारे मामले की जांच कराऊंगा।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मंत्री महोदय ने फर्माया, जो आज्ञा है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो रुपया वसूल कर लिया गया है वह वापस किया जाए। आर्डर में है कि वसूली बिल्कुल माफ कर दी गई है। देनी ही नहीं चाहिए थी पिलाई। तो फिर सवाल कैसे आता है, विभाग से पैसा लोटाया नहीं जाएगा ? इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं, आप इस बात के आदेश करें। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों ने जो 60 हजार रुपये जमा करायें हैं वे वापस लोटाने का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करें। आपका रुपया जब किसान में बाकी रह जाता है तो ब्याज सहित किसान से वसूल करते हैं। किसान का रुपया इतने साल से लेकर बैठे हैं, उसे आप वापस नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आप बतायें किस तारीख तक वापस देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : ब्याज सहित ?

श्री सम्पत राम : यह इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। उस समय सरकार ने यही इन्टरप्रिटेशन लगाया। हमारा इन्टरप्रिटेशन अब आया है। मैं समझता हूं उस समय इन्टरप्रिटेशन सही लगाना चाहिए था। अब सरकार विचार करेगी।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य, काफी समय से खड़े क्यों हैं ?

श्री सम्पत राम : आप मुझे निश्चित तारीख के लिये मजबूर न करें। जितना जल्दी हो सकेगा इस पर निर्णय लेकर जरूर कुछ करेंगे।

श्री रतन लाल वर्मा : यह पिलाई का प्रश्न एक बनेड़ा का ही नहीं है। अजमेर जिले में भी दोहरी पिलाई वसूल की जा रही है, दो साल से बराबर वसूली की जा रही है, वह गैर कानूनी है। क्या सिंचाई मंत्री यह जो गैर कानूनी तरीके से वसूली की जा रही है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर सभी क्षेत्रों के लिए है।

प्रश्न संख्या 220

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

Page No.19

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 232

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं प्रेस नहीं करना चाहता ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने नाम पुकारा फिर तो उनको प्रश्न पूछना ही चाहिये ।

(स्थगित प्रश्न संख्या 232 पूछा नहीं गया)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया नियम बताइए ।

प्रश्न संख्या 330

श्री भैरवलाल कालाबादल ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-9-1977)

वक्फ एवं देवस्थान की सम्पत्ति

50. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में वक्फ और देवस्थान के तहत कितनी राशि के मकान, जेवरात व अन्य चीजें पंजीकृत हैं और यह सम्पत्ति कहां है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस प्रकार की सम्पत्ति का अभी क्या उपयोग हो रहा है ?

क्या राज्य सरकार चाहती है कि इन सब का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की योजना बनाई जाय ?

देवस्थान मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) देवस्थान विभाग, राजस्थान के तहत पांच करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की अचल सम्पत्ति है । मंदिरों की चल सम्पति, जैसे जेवरात व अन्य चीजें जो इन्वेन्ट्री रजिस्टर में दर्ज हैं, उसके अनुसार मूल्य 29,57,100.00 रुपये की हैं । यह चल-अचल सम्पत्ति राजस्थान में तथा राजस्थान के बाहर उत्तरकाशी, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, वाराणसी आदि स्थानों पर है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

वक्फ विभाग के सम्बन्ध में राजस्थान में वक्फ के मकान आदि की सूची मय उनकी कीमत के इसके साथ संलग्न है । यह सूची वक्फ कमिश्नर के सर्वे के आधार पर तैयार की गई है । जहां तक जेवरात आदि का सवाल है, तो इस सर्वे में ऐसी जेवरात आदि चीजों का पंजीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि औकाफ में जेवरात आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

(2) देवस्थान विभाग के तहत इस प्रकार की सम्पत्ति का उपयोग विभिन्न मंदिरों में किया जा रहा है । अचल सम्पत्ति में मकान, दुकान आदि किराये पर दिये हुए हैं ।

आभूषण जेवरात का उपयोग भगवान् के धारण, सेवा पूजा में किया जाता है । वक्फ के मकानात आदि में बहुत से तो मस्जिद और दरगाहों से संबंधित कार्यों की जरूरत के लिये हैं, जिनमें मस्जिद के पेश

(श्री आदित्येन्द्र)
इमाम व दरगाहों के खादिम आदि रहते हैं या दरगाह और मस्जिदों का सामान उसमें रखा जाता है, या यात्रियों के ठहरने के लिये होते हैं। मगर बहुत से मकानात आदि किराये पर मुतअल्लिकान ने दे रखे हैं, जिनके किराये से इन जायदादों का खर्चा चलता है।

जहां तक राज्य सरकार के इन सब के व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की योजना बनाने का प्रश्न है, राज्य सरकार चाहती है कि इन सबका व्यवस्थित ढंग से उपयोग किया जाय। राज्य का देवस्थान विभाग इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या बयाना में खसरा नम्बर 1215 में 45 बीघा 17 बिस्वा जमीन है जो कि वक्फ की है? आपने जो लिस्ट दी है उस सूची में वह नहीं है?

श्री आदित्येन्द्र: यह आप अपनी सूची में देख लीजिये।

श्री शिवचरण सिंह: वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो वक्फ सम्पत्ति की लिस्ट दी है उसमें यह नाम नहीं दिया है मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह प्रोपर्टी दो करोड़ रुपये की है। उस प्रोपर्टी को लीज पर दे रखा है। उसमें आपके रिश्तेदार भी हैं जिन्होंने वह प्रोपर्टी ली है।

श्री आदित्येन्द्र: यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह: यह आपकी जानकारी में है। पिछली सरकार ने दिनांक 25-11-74 को दो करोड़ रुपये की प्रोपर्टी, जो कि वक्फ की सम्पत्ति थी, एक नया पैसा गज के हिसाब से 99 साल के लिये लीज पर दे दी है और आपके रिश्तेदारों ने वह प्रोपर्टी ली है। जो प्रोपर्टी वक्फ की है वह बिना बोर्ड की सम्पत्ति बताये ही दे दी गयी है।

श्री आदित्येन्द्र: यह आरोप मुझ पर बिलकुल गलत लगाये जा रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह: यह आरोप आप पर बिलकुल सही है। आपकी जानकारी में है। यह भी बता दूं कि यह दो करोड़ रुपये की सम्पत्ति जमीन है। भूतपूर्व सरकार ने दिनांक 25-11-74 को वह जमीन एक नया पैसा गज के हिसाब से बयाना में 99 साल के लिये लीज पर दी है। यह 45 बीघा 17 बिस्वा टोटल जमीन है। चूंकि मुसलमानों की कोई आबादी बयाना में नहीं है और यह धार्मिक जमीन है। मैंने इसके लिये सदन में तीन बार स्थगन प्रस्ताव दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप भाषण मत दीजिये। आप बिराजिये।

श्री शिवचरण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह धार्मिक जमीन है। मुख्य मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय और इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जाय।

श्री आदित्येन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में नहीं है। अगर वह जमीन

Page No.21

(श्री आदित्येन्द्र)
किसी को दी गयी है, तो उसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार पर है।

श्री शिवचरण सिंह : वह किसी पर हो, आप उसे ठीक करावें। किसी ने भी गलत काम किया हो, आपका फर्ज है कि उसको आप ठीक करावें। क्या मुख्य मन्त्री जी इसके लिये कोई कार्यवाही करेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरकार ने इस प्रकार के कई काम किये हैं। इस मामले के बारे में मेरे पास सात दिन पहले एक शिकायत आई है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि उस शिकायत पर मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संख्या 232 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा तब आप कैसे प्रश्न उसके बारे में पूछ सकते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : यह बात तो सही है, साहब, आपकी इजाजत के बिना तो हम प्रश्न पूछ ही नहीं सकते हैं। आपकी इजाजत तो बहुत जरूरी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देवस्थान के मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज हमारे राजस्थान में करोड़ों रुपये के भवन देवस्थान विभाग के अधीन हैं। जहां स्कूल के भवन नहीं हैं और औषधालयों के लिए भवन नहीं हैं तो क्या राज्य सरकार उन मकानों को स्कूलों के भवन और औषधालयों के भवन में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? आज कई स्कूल हैं जिनके भवन नहीं हैं और इसी प्रकार औषधालय हैं पर उनके भवन नहीं हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। अगर यह भवन उनको दे दिये जायं तो वह परेशानी नहीं होगी। क्या भविष्य में सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि इन भवनों का उपयोग हो सके ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आज देवस्थान विभाग के मन्दिरों की और इमारतों की हालत बहुत ही खराब है। वह जगह जगह बिना मरम्मत के होने से टूट गये हैं। इसके विपरीत देवस्थान विभाग के लाखों करोड़ों रुपये आपके पास जमा हैं। तो क्या राज्य सरकार उनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह भी बतायेंगे कि जोधपुर में देवस्थान विभाग की सम्पत्ति के अन्तर्गत आने वाले कई भवनों पर बड़े बड़े अधिकारी अधिकार जमाये हुए बैठे हैं उनको राज्य सरकार खाली करा कर अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ?

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि नाथद्वारा के मन्दिर की बहुत भारी सम्पत्ति है और कई जगह वही सम्पत्ति टूट गयी है, क्या राज्य सरकार उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : यह मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा, क्या राजस्थान की भूतपूर्व सरकार ने एक राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बोर्ड का गठन किया था ? क्या वह बोर्ड अभी भी विद्यमान है या वह समाप्त हो गया है ? क्या राज्य सरकार उस बोर्ड से इन सारी गड़बड़ियों की जांच कराने को तैयार है या नहीं ?

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। उसके साथ मैं सूचना भी देना चाहूंगा कि मुझे जो सूची दी है उसमें सवाई माधोपुर जिले में कैला देवी और मदन मोहनजी के दो बड़े मन्दिर हैं। उनकी सम्पत्ति 6 लाख 77 हजार 417 रुपये की बताई है। लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं कि कैला देवी और मदनमोहनजी के मन्दिर की चल व अचल सम्पत्ति चार करोड़ रुपये की है। मुझे सम्पत्ति की कीमत जो बतायी है वह 6 लाख 77 हजार 417 बतायी है, यह गलत सूचना दी गयी है। इसके अलावा मैं यह सूचना देना चाहूंगा कि अकेले कैला देवी और मदनमोहनजी के मन्दिरों की वार्षिक आय 25 लाख रुपये है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप मंत्री महोदय को जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही जानकारी दे दी है।

श्री शिवचरण सिंह : मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है वह गलत है। उन्होंने 6 लाख 77 हजार 417 रुपये की कुल सम्पत्ति बतायी है। कैला देवी और मदनमोहन जी ट्रस्ट की सम्पत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसमें साफ लिखा है कि कैला देवी और मदनमोहन जी के मन्दिर की वार्षिक आय 25 लाख रुपये की है। इसकी चल व अचल सम्पत्ति चार करोड़ रुपये की है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि उसमें सिर्फ 6 लाख 77 हजार रुपये ही बतायी है। क्या इसकी आप जांच करायेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पुरानी कीमत बताई होगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। बिराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 232 बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है और बड़ा ही पब्लिक इम्पोर्टेन्स का प्रश्न है।

श्री गोविन्द सहाय : आप जब डिप्टी मिनिस्टर थे तब आपने जांच करवायी होगी।

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : मेरा उससे कहीं कोई संबंध नहीं था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, देवस्थान और वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के बाहर भी करोड़ों रुपये की है जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये मिलने चाहिये थे। वह प्रोपर्टी पुरानी सरकार ने अपने दोस्तों को हजारों रुपये में ही बेच दी। मैं खुद, उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त एस्टीमेट कमेटी का मेम्बर था तब राजस्थान के बाहर उस कमेटी के साथ गया था। वहां पर तत्स्थानीय अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि उन प्रापर्टीज को कोई देखने वाला नहीं। इसके अलावा मैं एक टॉप सीक्रेट चिट्ठी लेकर भी आया था जिसको मैंने सदन में पेश किया था। इसमें करोड़ों रुपये का घपला हुआ है और जमीन को बेचा गया है। जब विजय लक्ष्मी पण्डित का चुनाव हुआ था यह उस वक्त की बात है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारी सम्पत्ति की वह जांच करायें और इसमें जो दोषी व्यक्ति हों उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाय। इसमें एक प्रोपर्टी ऐसे मन्दिर की थी जिस मन्दिर से 88 किलो सोना मिलना चाहिये था उसके बदले सिर्फ 18 किलो सोना ही मिला। यह राजस्थान के बाहर का मन्दिर था। उपाध्यक्ष महोदय, यह पुरानी कांग्रेस सरकार के लोग हमारे देवस्थान विभाग के जो बाहर मन्दिर थे, उनकी सारी सम्पत्ति को चूंट चूंट कर खा गये। इसकी आप पूरी तरह एक जांच कमीशन बैठाकर इन्क्वायरी कराकर दोषी व्यक्तियों को सजा दिलावें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर ट्रेजरी में देवस्थान के मन्दिरों के करीब नौ करोड़ रुपये का सोना-चांदी और जेवरात पड़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपकी जानकारी मुख्य मंत्रीजी के पास पहुंचा दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर ट्रेजरी में देवस्थान के मन्दिरों का नौ करोड़ रुपये का जेवरात वगैरह पड़ा है। उनका चार्ज एक असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान विभाग के पास है। आइटम वाइज उसके पास लिखा है पर उसको भूतपूर्व सरकार ने कम्पलसरी रिटायर कर दिया था। वह सारी सूचना देना चाहता है, पर कोई कार्यवाही नहीं का जा रही है। वह गरीब अधिकारी आइटम वाइज पूरी सूचना देना चाहता है लेकिन भूतपूर्व सरकार इस मामले को दबाना चाहती थी। आज कई लोगों को नौकरी में ले लिया गया है लेकिन उनकी पुर्नानियुक्ति के वास्ते अर्जी पेन्डिंग पड़ी है। स्पेशल सेक्रेटरी अपोइन्टमेंट उसकी रिपोर्ट को दाबे हुए बैठे हैं। उस धन का सरकारी अधिकारी दुरुपयोग करना चाहते हैं। 9 करोड़ की सम्पत्ति है। इसकी जांच की जानी चाहिए और उस देवस्थान के असिस्टेन्ट कमिश्नर को बहाल किया जाना चाहिए जो कि आइटम वाइज सूचना दे रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य अगर जानकारी देना चाहते हैं तो उस सम्पत्ति को लेकर हमारे राज्य के विकास कार्यों में लगाया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा निवेदन है कि उस सम्पत्ति का यूटिलाइजेशन

Page No.24

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
हमारे प्रान्त के विकास कार्यों में किया जाना चाहिये ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था इस सदन में और आज फिर स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार हमारे राजस्थान में जितनी भी देवस्थान विभाग की सम्पत्ति है या वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करायेगी । बीकानेर ट्रेजरी के अन्दर जो जेवरात देवस्थान विभाग के पड़े हैं उसके बारे में माननीय सदस्य भी मुझ से मिले थे । देवस्थान विभाग के एक असिस्टेन्ट कमिश्नर, जो कि कम्पलसरी रिटायर कर दिये गये हैं, ने भी मुझे एक पत्र दिया है । मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि देवस्थान विभाग की जो भी प्रोपर्टी है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहा हूं ।

माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी ने जो पूछा, राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू है कि नहीं तो उनकी जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू है ।

श्री शंकर लाल : ट्रस्ट बोर्ड का गठन किया हुआ है, वह काम कर रहा है या नहीं ? काम की देखभाल करता है या नहीं ? क्या उसकी जानकारी की है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी-सी बात पूछना चाहता हूं ....

श्री अब्दुल अजीज : वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने निवेदन किया था ...

श्री **उपाध्यक्ष** : इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया है जांच करवायेंगे ।

श्री शिवचरण सिंह : देवस्थान की जो सम्पत्ति है क्या उसके सार्वजनिक उपयोग के लिये कोई कानून बनायेंगे ?

श्री **उपाध्यक्ष** : विराजिये आप

श्री **शिवचरण सिंह** : देवस्थान की जो सम्पत्ति है, उसका समाजीकरण करेंगे ? समाज के उपयोग में वह आ सके उसके लिये क्या आप कोई कानून बनायेंगे ?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री **शिवचरण सिंह** : यह करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है और किसी काम में नहीं आ रही है ।

श्री अब्दुल अजीज : वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ...

श्री **मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नं. 232 बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन था । माननीय उमराव सिंह जी ढाबरिया ने यहां उपस्थित होते हुए भी नहीं पूछा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप माफी मांगने वाले हैं ।

श्री **मूलचन्द डागा** : देखिये साहब, . . .

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : आपने ? आपको पुकारा भी नहीं । आप विराजिये !

श्री **उपाध्यक्ष** : आप पूछिये !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री महोदय, आप मुख्य मंत्री जी से यह कहलवा दीजिये कि भविष्य के लिए यह व्यवस्था करेंगे कि ट्रस्ट की सम्पत्ति का निश्चित रूप से सार्वजनिक कार्यों के लिये उपयोग होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी कह चुके हैं कि सब सुझावों पर गौर करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वे तो जांच कर रहे हैं । सार्व निक हितों के लिये उस सम्पत्ति का उपयोग होगा ?

कई माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वे जानकारी करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जानकारी तो वे करेंगे । लेकिन सवाल है कि सार्वजनिक उपयोग के लिये वह सम्पत्ति होगी या नहीं होगी ?

श्री मूलचन्द डागा : यह कह कर मेरे प्रश्न को टालने की बात हुई ।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : मैंने नाथद्वारा मंदिर के बारे में पूछा है ।

श्री मूलचन्द डागा : वह भी टाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

श्री अब्दुल अजीज : जानकारी दिलवा दीजियेगा । मेहरबानी करके उन्हें कहिये कि जवाब दे दें ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इससे पहले प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के सम्बन्ध में जो नियम हैं, वह पढ़ कर आयें उसमें दो तीन महीने लगेंगे । हम यहां पर हजारों रुपया खर्च करते हैं इस तरह का ढर्रा नहीं चलेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : क्वेश्चन नं. 232 का जवाब नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रार्थना करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : नाथद्वारा टेम्पल का...

श्री रतन लाल वर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोदय, समय खत्म हो चुका है प्रश्नों का ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । धन्यवाद ।

श्री मूलचन्द डागा : "If on a question being called it is not asked or the member in whose name it stands is absent, the Speaker may, at the request of any member, direct that answer to it be given."

मैं आप से न्याय की आशा करते हुए निवेदन करूंगा कि यह 232 बड़ा इम्पोर्टेंट

(श्री मूलचन्द डागा)
सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने इस क्वेश्चन को लिया है मैम्बर मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। जनता पार्टी इसको दबाना चाहती है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का सदन में उत्तर दिलाने की आप कृपा करें ताकि सप्लीमेन्ट्री पूछे जा सकें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो प्रश्न मैंने पुलिस विभाग के बारे में पूछा था। उस पर जो जानकारी आनी चाहिये थी वह पुलिस विभाग के हित में नहीं थी। गवर्नमेंट से उसकी जानकारी ली जानी चाहिये थी। यह प्रश्न मुझे मुख्य मन्त्री के नाम पर भेजना चाहिये था। इसलिए मैंने इसको यहां पर नहीं पूछा।

श्री मूलचन्द डागा : जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी का सवाल है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने नियम 44 के सब-क्लाज (3) का हवाला दिया था। मुझे डिस्क्रिशन दिया हुआ है कि मैं किसी मैम्बर को अलाउ करूं या नहीं।

प्रश्न काल समाप्त हो चुका है रिटन में उत्तर आता तो मैं पर्मीशन देता। ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर यहां दिलाने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह तो और भी गलत है। उत्तर भी नहीं भेजा आपके पास। यह तो सचिवालय को देखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानकारी कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत व्याकुल हैं....

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा टेम्पल के बारे में कमेटी बनी हुई है। उसमें आप दो सदस्यों को रखना चाहते हैं, अथवा नहीं ? नहीं रखना चाहते हैं, तो कारण बतायें ? करोड़ों रुपयों की हेरा-फेरी हो रही है।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट आज तक सदन के सामने पेश हुई या नहीं, माननीय सदस्य आग्रह करेंगे तो, मैं देख लूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : मैं नया आया हूं इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बताया कि यदि रिपोर्ट तैयार हो गयी होगी, तो निश्चित रूप से पेश कर दी जावेगी।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य नाथद्वारा टेम्पल के लिए बता रहे थे, मैं उनसे बात करके उस पर विचार कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

पंचायत समिति, धोद सीकर में बिजली की व्यवस्था

523. श्री गोपालसिंह (खंडेला): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिडोली, आंतरी, चोख का बास, मांडोता, गोठडा, सुण्डा का बास उर्फ अर्जुनपुरा, कंवरपुरा, हीरों का बास, पंचायत समिति, धोद जिला सीकर में कोई बिजली की व्यवस्था नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में इन गांवों में बिजली लगवाने हेतु ग्रामवासियों ने निवेदन किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में पानी अत्यधिक गहरा होने के कारण कुओं से सिंचाई नहीं हो रही है और इससे किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या यह सही है कि इन उपरोक्त गांवों में 100–150 कुए हैं और इनसे बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण रबी की फसल नहीं हो पाती है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान देकर इन गांवों में बिजली हेतु सर्वे करवा कर जल्दी से जल्दी बिजली लगवाये जाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। बिडोली ग्राम का सर्वेक्षण करा कर नोर्मल प्रोग्राम की स्कीम बनवाई गई थी जो असाध्य पाई गई।

(3) कुओं में पानी की गहराई अत्यधिक होने की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है।

(4) बिजली के अभाव में, तुलनात्मक कम पैदावार होना स्वाभाविक है।

(5) सरकार अधिक अधिक से गांवों में बिजली देने को उत्सुक है, पर धनाभाव के कारण सभी गांवों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21–5–1977)

किशनगंज शाहबाद में आदिवासियों को भूमि का आवंटन

330. श्री भैरवलाल काला बादल (खानपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी के अवसर पर सन् 1970 में आदिवासी जातियों व आदिवासी जन जातियों को भूमि अलाट की गई थी ? यदि हां, तो क्या ऐसी भी भूमि अलाट की गई थी जो चरागाह में दर्ज थी ? उस चरागाह की भूमि की किस्म परिवर्तन अभी तक नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(श्री भैरव लाल काला बादल)

(2) क्या यह सही है कि किशनगंज-शाहबाद आदिवासी क्षेत्र है जहां सम्पूर्ण इलाके में जंगल हैं और वहां मवेशियों के चरने की कोई कमी नहीं है फिर भी उन आदिवासियों को चरनोट की भूमि गांधी शताब्दी में अलाट की गई थी ? यदि हां, तो उनको बेदखल क्यों किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन करने का राज्य सरकार का कोई इरादा है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन हुआ था। कोटा जिले के अतिरिक्त अन्य किसी जिले में चरागाह के रूप में दर्ज भूमि का आवंटन नहीं हुआ। जहां तक कोटा जिले का सम्बन्ध है किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में 237 व्यक्तियों को 1867 बीघा चरागाह भूमि आवंटित हुई थी इसमें से 1319 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी गई है। 548 बीघा भूमि की किस्म का परिवर्तन अभी नहीं किया गया है। अब विशेष राजस्व अभियान के दौरान कर दिया जावेगा।

(2) यह सही है कि चरनोट का आवंटन हुआ था परन्तु उन आदिवासियों में से किसी को बेदखल नहीं किया जा रहा है। बेदखल केवल उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जिनके बाबत ऊपर के न्यायालयों द्वारा फैसले हुए हैं।

(3) ऐसी समिति के गठन का मामला राजस्व विभाग में विचाराधीन नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में मजदूरों के आन्दोलन को कुचलने के लिये 29 सितम्बर को पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में।

(2) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले में विद्युत वितरण में अव्यवस्थाओं को लेकर किसान यूनियन द्वारा गत 28 सितम्बर से आमरण अनशन प्रारम्भ किये जाने के विषय में।

(3) सर्वश्री समरथलाल व शिवचरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलवर के न्यायालय में विचाराधीन कुछ कत्ल के मुकदमों को राज्य सरकार द्वारा वापस लेने की पेशकश के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 पर जयपुर से हरियाणा बोर्डर तक लोहे के कांटेदार तार लगाने के ठेके में हुई भारी अनियमितताओं के विषय में।

इन सब प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

(5) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरकारी कर्मचारियों, मजदूर वर्ग तथा ग्राम जनता में असन्तोष व बेचैनी की स्थिति उत्पन्न हो जाने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और इसमें एक से अधिक मामले एक ही साथ उठाये गये हैं। अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

(6) श्री मदनसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दांता रामगढ़ क्षेत्र में नल योजनाओं को पूर्व से प्राथमिकता देते हुए भी उनको सबसे पीछे रख दिये जाने के विषय में।

यह भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अतः मैं इसे भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी मैं इसे राज्य सरकार की जानकारी के लिए संबंधित विभाग को भेज रहा हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे बोलने दूंगा। मैंने एक बात के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया और यह लोग अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत अहम है और मैंने बहुत समय पहले दे दिया था। आपके चेम्बर में भी मैं आपसे कई बार मिला। उसके बाद भी व्यवस्था नहीं होने की वजह से कल भी विद्यार्थियों ने घेराव किया और झगड़ा किया और हजारों की तादाद में वह पड़े हुए हैं। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को रिजर्वेशन के मुताबिक और कोटा के मुताबिक नौकरी नहीं मिलती है और उनको बदले की भावना से रगड़ा जाता है। आधे दिन की सी. एल. वह बीमारी की वजह से लेते हैं तो भी उनकी सर्विसेज में ब्रेक किया जाता है और राष्ट्रीय भावनाओं का बिलकुल ध्यान नहीं रखा जाता है। इन सब मुद्दों पर मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत पहले दिया था। उनके प्रमोशन के लिए जो रोस्टर प्रणाली बनाई है उसका भी बिलकुल ध्यान नहीं रखा जाता है। मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर आपने कह भी दिया था। मैं आपसे चेम्बर में मिला और रिक्वेस्ट की तो आपने कहा कि मैंने जानकारी के लिए भेज दिया। इस पर आप बयान दिला दें ताकि जो इस संबंध में विद्यार्थियों में आक्रोश है, गुस्सा है वह दूर हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजें। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूं। जब यह आपका प्रस्ताव पेश हुआ था उस समय समाज कल्याण विभाग की मांग के बारे में चर्चा की जा रही थी इसलिये आपको सूचित कर दिया गया था कि इस प्रश्न पर आप अपने विचार डिबेट के समय रख सकते हैं। उस परिस्थिति को देखते हुए आपका प्रस्ताव मैंने नामन्जूर कर दिया था जिसकी सूचना आपको दी जा चुकी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे कब दी ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सचिवालय से बताया गया है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अभी तक नहीं मिली है सूचना ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था उस समय से आज तक परिस्थितियां बदल गयी हैं । अपनी मांगों को लेकर अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों ने प्रदर्शन किया और माननीय मुख्य मंत्री जी का घेराव किया···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे बदली हुई परिस्थितियों के बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री शंकरलाल : और आज से वह भूख हड़ताल पर हैं । आज की बदली हुई परिस्थितियों में और उनकी मांगों के सन्दर्भ में मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी और समाज कल्याण के राज्य मंत्री को इस बारे में कुछ सदन में आश्वासन देना चाहिए कि वह इस संबंध में क्या कर रहे हैं । सब लोग विधान सभा के बाहर आये थे । इसलिये मुख्य मंत्री जी को इसके बारे में कुछ कहना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इन अनुसूचित जाति के और जन जाति के विद्यार्थियों के लिये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया है । कल यहां पर हजारों की तादाद में विद्यार्थी आये और उन्होंने बात की और मांग की कि उनसे शिक्षा मंत्री जी मिलें । लेकिन बावजूद बार बार उनकी रिक्वेस्ट के और बाहर बहुत देर तक उनके खड़े रहने के शिक्षा मंत्री जी डेपुटेशन से नहीं मिले । अलबत्ता माननीय गृह मंत्री जी मिले । मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विद्यार्थी ऊपर आये और यहां के कुछ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्य थे उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से कहा और उन्होंने कोशिश की उसके बावजूद वह नहीं मिले । इससे भारी असन्तोष व्याप्त है । मुख्य मंत्री जी खुद इन्टरवीन करें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जब सारे देश में हरिजनों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में इतनी बहस हो रही है तो राजस्थान में नौजवान अनुसूचित जाति और जन जाति की मांगों को लेकर आये हैं, तो वह मांगें सही हैं या नहीं इस बारे में मुख्य मंत्री जी बयान दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो नौजवान जयप्रकाशनारायण के साथ थे वे जनता पार्टी की सरकार को लाये । हम उनके सम्बन्ध में विचार नहीं करें तो यह हमारे लिये अशोभनीय होगा । इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को सरकार की नीति की घोषणा करनी चाहिये वरना यह कहां तक सही है कि आप ऐसा नहीं करके उनमें और असन्तोष पैदा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : और अगर आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह कांग्रेसी इनको गलत रास्ते पर ले जायेंगे··

श्री जय कृष्ण शर्मा : कांग्रेसी इनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने ठीक कहा है। आज तीस साल तक समाजवाद के नाम पर उनको गलत रास्ते पर ले गये। उनसे वोट मांगते रहे और उनका शोषण करते रहे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शंकरलाल : जयप्रकाश नारायण स्वयं इस बात को मानते हैं कि जनता पार्टी का राज्य आने के बाद में देश के अन्दर हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना च हैं....

(व्यवधान)

माननीय श्री कालाबादल जी, आप बिराजें। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। सदन के माननीय नेता खड़े हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : दो मिनट उनको भी बोल लेने दीजिए। वह अपने विचार रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसमें आपत्ति क्या है, बोलने दें दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चार मांगों को लेकर विवाद चल रहा है। चारों ही मांगें ऐसी हैं कि जिनका संबंध इस सरकार से नहीं रहा। हमको तो यह चारों समस्यायें विरासत में मिली हैं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें।

(व्यवधान)

माननीय विश्नोई जी, बिराजें।

(व्यवधान)

माननीय जयकिशन जी, आप बिराज जायें।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह अपनी हकीकत भी नहीं सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हल्ला करके यह जो हरिजन और आदिवासी यहां अपनी मांगों को लेकर आये हुए हैं उनकी बातों को नहीं रखने देना चाहते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : राजस्थान के मुख्य मंत्री खड़े होकर यह कहें कि विरासत

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
में मिली है और हमेशा हर बात के लिए यही कहते रहे हैं ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बिराजिये ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं एक बीच का आदमी हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

(व्यवधान)

माननीय श्योपतजी, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : चोर की दाढ़ी में तिनका । अगर यह कह दें ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : कोई भी सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्या ? हम नहीं चाहते कि कुछ लोग परेशान हों । यह विरासत से मिली है । लोग ज्यादा हल्ला करते हैं । चोर की दाढ़ी में तिनका, नाम लेते ही चिल्ला उठते हैं ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में मत बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये । मैं कुछ कहना चाहूंगा । मेरा निवेदन है

(व्यवधान)

मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठेंगे। कृपया बिराजिये।

मैं चाहूंगा, कोई भी माननीय सदस्य, चाहे किसी भी दल के हों, बीच में इंट्रप्ट न करें, आवेश में न बोलें, शांति से बोलें। जिस समय माननीय नेता महोदय कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं तो सभी माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य मानता हूं कि शांतिपूर्वक सुनें। बीच में इंट्रप्ट न करें।

शासकीय वक्तव्य

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र (मेडिकल) को छात्रवृत्ति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चार मांगों में से एक मांग तो यह है कि मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति और जन जाति के विद्यार्थियों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर मेडिकल कालेज में प्रवेश दिया जाये। इस व्यवस्था में प्रात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन्डिया मेडिकल कौंसिल ने यह निर्णय लिया कि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाय और अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये 5 प्रतिशत की रियायत दी जाये। यह बात सही है कि इस रियायत के बावजूद अनुसूचित जाति और जन जाति के विद्यार्थियों का जो आरक्षण है वह आरक्षण पूरा नहीं होता। इसलिये मैंने स्वयं केन्द्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की। मेरी ओर से जितना आग्रहपूर्वक कहा जा सकता था मैंने कहा कि 30 प्रतिशत ही रखा जाये ताकि आरक्षण के आधार पर लोगों को प्रवेश मिल जाये। उस पर उन्होंने कहा कि वे केन्द्रीय सरकार के सामने सारा मामला प्रस्तुत करेंगे, कैबिनेट के सामने। उसके बाद यहां से दो विधायकों को मैंने पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजा। वे विधायक स्वास्थ्य मंत्री से मिले। उन्होंने सूचना दी है, लिखित में तो वह नहीं है, 40 प्रतिशत अंक प्राप्त हो जाते हैं तो उनको मेडिकल कालेज में प्रवेश दिया जाये। इससे भी मैं समझता हूं कि आरक्षण पूरा नहीं होगा। कल मैंने प्रधान मंत्री से बातचीत की है। उन्होंने परसों का समय दिया है।

दूसरा प्रश्न, 150 रुपये का स्टाइपेण्ड मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। उस सम्बन्ध में विद्यार्थियों की शिकायत है कि हम गांवों के रहने वाले हैं, बड़े-बड़े शहरों में हमसे काम लिया जाता है और हमें पूरा काम करना पड़ता है। काम की दृष्टि से जो भी भत्ता दिया जाता है वह ठीक नहीं है। मैं भी इस बात को ठीक नहीं समझता कि गंगानगर से जयपुर उनको काम के लिये बुलाया जाये। इस सम्बन्ध में मैंने कल कहा है कि 150 रुपये का भत्ता जिस शर्त पर दिया जाता है उस शर्त में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सारी जानकारी करके मेरी स्वयं की इच्छा है कि जयपुर बुलाकर काम करायें, इससे भत्ते और काम की दृष्टि से तालमेल नहीं बैठता। आपकी जानकारी के लिये कह दूं यह जनता पार्टी का निर्णय नहीं है भूतपूर्व सरकार का निर्णय है। इस संबध में सारी पत्रावलियां मंगाकर देखनी पड़ेंगी।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं जहां तक दूसरा प्रश्न है भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने 150 रुपये उन लोगों, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बेरोजगार थे, फैमिली पेंशन की तरह दिया था। पहले कुछ नहीं मिलता था। उसमें यह शर्त थी कि ज्यों ही नौकरी पर लगेगा उसका भत्ता बन्द हो जायेगा। जोधपुर वाले को पाली में एक पोस्ट के अगेन्स्ट लगा दें और उस पोस्ट की सैलेरी मिलनी शुरू हो जाय तो 150 रुपया भत्ता नहीं मिलेगा। टेम्प्रेरी वापस बेरोजगार होता है तो वापस 150 रुपया शुरू हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नौकरी लगते ही भत्ता बन्द हो जाता है लेकिन नौकरी लगने से पहले उससे काम लिया जाता है। काम के हिसाब से 150 रुपया कम है। 150 रुपया देकर एल.डी.सी. का काम लेते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एल. डी. सी. का काम लिया जाये तो किसी पोस्ट के अगेन्स्ट लिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल जो भत्ता मिलता है उसके अगेन्स्ट काम लिया जाता है। उस भत्ते के अगेंस्ट काम लेने के पाइन्ट का अध्ययन कर रहा हूं, जल्दी ही निर्णय ले लूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। पहले स्टेट गवर्नमेंट से छात्रवृत्ति मिलती थी और केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति मिलती थी। स्टेट गवर्नमेंट ने अब छात्रवृत्ति बन्द कर दी क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने कुछ दरें बढ़ा दीं। वे दरें इतनी नहीं बढ़ीं जितनी भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार से मिलती थी और राज्य सरकार से मिलती थी, दोनों मिलाकर ज्यादा हो जाती थीं। स्टेट गवर्नमेंट की छात्रवृत्ति बन्द हो जाने के बाद पहले से कम हो गई। यह मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि पहले राज्य सरकार 40 रुपये देती थी और केन्द्रीय सरकार भी 40 रु. देती थी। कुल मिलाकर 80 रु. दिये जाते थे। लेकिन गत वर्ष भारत सरकार ने 75) रु. कर दिये 40) रु. की जगह और राज्य सरकार ने चालीस रुपये बन्द कर दिये। मेरा निवेदन है पहले उनको 80) रु. मिलते थे और अब उनको 75) रु. मिलते हैं जो उचित नहीं है, अनुचित है। भारत सरकार ने 75) रु. कर दिये तो क्या मुख्य मन्त्रीजी यह समझते हैं कि 75) रु. में काम चल पायेगा? मैं समझता हूं इससे अधिक बढ़ाने चाहिये। 100) रु. कम से कम मिलने चाहिये तभी पढ़ सकते हैं और तभी ठीक प्रकार विद्या अध्ययन कर सकते हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होस्टल में रहने वालों को 75) रु. मिलते हैं और होस्टल से बाहर रहने वालों को कुछ नहीं मिलता है। खर्चा तो बाहर रहने वालों को भी करना पड़ता है बल्कि उनका खर्चा ज्यादा पड़ता है। इसलिए बाहर रहने वाले को भी उतनी ही छात्रवृत्ति मिले यह भी सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं वह ठीक हैं लेकिन भाषण नहीं दें।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : जो राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति बन्द कर दी, वह चालू होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। विचार प्रकट किये जा चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : भारत सरकार और राज्य सरकार ने पेन्शन में भी वृद्धि की है। आज की तारीख में इस छात्रवृत्ति से उनका खर्चा चलना भी मुश्किल है। इसलिए उनकी छात्रवृत्ति में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : वही विचार है माननीय सदस्य आपके भी। आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : उसी अनुपात में बढ़ानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि गांव के लोग हैं उनको छात्रवृत्ति देते नहीं हैं, क्या

(श्री रामसिंह विश्नोई)
आप इसको उचित समझते हैं ? गांवों में जितने लोग हैं उनमें सवर्ण जाति के लोग भी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर होती है तो उन लोगों को इससे महरूम नहीं रखा जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरव लाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी और अनुसूचित जाति व जन जाति के बारे में हमारे माननीय सदस्यों को ज्यादा पीड़ा हो गई तो···

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये, पीड़ा हो गई उससे क्या।

श्री भैरव लाल कालाबादल : यह जो 40) रु. देती थी भारत सरकार और राज्य सरकार भी देती थी। अब राजस्थान सरकार ने वह बन्द कर दी तो इनकी पार्टी ने किया या जनता की ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाइये।

श्री भैरव लाल कालाबादल : आज इनकी पार्टी सत्ता में नहीं रही तो विरोध करते हैं और आज भले बनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विस्तार से कह चुके हैं। बिराज जाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती नारंगी देवी : उपाध्यक्ष महोदय, जो छोटे बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ने वाले हैं उनको भी कृपा करके छात्रवृत्ति दिलवायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मूलचन्द जी सामरिया ने जो प्रश्न उठाये हैं मैं उनको यह जानकारी देना चाहूंगा यह व्यवस्था हमने लागू नहीं की। सन् 75 में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि केन्द्रीय सरकार से जिनको छात्रवृत्ति मिलती है उनको राज्य सरकार छात्रवृत्ति न दे। यह बात सही है जो कि माननीय ओंकार लाल जी ने कहा कि पहले 80) रु. मिलते थे और अब 75) रु. ही मिलते हैं। भूतपूर्व सरकार ने यह निर्णय शायद इसलिये लिया था कि इस पर ए.जी. आफिस ने एतराज किया कि दो जगह से छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिये। शायद यही फाइनेन्सियल एडवाइजर ने भी सलाह दी थी कि भारत सरकार से छात्रवृत्ति लेने के बाद राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिये। यह आडिट एतराज था लेकिन पहले जो स्कालरशिप मिलती थी उससे कम अब मिलती है इसलिये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुये जितनी वृद्धि की जा सकेगी उतनी करने की चेष्टा करेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी···

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी के लिये भेज दिया गया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी तो आज के

Page No.36

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
बाद आयेगी नहीं। मगर जो कुछ हो रहा है · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जब बोल रहे हैं तो कृपया आप बिराज जाइये।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने जो प्रश्न उठाया था, उसका जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न सम्बन्धित नहीं है। आवश्यक नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय उसका उत्तर दें जो कि आपने आफ-हैन्ड पूछ लिया है। कृपया आप विराज जाइये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था वह इस नियत से दिया था कि कल विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर में पहली दफा जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस प्रकार लाठी चार्ज हुआ है कि · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीन सदस्य, अब आप विराजे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अपने साथी मजदूरों के साथ · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बात पूछना चाहूंगा, माननीय सदस्य, आप नियमों का हवाला देते हैं। कृपया यह बता दें कि यह चर्चा किन नियमों के अन्तर्गत कर रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और घटना जयपुर में हुई है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई जानकारी है, तो बता देंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सवाल जानकारी का नहीं है। सवाल यह है कि 13 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुये हैं, 11 श्रमिक गायब हैं, 72 श्रमिक जेल में हैं। 25 साइकिलें उनकी फेंक दें और 500 जवान उनको वहां दबाने के लिये पहुंच जांय और उनकी शान्तिपूर्ण सभा बिगाड़ दी जाय तो क्या जनता सरकार की यही नीति है? हमने लगातार लड़ाई लड़ी है लेकिन हमेशा शान्तिपूर्ण तरीके से लड़ी है · · ·

(व्यवधान)

गृह मंत्री जी फिर किस बात का क्लेम करते हैं? आज यहां उस पार्टी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो कहीं भी जाकर अपने डेरे लगा दे। इन्डस्ट्रियल एरिया में पीसफुल हड़ताल चल रही थी, मजदूर अपना शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन अखबारों में प्रचार किया गया है कि उनको उकसाने की चेष्टा की जाती है। सीटू मजदूरों का एक भी केस बता दें कि कभी उग्रता बरती हो। 19 तारीख से शान्तिपूर्ण हड़ताल चल रही है फिर भी उनके तम्बू उखाड़ फेंके गये। कल आपको इस बात की इत्तला दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विस्तार से कह चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय उत्तर देना चाहेंगे तो देंगे। आप बिराज जाइये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उत्तर देने या न देने का प्रश्न नहीं है। स्थगन प्रस्ताव जब पेश करते हैं तो उसका उत्तर देना चाहिए। उधर भरतपुर में किसान अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या कभी मुख्य मंत्री जी ने इस बात को जानने की आवश्यकता समझी है कि आखिर ये चीजें क्यों होती हैं? कृषि मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इस बारे में कोई व्यवस्था करें। किसानों को बीज नहीं दिया जा रहा है। पशुओं में बीमारी फैल रही है। कृषि मंत्री जी ने कहा कि यह पोलिटिकल है। पोलिटिकल स्टन्ट तो चुनावों में होते हैं। इसमें कहां से पोलिटिकल चीज आ गई?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाइये। काफी कह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनरल सेक्रेटरी हैं, वे 25 तारीख से भूख हड़ताल पर हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है यह हाउस इसको इम्पार्टेन्स दे और इसकी इम्पार्टेन्स को देखते हुये मंत्री महोदय जवाब दें। इनकी नाक के नीचे लाठी चार्ज हुआ चाहे वह किसी प्रकार से हुआ हो। आर्टिकल 19 के अन्तर्गत स्पष्ट करें, क्या सीटू के मजदूर अशान्ति फैला रहे थे या अपना शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? यह पुलिस के बल पर शासन नहीं चलने वाला है। पुलिस के जोर से कांग्रेस ने शासन करने की कोशिश की थी तो वह फेल हो गई। अब माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे तो वे भी फेल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या गृह मंत्री महोदय इस बारे में कहना चाहेंगे?

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : मान्यवर कल लाठी चार्ज हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : कल की घटना का गृह मंत्री को पता ही नहीं, बड़े अफसोस की बात है।

श्री केदारनाथ : लाठी चार्ज किस तरह से हुआ, कहां हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग जख्मी हुए, इन सब बातों के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : शेम।

(व्यवधान)

राज्य के गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं। जयपुर में घटना हो और उनको पता ही नहीं हो कि कितने गिरफ्तार हुए, यह शेम की बात नहीं है तो क्या है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : श्योपतसिंहजी कह रहे थे कि जनता पार्टी के राज में पहली बार लाठी चार्ज हुआ है लाठी चार्ज तो पहले भी कई बार हो चुका है। इसी विधान सभा के नीचे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, उस समय आप आंख बन्द किये बैठे रहे। अब जब अपनी पार्टी का सवाल आया तो हल्ला मचा रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने तो हजारों गोलीकाण्ड किये हैं। हजारों दफा गोलियां चलाई हैं...

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : मान्यवर, प्रश्न तो केवल इतना है कि स्थगन प्रस्ताव के जरिये यह प्रश्न पूछा गया है। आज ही आप चाहते हैं कि सदन के अन्दर डिटेल्ड जवाब दे दूं तो यह मुश्किल है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल इस बात का है कि क्या वहां पर लाठी चार्ज हुआ ?

श्री केदारनाथ : मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कल वहां पर पांच सौ पुलिस वाले ट्रकों में भर कर गए, मजदूरों के टेंट वगैरह उठा कर फेंक दिए। सवाल इस बात का है कि पुलिस वहां पर क्यों गई ? क्या मजदूरों ने वहां पर अशांति फैलाई थी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जवाब तो देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : परसों के दिन मालिकों और मजदूरों के बीच में वार्तालाप हुआ था। वह वार्तालाप असफल हो गया। आज ठीक 11 बजे से कलेक्टर साहब के सामने वार्तालाप चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वार्तालाप सफल हो जायगा। माननीय सदस्य, स्वयं भी मौके पर नहीं गए थे। वह भी यहीं पर थे और मैं भी यहां पर मौजूद था। दोनों ही स्पाट पर नहीं गए हैं। फिर भी माननीय सदस्य मुझ से आशा करें कि मुझे जानकारी हो...

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको इत्तला मिली कि नहीं ?

श्री केदारनाथ : मुझे यह मालूम पड़ा है कि 65 व्यक्तियों के खिलाफ दफा 107 और 151 में केस रजिस्टर हुए हैं। ज्योंही मुझे मालूम पड़ा मैंने फौरन आदेश दे दिया है कि उनके मुचलके लेकर रिहा कर दिया जावे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह भी मुचलके लेकर !

श्री केदारनाथ : जमानत नहीं, मुचलके। दोनों में फर्क है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब शांतिपूर्ण हड़ताल चल रही थी तो मुचलके किस बात के ?

श्री केदारनाथ : इसका डिस्टिंक्शन देखिए। अगर कहीं पर ग्रेविटी होती है तो जमानत होती है। जहां पर ग्रेविटी नहीं होती वहां पर मुचलके लेते हैं। जो भी अपराधी होंगे उनकी जांच हो जायगी। अभी वार्तालाप चल रहा है और मेरा ख्याल है कि दोनों पक्षों में वार्तालाप सफल होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : परसों भी वार्तालाप असफल हो चुका है। वार्ता असफल होने के बाद इस इण्डस्ट्रियल एरिया

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

के मालिकों ने पुलिस से मिल कर यहां के डी. वाई. एस. पी. मिस्टर सैनी, जिन्होंने कि कोटा के अन्दर भी इसी तरह से लाठी चार्ज किया था, जो कलेक्टर महोदय के दामाद हैं, जिनकी वहां पर इंडस्ट्री है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पुलिस से मिल कर इन कारखानों के मालिकों ने सारा का सारा षड्यंत्र रचा। मैं आपको बतला रहा हूं कि कलेक्टर का साला है उसका कारखाना है। वहां पर डी. वाई. एस. पी. सैनी और कलेक्टर ने मिल कर उन मजदूरों के खिलाफ कार्यवाही की है। सारे लोगों के सिर फोड़ दिए हैं, इसकी जानकारी मुख्य मंत्री महोदय और आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो इसकी जांच करके कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिराज जाइये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह लेबर मिनिस्टर का सरासर पक्षपात है, गलती है।

श्री ईश्वरचन्द्र : सीटू के कार्यकर्ता न केवल जयपुर में ही बल्कि सारे राजस्थान में गड़बड़ कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप भी अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसमें लेबर मिनिस्टर की कोई गलती नहीं है। लेबर मिनिस्टर ने जितनी समस्याओं को राजस्थान में हल किया है उतना किसी ने भी नहीं किया होगा। कम से कम माननीय सदस्य को यह गलत बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य गुप्ताजी, आप बिराज जाइये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह बिल्कुल गलत आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार बार कहने पर भी नहीं सुन रहे हैं। गुप्ताजी, बिराजिये।

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य ने अपना संतुलन खो दिया और आवेश में आकर जो उन्होंने शब्द कहे, वे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। हमारी लेबर की जो पालिसी है वह बंगाल से ज्यादा अच्छी साबित हुई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बंगाल और उड़ीसा का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह घटना हुई या नहीं हुई? अगर मजदूरों के सिर फोड़े गये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपने जानकारी दे दी है, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो आप फिर यह नहीं कह सकते कि बंगाल से अच्छी

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

साबित हुई है। मुझे पता नहीं कि वहां पर क्या हुआ है मगर यह घटना हुई है तो फिर क्या बात है, मैं यह नहीं कह रहा हूं ··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी विराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : उन्होंने आवागमन को रोक दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सारा आवागमन रोक दिया था, तमाम सड़कें रोक रखी थीं, आना जाना बन्द कर दिया था। मोटरें, साइकिलें, ठेले, सबका आना-जाना बन्द कर दिया था। जब पुलिस ने आंख दिखाई तो धक्कमपेल शुरू कर दी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कहां की बात कर रहे हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : मैं नीचे की बात कर रहा हूं।

श्री नूरा (मसूदा) : पहले डागाजी ने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसकी जानकारी के लिए····

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नूरा : मामले की गंभीरता से मंत्री महोदय को जानकारी करा दी थी। अभी तक उनको पता नहीं कि मजदूरों के सिर फूटे या नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

व्यवस्था

विशेषाधिकार भंग सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि कार्य सूची में जो कार्य बताये गये हैं उनको लेने से पूर्व मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव पर व्यवस्था देना चाहूंगा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने विशेषाधिकार उल्लंघन के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव 14 सितम्बर, 1977 एवं 17 सितम्बर, 1977 को प्रस्तुत किये। ये दोनों प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा सदन में दिनांक 13-9-77 को दिये गये भाषण के सम्बन्ध में हैं। माननीय सदस्य श्री डागा ने माननीय मुख्य मंत्री के भाषण के जिस अंश के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया वह अंश निम्न प्रकार है :–

"विधायकों को परेशानी होगी और उधर बैठे माननीय सदस्यों को, मैं समझता हूं कि कई दिनों तक नींद नहीं आवेगी।"

माननीय सदस्य श्री डागा के इन विशेषाधिकार प्रस्तावों में यह कहा गया है कि माननीय मुख्य मंत्री के भाषण का उपरोक्त अंश विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताता है और उससे यह संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचारियों को विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बचाना चाहते हैं। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री का उक्त कथन स्पष्टतया विरोधी दल के सदस्यों पर एक प्रहार (रिफ्लेक्शन) है। उनका यह भी कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री के उक्त कथन सदन के माननीय सभी सदस्यों व विशेष तौर से विरोध में बैठने

(श्री उपाध्यक्ष)
वाले विधायकों पर, उनके चरित्र एवं उनके विधायकी जीवन पर प्रहार है।

मैंने माननीय सदस्य श्री डागा को उनके इन दोनों प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने चैम्बर में बुला कर भी उनके विचार सुने और अपने कथन के समर्थन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया। यद्यपि ऐसा करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है लेकिन चूंकि यह विशेषाधिकार प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुआ है इसलिये ऐसा अवसर देना मैंने उचित समझा।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो भाषण सदन में दिनांक 13–9–77 को दिया गया उसका निम्न सम्बन्धित अंश इस विशेषाधिकार प्रश्न को तय करने हेतु यहां उद्धृत करना चाहूंगा :–

"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिमाग में आई.ए.एस. और आर.ए.एस. का कोई भेदभाव नहीं है। आप शायद सब नाराज हुए होंगे, मुझे समय नहीं मिला और समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी मामला कहीं भी भ्रष्टाचार का आता है राजस्थान की जनता पार्टी उसको बचाने वाली नहीं है। प्रश्न केवल समय का है। आप लोग सब नाराज हुए होंगे और टेलीफोन पर कइयों ने काफी नाराजगी भी प्रकट की कि तुम विधान सभा में नहीं बैठ कर सचिवालय में क्यों बैठे हो ? मैं सचिवालय में इनकी सेवा करने के लिए बैठा हूं ज्यों ज्यों समय मिलेगा, इस सदन की कार्यवाही जब तक चलेगी और मुझे समय मिलेगा तब तक कई मामले आप ऐसे सुनेंगे जिनको सुन कर मैं समझता हूं कि गरीबों खोलेगा, विधायकों को परेशानी होगी और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों को, मैं समझता हूं, कई दिनों नींद नहीं आयेगी।"

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अध्याय 19 में विशेषाधिकार के प्रश्नों से सम्बन्धित प्रावधान दिया गया है। यह सिद्धान्त सर्वमान्य रूप से पूर्व में दी गई व्यवस्थाओं के आधार पर है और नियम संख्या 157 में स्पष्ट रूप से लिखे गये शब्द "अध्यक्ष की सम्मति से" के स्पष्ट आशय से यह निश्चित है कि विशेषाधिकार का प्रश्न अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से ही सदन में लिया जा सकता है। अध्यक्ष अपनी सम्मति उस प्रश्न को सदन में उठाने की देता है या नहीं यह उस विशेषाधिकार (डिस्क्रिशनरी पावर) से सम्बन्ध रखता है।

माननीय सदस्य श्री डागाजी ने अपने प्रस्तावों द्वारा जो विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये हैं वे नियम संख्या 159 में निर्दिष्ट शर्तों की पालना करने से ग्राह्य तो अवश्य हैं परन्तु विशेषाधिकार का यह प्रश्न सदन में उठाने की अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जावे या नहीं, इस प्रश्न पर तो अध्यक्ष को स्वयं निर्णय करना है। इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह तय करने की है कि यह मामला प्रथम दृष्ट्या (प्राइमाफेसी) विशेषाधिकार हनन का बनता है या नहीं ?

मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के भाषण के उक्त अंश को भली प्रकार पढ़ा है। माननीय सदस्य श्री डागा ने मुझ से

(श्री उपाध्यक्ष)

वेश्म में हुए विचार विमर्श के दौरान यह भी प्रकट किया कि माननीय मुख्य मंत्री के उक्त कथन से सदन के माननीय सदस्य के रूप में कार्य करने एवं विधायक के रूप में अपने कर्त्तव्य निर्वहन करने में एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। माननीय मुख्य मंत्री की उक्त टिप्पणी से सदन के माननीय सदस्यों को यह आभास कराया गया है कि तथाकथित भ्रष्टाचार के अन्य कार्य उनके द्वारा उजागर करने का बहाना लेने मात्र पर सदन के माननीय सदस्य एवं विशेष तौर से विरोधी पक्ष के माननीय विधायकों को आतंकित करने एवं उन्हें यह संकेत देने का प्रयास किया गया है कि वे भविष्य में विधायक के रूप में किये जाने वाले कार्यकलापों में सत्ता पक्ष की नीति में कोई बाधा न डालें एवं उनको इन नीतियों के अनुसरण करने में सहयोग दें जिससे विधायक के रूप में उनकी कर्त्तव्य परायणता को प्रभावित करने या विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को अपने सही आलोचनात्मक एवं रचनात्मक रुख को प्रस्तुत करने से रोकने का प्रयास है।

मैंने माननीय सदस्य श्री डागा द्वारा दिये गये आरोप पर गम्भीरता से विचार किया है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कही गई उक्त टिप्पणी में सदन के माननीय सदस्यों एवं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों सहित सदन के किसी भी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से विधायक के रूप में उनके चरित्र या आचरण पर कोई अभ्युक्ति नहीं की गई है। माननीय मुख्य मंत्री की उक्त टिप्पणी से भी कहीं कोई आभास स्पष्ट रूप से या संकेत रूप में इस प्रकार का नहीं होता कि उन्होंने माननीय सदस्यों के सदन में विधायक के रूप में किये जाने वाले कार्यकलाप एवं पूर्व में किये गये कार्यों या आचरण के बारे में कोई आपत्तिजनक बात कही हो। विशेषाधिकार के प्रश्न के पूर्वदृष्टया विषय को निश्चित करने के लिए उक्त बात आवश्यक है और मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उक्त कथन से सदन के माननीय सदस्यों के प्रति विधायक के रूप में सामूहिक रूप से सदन के प्रति या व्यक्तिगत रूप से विधायकों के प्रति सदस्यों की कर्तव्य पालना के विषय में कोई आपत्तिजनक बात कही गई हो। माननीय मुख्य मंत्री की उक्त टिप्पणी से इस बात का कोई रंच मात्र भी आभास नहीं होता है।

सदन के सभी माननीय सदस्यों को एवं निश्चित रूप से मुख्य मंत्री महोदय एवं मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों को अपनी नीति के बारे में विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है और किसी टिप्पणी या कथन को लेकर कोई विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए, जब तक कि सदन के प्रति या माननीय सदस्यों के विधायक के रूप में किये जा रहे आचरण के बारे में ऐसा कोई कथन कहा गया हो जिससे सदन के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता हो।

मैं इस सम्बन्ध में श्री पी. एस. पचोरी विधान लेखक की पुस्तक LAW OF PARLIAMENTARY PRIVILAGES IN U. K. AND IN INDIA EDITION 1971

(श्री उपाध्यक्ष)

के पृष्ठ 213 पर दी गई कुछ निरुक्तियों का उल्लेख करना चाहूँगा जो इंग्लैण्ड की संसद में आये हुए कई विशेषाधिकार के प्रश्नों के निर्णय के आधार पर दिये गये हैं। वह इस प्रकार है :

"The illustrations quoted above show that it is not every criticism or comment on the actions of members or the House as a whole that is treated as a contempt of the House and a breach of its privileges. Some of these also show that the House has always respected the right of the citizens to criticise it even in strong terms. But when such criticism or comment enters the category of reflections on the members or the House or of libel on it so as to bring the House or its members into odium either by imputing improper motives to members in their parliamentary conduct or the House, the House can treat them its contempt.

इस सम्बन्ध में मैं श्री कोल एवं शकधर की पुस्तक "प्रेक्टिस एण्ड प्रॉसिजर आफ पार्लियामेंट" के पृष्ठ संख्या 204–205 के निम्न उद्धरण भी देना चाहूँगा जिसमें यह बताया गया है कि विशेषाधिकार के हनन का मामला तब बनता है जब कि किसी माननीय सदस्य के सदन से संबंधित चरित्र एवं कार्य-कलापों पर आपत्तिजनक प्रहार हो।

Speeches and writings reflect into on the House of its Committees or members are punished by the House as a contempt on the principle that such acts tend to obstruct the Houses in the performance of their functions by diminishing the respect due to them."

In order to constitute a breach of privilege, however, a libel upon a member of Parliament must concern his character or conduct in his capacity as a member of the House and must be "based on matters arising in the actual transaction of the business of the House. (a) Reflections upon members otherwise then in their capacity as members do not, therefore, involve any breach of privilege or contempt of the House.

On a similar consideration. defamatory words against a particular section of the House or against a particular party in the House are not treated as constituting a contempt of the House, since the whole House is not affected."

विचाराधीन मामले में सदन के प्रति या सदन के माननीय सदस्यों के प्रति कोई ऐसा प्रहार स्पष्ट रूप से या संकेत रूप से प्रगट नहीं होता है जिससे विशेषाधिकार हनन का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता हो।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब दिनांक 24-9-77 को सदस्य श्री डागा ने अपने इन प्रस्तावों के बारे में पीठ से जानकारी चाही थी और अपनी भावना सदन की कथित मानहानि के सम्बन्धी में व्यक्त की थी तब माननीय मुख्य मंत्री

(श्री उपाध्यक्ष)
महोदय ने स्वयं अपनी मंशा, सदन की या सदन के किसी माननीय सदस्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचाने की प्रगट की थी और यह कहा था—

"डागाजी के सम्मान के लिए इतना कह दूं कि सदन का और माननीय सदस्यों का अपमान करने की कोई बात नहीं कही। इतना ही पर्याप्त होगा।"

इससे भी यह स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्य मन्त्री के दिनांक 13–9–77 के भाषण से सदन की मानहानि किए जाने की कोई मंशा नहीं थी। माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक 24–9–77 को प्रगट किए गए विचारों का आधार लिए बिना भी मैं यह मानता हूं कि सभी तरह से विचार करने पर प्रस्तुत मामले में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

ऐसी अवस्था में मैं माननीय सदस्य श्री डागा के इन दोनों विशेषाधिकार प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने के लिए पूर्व सम्मति देने योग्य नहीं मानता और एतद्‌द्वारा अस्वीकार करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या कह रहे हैं आप ? बिना मतलब के।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा।

व्यवस्था का प्रश्न

न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन मामले से सम्बन्धित प्रश्न।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नीम हकीम खतरा-ए-जान····

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री शंकरलाल : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर पहले मूलचन्द जी डागा उठाएंगे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, यह जो क्वेश्चन उठाया गया इसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान प्रेक्टिस एण्ड प्रॉसिजर आफ पार्लियामेंट के पेज 352 की ओर दिलाना चाहता हूं।

"A question should not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi judicial functions or any commission or court of inquary appointed to inquire into or investigate, any matter but may refer to matters concerned with the procedure or subject or state of inqniry if it is not likely to prejudice the consideration of the matter by the tribunal or commission or court of inquiry questions relating to matters under inquiry are ordinarily not admited (c) It has been ruled that it would not be proper to ask a question relating to on inquiry

(श्री मूलचन्द डागा)
which is in progress it may affect the results of the inquiry........

मेरा यह प्रश्न था, श्रीमान्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, शुरू शुरू में, अभी राजवंशी के बारे में बात पूछी गई तो मुख्य मंत्री ने कहा इसकी जांच करवा रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। अभी हमारे मुख्य मंत्री ने यहां पर यह कहा है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पाइन्ट आफ आर्डर, सर....

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर चल रहा है। इस मामले में यह कहूंगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सतर्क है उसने बड़ा जल्दी कदम उठाया है। 29–9–77 को इसकी क्वासी–जुडिशियल इन्क्वायरी चल रही है। यह पत्र में यहां पर पढ़ना चाहूंगा।

प्रेषिती : श्री आर. एन. भंडारी, निदेशक, नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रेषक : शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांक प. 11 (23) आयोजना/प. 19/ 11 दिनांक 26–9–77।

जन्म तिथि में संशोधन।

महोदय,

निदेशानुसार लेख है कि राज्य सरकार आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में अंकित जन्म तिथि 13–10–1919 को आपके जन्म की प्रामाणिक तिथि मानकर आपकी सेवा पुस्तिका में पूर्व दर्ज शुद्धि, जन्म तिथि 19–6–1923 में तदनुसार संशोधन करना प्रस्तावित करती है। अतः यदि इसके विरुद्ध आप कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस नोटिस की प्राप्ति से अधिक से अधिक तीस दिन की अवधि में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भेज दें अन्यथा आर.एस.आर. के नियम 7 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय संख्या 2 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार यह मान लेगी कि आपको प्रस्तावित निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है।

भवदीय,

ह. उप शासन सचिव।"

श्रीमान, एक क्वासी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है। लेकिन 26–9–77 को आपके डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है। इसकी इन्क्वायरी चालू हो गई है। तो, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जो रूल्स हैं उन रूल्स में प्रावधान है इस बाबत, अभी, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यह है रूल 37 का (XX) यह रूल मैं आपकी सेवा में पढ़ना चाहता हूं...

It shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter but may refer to matters concerned with procedure or subject or stage of enquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matter by the tribunal or commission or court of inquiry

श्री उपाध्यक्ष : सिमिलर वर्डिंग हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष, आप बहुत ही लर्नेड वकील हैं, इसलिए मुझे इन किताबों को यहां पर कोट करने की जरूरत नहीं होगी...

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब वकील नहीं रहा ।

श्री मूलचन्द डागा : यह परम्परा है और यह नियम है । मुख्य मन्त्री ने अभी कहा है, अपने भाषण में कहा है कि राजवंशी की इन्क्वायरी चल रही है, इसलिए इस बाबत बात नहीं की जावे । इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बाबत में यह क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जावे । यह क्वासी जुडिशियल इन्क्वायरी पेन्डिंग है । इस पत्र की सर्टिफाइड कापी मैं सदन की मेज पर रखता हूँ...

क्या इसको चैलेंज करते हैं कि आपने आदेश नहीं किया है । मैं यह सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी)

श्री मदनसिंह दांता : हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यह चलता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब ने इस बारे में कह दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को जो सदन में क्वेश्चन लाया गया । उस समय माननीय गृह मन्त्री जी ने यह कहा था कि हम इसकी जांच करा रहे है । इस बारे में...

श्री केदारनाथ : शो काज नोटिस ।

श्री परसराम मदेरणा : शो काज नोटिस दे रहे हैं । रूल 7 में कोई भी बात है–

Under rule 7 of the R.S.R. promulgated under Article 309 of the Constitution of India, it is also covered under the rules for Classification Control and Appeal Rules.

रूल में यह प्रेस्क्राइब किया गया है । यह क्वासी जुडिशियल है । चूं कि आपने क्वेश्चन पर जांच की बात कही थी और इस सदन को यह जानकारी दी थी । यह इन्क्वायरी प्रारम्भ हो गई है । शो काज नोटिस 26-9-77 को रणछोड़दास भण्डारी को दिया गया था । उसके बाद यह मामला सब जुडिस है । इस सम्बन्ध में राजस्थान हाई कोर्ट ने 1967-68 में एक मामले के अन्दर जुलाई, 77 में फैसला किया है कि प्रिंसिपल आफ नेचरल जस्टिस अडेयर किये जाने चाहिये । इस वक्त जो डिबेट की जा रही है, वह क्वासी जुडिशियल मैटर पर की जा रही है । मैं निवेदन करूंगा कि जांच प्रारम्भ कर दी है तो वह निष्पक्ष आधार पर हो । वह प्रिंसिपल आफ नेचरल जस्टिस इम्पेयर हों । इस पर हाउस में चर्चा करेंगे तो गुड कांसेंस एण्ड प्रिंसिपल आफ नेचरल जस्टिस पर कुठाराघात होगा । सरकार जांच कर रही है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जो माननीय सदस्य डागाजी और हमारे दल के नेता महोदय ने कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं

(श्री शंकरलाल)

चाहता हूं। जहां तक नियम 37 की बात है यह जो इन्क्वायरी चल रही है। राजस्थान सर्विसेज रूल्स के तहत में, तो राजस्थान सर्विसेज रूल्स दो प्रकार के होते हैं। यह जो अनुशासन की कार्यवाही के सम्बन्ध में पुस्तक है, उसमें जो रूल्स के बारे में बताया है उन रूल्स के तहत इन्क्वायरी होती है। वह स्टेट्यूटरी रूल्स के तहत होती है। यह जो रूल्स बनाये गये हैं, यह कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 309 के अन्तर्गत बनाये गये हैं। इसमें उन्होंने कहा है—

"जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो।"

तो सी. पी. सी. पावर्स इस इन्क्वायरी में हैं। इसलिए यह क्वासी जुडिशियल हो जाती है। सदन में मामला तभी उठाया जा सकता है, जब क्वासी जुडिशियल मुद्दा न हो। इसलिए सब जुडिशियल इन्क्वायरी होने से यह नहीं होना चाहिए।

दूसरा इसके साथ साथ यह कहूंगा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 37 का भाग (22) है उसमें यह कहा है-"यदि उसमें किसी सिद्धांत अथवा नीति का प्रश्न न हो।" उसमें व्यक्तिगत मामला नहीं उठाया जायेगा।

कई दफा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कई मामलों के प्रश्न उठाये जाते हैं। यह नियम 37 का भाग (22) है, यदि इण्डिविजुअल प्रश्न हो तो जैसा कि इसके अन्दर लिखा है, व्यक्तिगत प्रश्न सदन में नहीं उठाया जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। 6 तारीख को प्रश्न आया था उस दिन तो राजस्थान सर्विस रूल्स 7 के तहत इन्क्वायरी प्रारम्भ हो गई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह इण्डिविजुअल मामला है, इसलिए इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई नयी बात कहनी हो तो कहे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके बाद मुझे मौका दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय, और जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने वैधानिक मुद्दा उठाया है और कहा है ऐसे प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकती है। श्रीमान्, इन्क्वायरी की बात मुख्य मंत्री द्वारा घोषित की गई है तो इस प्रश्न पर चर्चा करना सदन के नियम के विरूद्ध है। जो आधे घण्टे की चर्चा उठाई है वह नियम विरूद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव का समर्थन करते हैं या इसके विरोध में है? सुनने वालों को मैं आवश्यक समझूंगा तो सुनूंगा। मैंने मन बना लिया है। आप इसका समर्थन कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैं समर्थन कर रहा हूं। मंत्री महोदय इस पर अन्धाधुन्ध निर्णय नहीं ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं क्या आप समर्थन करेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां। मैं समर्थन कर रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री भण्डारी के पास एक माननीय सदस्य अपने किसी काम के लिए गये थे। मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कानूनी पाइण्ट्स उठाये गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : कानूनी पाइन्ट तो सबसे पहले आ चुका है। इसके नीचे और तीन अधिकारी आ चुके हैं, अखबार भरे पड़े हैं, आज भण्डारी जी पर आरोप लगाया जा रहा है ताकि उनको अलग कर दिया जाय, यह एक क्लू बना है ताकि......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है,....

श्री मदनसिंह दांता : उनको हथकड़ी डालकर भेजा जाय, यह मामूली बात नहीं है। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री मदनसिंह दांता : फलाने साल में जन्म हुआ या नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि यह मामला पालिटिकली उठाया गया है और आफिसर के साथ अन्याय किया गया है। भण्डारीजी चले जायं इसलिए उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य डागा जी के कथन का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : औरों ने लाखों रुपये के घोटाले किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह कहिये कि माननीय डागा जी का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं ?

एक माननीय सदस्य : मैं डागाजी के कन्टेन्शन के विरोध में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को नहीं सुनूंगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि डागा जी के कथन के बारे में माननीय सदस्यों को तभी सुनूंगा जब उसका औचित्य लगेगा।

एक माननीय सदस्य : डागाजी ने एक लॉ का क्वेश्चन रेज किया है,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डागाजी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं इसके सम्बन्ध में काफी चर्चा सुन चुका हूँ। इस प्रश्न को उठाने का जो भी तरीका हो सकता था, वह भी अपनाया गया है।

मैं सबसे पहले माननीय डागाजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नियम 38(1) जो है उसमें यह है:

"The Speaker shall decide whether a question, or a part thereof, is or is not admissible under these rules and may disallow any question, or part thereof, when in his opinion it is an abuse of the right of questioning or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure

(श्री उपाध्यक्ष)
of the House or is in contravention of these rules."

इसमें अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि सदन में प्रश्न के आने से पूर्व अध्यक्ष यह निर्णय करेंगे कि प्रश्न का क्या औचित्य है और नियमों के अन्तर्गत उसको पूछा जा सकता है या नहीं। यह स्टेज सदन में प्रश्न के आने से पूर्व की है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रश्न पूछा गया उस पर उत्तर भी पहले प्राप्त हो चुका है। उस पर आधे घण्टे की चर्चा का नोटिस दिया। उस पर यह व्यवस्था दी गई कि आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी जाती है। उस समय किसी भी माननीय सदस्य ने आपत्ति नहीं उठायी थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह: That was not official announcement about the enquiry, Sir. इन्क्वायरी का अनाउन्समेन्ट अभी नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा: इन्क्वायरी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे जरा सुन लीजिये। आप कन्फ्यूज्ड हो जायेंगे। मैं रीजन्स दे रहा हूं।

जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में दो बार चर्चा हो चुकी है। एक बार प्रश्न पूछा गया था वह स्थगित हो गया। उसके बाद स्थगित प्रश्न के रूप में आया। उस समय किसी भी माननीय सदस्य ने यह आपत्ति नहीं उठायी थी। इसलिए नियम 38 की ओर जो ध्यान आकर्षित किया गया है, वह एक्सर्साइज हो चुका है। स्थगित प्रश्न के रूप में वह आया उसके बाद आधे घंटे की चर्चा की सूचना दी। सबने यह कहा कि आधे घंटे की चर्चा उपयुक्त होगी। तब भी कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी थी। मैं यह नहीं मानता हूं कि आपत्ति डिटरमिन करने के लिए कन्सीडरेशन हो।

दूसरा मैं यह चाहूंगा कि अगर प्रश्न उस समय आ चुका है जबकि कोई भी इन्क्वायरी या कोई भी स्टेट्यूटरी कार्यवाही पेंन्डिग नहीं थी तो और बाद में पेंडिंग हो जाती है तो मैं ऐसे प्रश्न पर सदन को विचार करने से वंचित नहीं कर सकता। जहां तक प्रश्न यह है कि पहले इस पर चर्चा की गई, उस समय क्या कोई इन्क्वायरी पेन्डिंग थी, तो यह जानकारी नहीं थी। इस पर चर्चा की गई कि स्टेट्यूटरी ट्रिब्युनल या स्टेट्यूटरी आथोरिटी के पास कोई इन्क्वायरी पेंन्डिग थी, इस सम्बन्ध में जो आपत्ति की गई इसके बारे में जो नियम है, वह मैं पढ़ देता हूं। इसमें यह है—

"it shall not ordinarily ask matters pending before the tribunal."

अगर प्रश्न ऐसा है कि उस वक्त किसी स्टेट्यूटरी ट्रिब्यूनल के सामने इन्क्वायरी पेन्डिंग नहीं थी तो इसको इर्रेलेवेन्ट नहीं कहा जा सकता और प्रश्न को पूछने की अनुमति दी जायगी। अगर चर्चा होने के बाद इन्क्वायरी पेन्डिंग हो जाती है तो सदन को विचार करने का अधिकार है, उससे सदन को वंचित नहीं किया जा सकता। मैं सदन के अधिकार को देखते हुए इसका इन्टरप्रिटेशन दूंगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

तीसरा इसमें यह है–

"It shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate any matter but may refer to matters concerned with procedure or subject........."

इसमें शब्द है 'ग्राडिनरीली' साधारणतया कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकता है। पब्लिक इम्पार्टेन्स का मामला हो और वह प्रश्न किसी स्टेट्युटरी ट्रिब्यूनल या किसी स्टेट्यूटरी ग्राथोरिटी के सामने पेंन्डिग हो तो ग्राडिनरीली इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन क्वश्चन की एडमिसिबिलिटी को डिटरमिन करने के लिये, ग्राडिनरी है या स्पेशल, यह रूल के परव्यू में नहीं माना जा सकता। इस इन्टरप्रिटेशन के ग्राधार पर और विवेक के ग्राधार पर मैं यह मानता हूं कि ट्रिब्यूनल में पेंन्डिग हो तब भी सदन को ग्रधिकार है चर्चा करने का, इस ग्रधिकार से सदन को वंचित नहीं किया जा सकता।

श्री शंकरलाल : रूल 32(22) भी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट्यूटरी ट्रिब्यूनल और स्टेट्यूटरी ग्राथोरिटी का जहां तक प्रश्न है, तो गवर्नमेन्ट बहुत से फक्शन्स डिस्चार्ज करती है, कलेक्टर ग्रलाटमेन्ट करता है, कलेक्टर कैन्सिल भी करता है। इसी तरह से स्टेट के बहुत से ग्रार्गन्स हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनके लिये नियमों में प्रावधान है। माइनिंग डिपार्टमेन्ट द्वारा लीज दी जाती है, और इस सम्बन्ध में कोई ग्रपील हो तो उसका डिस्पोजल भी किया जाता है। स्टेट गवर्नमेन्ट के कई ग्रार्गन्स हैं जो नियमों के ग्राधार पर कार्य करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राथोरिटी कार्य करती है तो क्या वह स्टेट्यूटरी ट्रियूनल या स्टेट्यूटरी ग्राथोरिटी की परिभाषा में आयेगा? मैं इस ग्राधार पर मानता हूं कि स्टेट्यूटरी ग्राथोरिटी और स्टेट ट्रिब्यूनल वही होते हैं जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत कान्सटीट्यूट किए जाते हैं। यदि ऐसा एक्ट है जिसके तहत स्टेट्यूटरी ट्रिब्यूनल माना गया है, स्टेट्यूटरी ग्राथोरिटी मानी गई है तो मैं इस बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट या ग्राथोरिटी डील कर रही है, वह क्या किसी स्टेट्यूटरी प्रोवीजन्स के ग्रन्दर कान्सटीट्यूट की गई है? क्या इस बारे में जो फैसले हैं उनमें हाई कोर्ट या सुप्रिम कोर्ट ने ऐसे ग्रधिकारी को स्टेट्यूटरी ग्राथोरिटी या स्टेट्यूटरी ट्रिब्यनल की परिभाषा में माना है?

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है वह है —

"if it is not likely to prejudice the consideration of the matters by the tribunal or commission or court of inquiry."

ग्रगर मामला ऐसा है या चर्चा इस तरह की हो सकती है जिससे कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कमीशन प्रिजुडिस नहीं होता है, तो इस तरह की चर्चा ग्रलाउ की जा सकती है।

Page No.51

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज सदन का मानस बनने से मंत्री महोदय का दिमाग निश्चित तौर से बनेगा, वह देवता नहीं है, राजनीतिज्ञ हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे सामने जो समस्या है उस पर मैं जरूर माननीय सदस्यों के विचार सुनना चाहूंगा, माननीय सदस्य कुछ कहना चाहेंगे · ·

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल जी की आपत्ति ठीक थी नियम 37 का उप नियम (22) पेज 15· ·

श्री मूलचन्द डागा : 'it shall not relate to any individual case के· · ·

श्री उपाध्यक्ष : इन्डिविजुअल केस है या नहीं ? इंडिविजुअल ऐसा होता है जिसमें स्टेट की पालिसी अफेक्ट होती है, एक्स चेकर अफेक्टेड है, बहुत बड़ा घोटाला है स्टेट के फाइनेन्सेज में, फंड्स के बारे में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है तो क्या आप यह चाहते हैं कि सदन में चर्चा उस संबंध में नहीं की जाय ? व्यक्ति विशेष का मतलब यह है कि पर्सनल मैटर इन्वाल्व हो, स्टेट फंड्स का कोई ताल्लुक नहीं हो ।

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिए, मैं अपनी व्यवस्था दूंगा । मेरी इस मामले में कोई पूर्व विचार-धारा नहीं बनी हुई है ।

मैं इंडिविजुअल मैटर को उसी तरह से लूंगा । जिसमें स्टेट के फाइनेन्सेज इन्वाल्व्ड हैं, पालिसी का मामला है जैसे स्टेट में रिटायरमेंट का मामला है, किस आधार पर रिटायरमेंट होगा, that is a policy matter अगर किसी व्यक्ति विशेष ने नियमों का उल्लघंन किया है तो I am not..

श्री मूलचन्द डागा : आप रूल 37 का (6) पढ़िए, क्लीयरली लिखा है :—

"It shall not ask as to the character or conduct of any person except in his official or public capacity, or reflection the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion;

अब इसमें केरेक्टर को आप चैलेंज कर रहे हैं । क्वेश्चन में है कि उसने धोखा दिया है · ·

श्री उपाध्यक्ष : करेक्टर और कन्डक्ट आफ पर्सन को देखना पड़ेगा, whether it is a policy matter and whether it affects the administration of the State.

श्री मदन सिंह दांता : इसकी इन्कवायरी नहीं हुई ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

मेजर श्री फतहसिंह : Whether he supports the policy of corruption in the State.

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं कि पूरी इन्कवायरी हो लेकिन एक तरीका है

(व्यवधान)

Page No.52

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सारे सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप फैसला दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सारे सदन को गुमराह किया जा रहा है। यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। 28 फरवरी, 1973 को इसी सदन में तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी कि इस अधिकारी का रिटायरमेंट 1974 में होगा। उस घोषणा के बाद यह किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, नीति का मामला है। एक बार निर्णय पर पहुंचने के बाद सरकार ने उस निर्णय को लागू नहीं किया। सरकार डार्क में है, सरकार की नीति डार्क में है न कि यह भंडारी का सवाल है। रूल 37 सब-रूल (22) में रखा गया है कि किसी व्यक्ति विशेष पर के सम्बन्ध में कोई सवाल उठाया नहीं जायेगा। यह ठीक है, लेकिन यह व्यक्ति का सवाल नहीं है, राज्य सरकार की नीति का सवाल है। एक बार रिटायरमेंट होने के बाद अब तक बिना आदेश नौकरी पर कैसे रखा गया? क्या अधिकार है इसको कि बिना आदेश के वह काम कर सके? यह सरकार के अधिकारों का दुरुपयोग है, यह इल्लीगल है...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अब तक किस अधिकार...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या कर रहे हैं? आप किसको बोलने के लिए अलाउ कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : यह रैलेवेंट प्रश्न नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरे पाइंट से सदन को हैल्प मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए !

श्री मदनसिंह दौता : ये नहीं बोल सकते जब आपने आदेश दिया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 28 फरवरी 1973 को घोषणा करने के बाद किस अधिकार से तत्कालीन मुख्य मंत्री ने...

श्री उपाध्यक्ष : सदन के समय को बचाइए, व्यर्थ में मत गंवाइए।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दौता : ये नहीं मानेंगे तो हम मनवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। व्यवस्था दी जा रही है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह मेरा इन्हेरेन्ट राइट है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, बार बार कहने के बावजूद आप बोलते रहते हैं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : इस आधे घंटे की चर्चा के विरोध में जो आपत्तियां पेश हुई हैं उन पर आप द्वारा निर्णय देने से पूर्व कम से कम मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया जाए।

(श्री गुरुशरण छाबडा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न उठाया।

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से व्यवस्था हो चुकी है। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुरुशरण छाबडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में एक प्रश्न पूछा और आज उस पर आधा घन्टे की चर्चा मैंने उठायी है। इस पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी आपत्ति उठायी है, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो आपत्तियां माननीय सदस्यों ने उठायी हैं उनमें केवल नियमों का हवाला ही दिया है। उन्होंने उस व्यक्ति के प्रति अपने व्यक्तिगत स्नेह के कारण या व्यक्तिगत स्नेह से प्रेरित होकर...

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। यह सरासर गलत है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से राजनैतिक आधार से प्रेरित होकर माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था ...

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आधे घन्टे की चर्चा उठायी है। इसमें मैंने जो भी सही जानकारी थी, वह दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में श्रम मन्त्री जी ने सदन में यह उत्तर दिया था कि श्रम मंत्री जी इस मामले की इन्क्वायरी कर रहे हैं। उन्होंने श्री भन्डारी को शो-काज नोटिस भी दे दिया है, पर मन्त्री महोदय की इतनी कार्यवाही से मुझे सन्तोष नहीं हुआ इसलिये मैंने यह आधे घन्टे की चर्चा सदन में उठायी है। राज्य सरकार ने जो शो-काज नोटिस दिया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं था।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह आपके सन्तुष्ट होने का सवाल नहीं है।

श्री गुरुशरण छाबडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने उस अधिकारी को रिटायर नहीं किया जो कि करना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य ! मैं आपकी भावना समझ गया हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अगर, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी ही बात है तो इस पर पूरी तरह से बहस हो जाये। माननीय सदस्य बेकार ही यह प्रश्न उठा रहे हैं। अगर इस तरह से यह आक्षेप करेंगे तो हम भी इनकी चोरियां खोलेंगे। इन पर आरोप लगायेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। आप बिराजिये, मदन सिंह जी। मुझे सुनने दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट निवेदन करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय श्री परसराम जी मदेरणा, विरोधी दल के नेता।

श्री परसराम मदेरणा : (नेता प्रतिपक्ष) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न को एडमिट करने का प्रश्न था कि इस प्रश्न को एडमिट किया जाय या नहीं, यह तो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। हमें उसके लिए कुछ नहीं कहना है। जब एक प्रश्न का औचित्य मानते हुए उसको आपने स्वीकार कर लिया तब बात अलग है। वैसे, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रश्न को, जो कि इन्डिविजुअल व्यक्ति के बारे में हो, रूल्स के प्रावधानों के अनुसार ज्यादातर एडमिट नहीं करते हैं। रूल्स आफ प्रोसीजर के अनुसार एडमिसिबिलिटी आफ क्वेश्चन पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कहना चाहूंगा। इस प्रश्न के औचित्य का जहां तक संबंध है यह प्रश्न सदन में पहली बार 9 सितम्बर को प्रश्नों की सूची में आया उस दिन इस प्रश्न को न लिया जा सका। उसके बाद में किसी दूसरे माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को पूछ लिया लेकिन उस वक्त तक इस प्रश्न के बारे में सूचना न आ सकी थी इसलिए यह प्रश्न सदन में स्थगित किया गया। फिर पोस्टपोन्ड क्वेश्चन की हैसियत से यह प्रश्न सदन में 26 सितम्बर, 77 को आया और इसका जवाब श्रम मन्त्रीजी द्वारा दिया गया श्रम मन्त्रीजी ने अपने उत्तर में यह बताया कि मैं इस मामले की इन्क्वायरी कर रहा हूं। उसके बाद में यहां पर दोनों तरफ के सदस्यों ने चार्जेज और काउन्टर चार्जेज लगाये। मन्त्री महोदय ने यह भी कहा कि मैंने उनको शो काज नोटिस भी दे दिया है। जब यह सारा मामला इस स्टेज पर था और शो काज नोटिस दे दिया गया था तो आधे घन्टे की चर्चा नहीं उठायी जानी चाहिये थी। लेकिन जब आधे घन्टे की चर्चा उठायी गयी, तो आपने यह आब्जर्वेशन दिया कि आधे घन्टे की चर्चा उठायी जा सकती है। मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय ने अपने 26 तारीख के उत्तर में यह कह दिया कि मैं इन्क्वायरी कर रहा हूं। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया कि उनको शो काज नोटिस भी दे दिया गया है। यह बात अलग है और दोनों बातों में अन्तर है। अब श्रम मन्त्री जी यहां पर ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठते है तब अलग बात है और जब उस केस में शो काज नोटिस देकर इन्क्वायरी करते हैं, तो उस समय वह क्वासी जुडिशियल आथोरिटी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में यहां पर यदि आप यह सारा केस डिस्कस करते हैं, तो उस इन्क्वायरी करने वाले व्यक्ति के प्रिजुडिस होने का खतरा बना रहता है। वह अपने माइन्ड को यहां पर तरह तरह की बातों से मेकअप कर लेता है तो न्याय होने की कम गुन्जाइश रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित प्रश्न इस सदन में सन् 1973 में आया था। उसके बारे में यहां पर उत्तर दिया गया था कि श्री भन्डारी के रिटायरमेन्ट की एज जो है वह सुपरएनुएशन एज 1974 में होगी। पर, उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कई मामले सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं गवर्नमेन्ट सर्वेंट की

(श्री परसराम मदेरणा)

सुपरएनुएशन एज के फिक्सेशन के लिये प्रिन्सिपल ग्राफ नेचरल जस्टिस बनाया हुआ है और कई केसेज में जजमेंट हुए हैं। उस तरह के जजमेन्ट्स हो जाने के बाद गवर्नमेन्ट को कोई अख्तियार नहीं है कि वह इस मामले में कुछ करे। इस अधिकारी ने भी इस बारे में सुनने के लिये कहा पर उन्हें सुनने का मौका नहीं दिया गया जब कि प्रिन्सिपल ग्राफ नेचरल जस्टिस की प्रक्रिया अपनाई जाकर उन्हें सुनने का मौका दिया जाना चाहिये। यह बात क्लियर है कि सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुपरएनुएशन एज के लिये जो डेट ग्राफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट में होती है वह फाइनल है। ऐसा फैसला हो चुका है। श्री भन्डारी की डेट ग्राफ बर्थ सन् 1942 में जोधपुर स्टेट के जमाने में सर्विस बुक में जो लिखी गई थी वह मेट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखी गयी थी और वह सही मानी जानी चाहिये। इसी प्रकार का प्रश्न एक सुप्रिम कोर्ट के अन्दर राजस्थान गवर्नमेंट वर्सेज श्री गणेशदत्त छंगाणी का था जो कि इसके पहले सन् 1968 में आया था। उसमें फैसला हुआ था कि जो पर्सनल फाइल में डेट ग्राफ बर्थ लिखी हुई है वह अगर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखी एज से डिफर करती है, तो जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में एज दी हुई है वह सही मानी जायेगी। इस फैसले के अन्तर्गत ही गणेशदत्त छंगाणी को वापस नौकरी में लिया गया था। गवर्नमेन्ट ने अपने फैसले को ठीक किया। तो ऐसे मामले रीसैटल होते हैं और हाई कोर्ट के व सुप्रिम कोर्ट के फैसले ऐसे मामलों में दिये गये हैं और गवर्नमेंट ने अपने फैसले में रूल सात के नीचे ठीक किये हैं। अब मौजूदा प्रश्न को आपने जब एडमिट कर लिया और यहां पर बोलने की अनुमति भी दे दी सभी को तो रूल 37 के अन्तर्गत नहीं बल्कि रूल 49 के अन्तर्गत आपने अनुमति दी। इस प्रश्न के उत्तर में यह कह दिया गया है कि उस व्यक्ति को शो-काज नोटिस भी दे दिया गया है और गवर्नमेन्ट की यह पोलिसी है। हमारे सर्विस रूल्स जो ग्रार.एस.ग्रार, है उसका रूल सात है उसमें श्रम मन्त्रीजी जांच कर रहे हैं, यानी यह क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। फिर भी आपने आधे घन्टे की चर्चा उठादी। अब मेरा निवेदन यह है कि इसके ऊपर यहां पर डिस्कशन नहीं होना चाहिये। अगर किसी माननीय सदस्य को कुछ भी फैक्ट्स इसके बारे में देने हों तो वह मन्त्री महोदय को दे दें, कोई डाकुमेन्ट्स या कोई दस्तावेज हों तो आप जो इन्क्वायरी कर रहे हैं उनके सामने पेश करें। अगर किसी माननीय सदस्य को किसी भी तरह का प्रूफ देना हो, तो जो इन्क्वायरी कर रहे हैं उनके सामने पेश करने चाहिये ताकि वह उस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखकर फैसला करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में यहां इतनी चर्चा उठाने की आवश्यकता नहीं थी। हम यहां पर रूल 37 (22) या 37(6) की बात नहीं कर रहे हैं। यह प्रश्न आधे घण्टे की चर्चा का उस वक्त उठाया जा रहा है जब कि उस व्यक्ति को शो-काज नोटिस दिया जा चुका है, उसके खिलाफ में इंक्वायरी मंत्री महोदय खुद कर रहे हैं। जो क्वासी जुडिशियल मैटर है जो कि सीज्ड है उसके अन्दर इन्क्वायरी करने वाली आथोरिटी के प्रिजुडिस होने की गुंजाइश रहती है इसलिए

(श्री परसराम मदेरणा)
मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के प्रश्न जिसमें शो-काज नोटिस दिया जा चुका हो, इन्क्वायरी चल रही हो, पर आधे घण्टे की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं, श्रीमन्, वह रूलिंग पेश करना चाहता हूं जिसका हवाला अभी दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह रूलिंग आप भिजवा दीजियेगा।

श्री मूलचन्द डागा : संविधान के अनुच्छेद 309 और 312 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सर्विस रूल्स फ्रेम हुए हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बार बार आप बोल रहे हैं, माननीय सदस्य!

श्री मूलचन्द डागा : आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री ईश्वर चन्द्र : दो मिनिट का समय मुझे दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स के अन्दर इन्क्वायरी हो रही है और सदन की टेबल पर मैंने कापी रखी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष । माननीय सदस्य, बिराजिये। संक्षेप में ही कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : वह सर्टिफाइड कापी पेश की है। माननीय मंत्री महोदय कंटेस्ट करते हों कि इन्क्वायरी नहीं हो रही है तो बात अलग है। नहीं तो, न्याय के सारे सिद्धांत खत्म हो जावेंगे और हमारी जो असेम्बली है यह प्रिजुडिस कर देगी न्याय को। एक तरफ न्याय हो रहा है और दूसरी तरफ डिस्कशन पर तुले हुए हैं। इस पर आप और गौर फर्मायें। अगले महीने के लिये रख लीजियेगा। इसको गौर से देखियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : काफी हो गया। रूलिंग आप भिजवा दीजियेगा।

बहुत संक्षेप में।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। किसी के चरित्र हनन का कोई मामला नहीं है। प्रशासन के शुद्धिकरण का मामला है। माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि पूर्वाग्रहीत है। यह बात नहीं है। अच्छे आफिसर हो सकते हैं। सवाल यह नहीं है।

(व्यवधान)

एक मिनट आप सुनने की कृपा करें।

(व्यवधान)

आप किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : फैक्ट्स पर नहीं जाना चाहिये।

श्री ईश्वर चन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से एक प्रशासनिक मामले में क्या घोटाले हुए हैं उससे सरकार की नीति में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे कितने ही मामले हैं। यह एक बुनियादी सवाल

(श्री ईश्वरचन्द्र)

उठाया गया है। इसकी एडमिसिबिलिटी पर आपने निर्णय दे दिया। 23-9-77 को नियोजन मंत्री ने जो जवाब दिया है वह मैं पढ़ देता हूं। आपने पढ़ा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप कह दीजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। सबको मौका मिलेगा।

श्री ईश्वर चन्द्र : इसमें उन्होंने यह कहा है कि "राज्य सरकार ने 13-10-1969 को नोटिस दिया था तब उन्होंने रिप्रजेन्टेशन पेश किया कि सर्विस बुक की डेट को सुपरसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। तब जो रिटायरमेंट का नोटिस दिया गया था वह निरस्त कर दिया। तब यह मसला एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को दिया गया। जांच की रिपोर्ट आ गई है। इस माह के अन्त तक फैसला दे देंगे।"

23–9–77 को मंत्री महोदय ने यह फर्माया। उस रोज यह निश्चय हुआ कि आधे घण्टे की चर्चा इस पर उठायी जाय। अब सदन को सरकमवेन्ट करने के लिये कहें कि कोई नोटिस शो–काज का दे दिया···

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हाफ एन आवर पर नोटिस नहीं दिया जाता।

श्री ईश्वर चन्द्र : आप सुनिये, यह आपकी समझ से बाहर है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अब तो नेक्स्ट असेम्बली में उठाइये।

श्री ईश्वर चन्द्र : क्लाज 3 में साफ है, स्पष्ट है। यह प्रश्न एडमिट किया है आपने। उस बीच में कार्यवाही भी की जा सकती है। यह बताया गया है कि सदन में ऐसे प्रश्नों को उठाने में बाधा नहीं है। माननीय सदस्य कांग्रेस के व्यवधान पैदा करेंगे तो सारी इन्क्वायरी दूसरे लोग करते रहेंगे और हम यहां बैठे तमाशा देखेंगे। इसलिये इस पर विचार करने दीजियेगा। इसमें आपके घबराने की कौनसी बात है?

श्री मदनसिंह दांता : प्रिजुडिस न हो न्यायालय।

श्री ईश्वर चन्द्र : ज्युडिशियल इन्क्वायरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप काफी कह चुके हैं।

श्री शंकरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के विरोधी दल के माननीय नेता ने रूल 49 का हवाला दिया है। उसमें यह लिखा है : "अध्यक्ष आधा घंटा ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिये नियत करेगा जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रह चुका हो···"

इसमें यह लिखा है कि यह आवश्यक हो तो। 49 के तहत भी जब इन्क्वायरी शुरू

(श्री शंकर लाल)
हो गयी है तो चर्चा की बात कहां आती है। इन्क्वायरी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुझाव मांगा। जो सुझाव देना चाहते थे, दे दिये। बात फैक्ट्स की आयी। जैसा माननीय परसरामजी ने कहा कि इससे मामला प्रिजुडिस हो जावेगा इसलिये हाफ एन आवर का डिस्कशन इस पर नहीं रखना चाहिये। श्रम मंत्री जी ने माइंड एप्लाई कर दिया है। इन्क्वायरी शुरू कर दी है। सरकार इसको देखेगी। अगर हाउस निर्णय कर दे तो क्या इस आफिसर को निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं, तो चर्चा अलाऊ करिये। इसकी कोई मंशा नहीं है इसके सिवाय।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह जो चोतरफ से बहस चल रही है इसमें विरोधी दल के माननीय नेता ने इस बात को माना है कि 1942 से 1966 तक जन्म तिथि एक लिखी है और उसके बाद जन्मतिथि को बदला है। आर्बिट्रेरी बदला गया है . . .

श्री मूलचन्द डागा : यह नहीं कहा कि आर्बिट्रेरी बदली है। यह गलत बात कह रहे है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : 1942 में जोधपुर राज्य सरकार को जो जन्म तिथि दी वह ही लिखि थी। 1942 में उनकी जन्म तिथि को बदल गया न कि 1966 के बाद। जब यह जन्म तिथि बदली बकौल माननीय मदनसिंहजी . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था के सम्बन्ध में जो आपत्ति की है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री बजरंगलाल शर्मा : श्रीमान्, मेरे मन्तव्य को मेरे कहने से पहले ही और मेरी बात को बिना कहे ही समझने की क्षमता होती तो मेरी जय जयकार होती। मैं मेरी अक्षमता के कारण दो मिनट लूंगा।

एक बार रिप्रेजेन्टेशन किया कि जन्म तिथि मुझे बिना सुने बदल दी गयी। सुपरएनुएशन का नोटिस सरकार ने वापस ले लिया और विचार करके फैसला ले लिया। सरकार का हुक्म हुआ इसलिये हुआ। अब सवाल यह है कि मि. भंडारी गलत हैं या सरकार ने गलत तरीके से फैसला किया। जिस अधिकारी ने गलती की, उसकी जांच भी जरूरी है। आपने कहा कि शो-काज नोटिस दे दिया। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं सोचते कि नोटिस निरस्त करने की भी कार्यवाही की। उस पर भी चर्चा हो सकती है। वह तो किसी इन्क्वायरी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। अगर हम वर्स्ट सिचुएशन लें तो भी अधिक से अधिक . . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : उस अधिकारी के खिलाफ यहां चर्चा आधा घंटे की नहीं हो रही है जिसने नोटिस को विथड्रा किया। आप बहुत चतुराई के साथ कह रहे हैं . . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीच बीच में बोलकर सदन के समय को इस प्रकार खराब किया जा रहा है।

Page No.59

श्री प्रद्युम्न सिंह : बहुत चतुराई के साथ सिचुएशन को ओपन कराना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे वकील हैं। आपको दाद देता हूं !

श्री बजरंगलाल शर्मा : कभी कमाई तो कराई नहीं आपने।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो पहलू हैं और सारा मामला हाउस के सामने है। जैसा श्री ईश्वरचन्द्र ने कहा कि प्रशासन ने जिस तरह से फंक्शन किया है · · ·

श्री मदनसिंह दांता : चीफ मिनिस्टर वक्तव्य दे देंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि भण्डारी जी का ही मामला होता और लिमिटेड मामला होता तो बात दूसरी थी। लेकिन ऐसे प्रश्न पर पहले भी विषद रूप में विचार हुआ है। श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा खेती की जमीन हथियाने का मामला आया। उस समय हमारे आज के मुख्य मंत्री ने यह मामला उठाया था। तब इस बात पर बहस हुई कि कलेक्टर कोटा ने सुओ-मोटो उसके रिवीजन का और एग्जामिन करने का नोटिस दिया। उस समय हाउस में विषद बहस हुई इस मामले पर। हालांकि वह आधा घन्टे की बहस थी लेकिन उस पर एक घन्टा बहस हुई, दो घन्टे बहस हुई। उस समय हमारे माननीय रामनिवास जी मिर्धा अध्यक्ष थे · · ·

श्री मूलचन्द डागा : वह पढ़िये, साहब ! कोट कीजिए आप बिना मतलब नहीं कह सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वह नोटिस कलेक्टर कोटा ने दिया था और यहां जो नोटिस दिया गया है वह आर्टीकल 11 के पार्ट (2) में दिया है। यह नोटिस उस नोटिस से कहीं ज्यादा वजनदार है। इसलिए मेरा निवेदन करना है बावजूद वजनदार नोटिस होते हुए कि इस बारे में सारे प्रास एण्ड कान्स को, रूलिंग को एग्जामिन किया गया या नहीं ? वह रूलिंग आज तक निगाह में लाई गयी है या नहीं लाई गई है ? उस रूलिंग का भी मुलाहिजा कर लें और इस आस्पेक्ट को भी देख लें कि एक बार शो काज नोटिस हो चुका है लेकिन गवर्नमेंट की कार्यवाही सही रही या गलत रही, यह किसी क्वासी-जुडिशियल प्रासीडिंग्स का भाग भी आज की तारीख तक नहीं है . . .

श्री मूलचन्द डागा : आज है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कौन सी का है?

श्री मूलचन्द डागा : उसकी सर्टिफाइड कापी पेश की है। मैंने कहा कि सदन की मेज पर रख रहा हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की प्रोपराइटी किसी क्वासी जुडिशियल प्रासीडिंग्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है इसलिये इस हाउस में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहीं कोई कानूनन बाधा मेरी विनम्र राय में नहीं है। बाकी विरोधी दल के नेता ने बात कही शायद दूसरे आस्पेक्ट रहे हों, विरोधी दल के माननीय नेता के निगाह में हैं। वैसे आप सब को पता ही है कि आई.ए.एस. आफिसर

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

के नीचे के दोषों की बात मैं कहता नहीं हूं, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अगर इस-मसले पर विचार किया जाये तो श्री तेजकुमार जी का दोष पाया जायेगा और इसमें भण्डारी जी का दोष सैकन्डरी बात रह जायेगी। इसलिये आप उस आफिसर की प्रोपराइटी को एग्जामिन करायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक आफिसर के ऊपर फिर चार्ज लगा रहे हैं। उनका फिर दिमाग खराब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें भण्डारी जी दोषी नहीं हैं और वह दोषी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री शंकरलाल : जो इन्क्वायरी हो रही है उसके बाद ही डिसीजन होगा कि कौन अधिकारी दोषी है, तब ही मालूम पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

श्री ईश्वरचन्द्र : प्रश्न भण्डारी जी का नहीं है।

श्री शंकरलाल : यह तो फैसला होने के बाद ही पता लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्ट्रप्शन मत कीजिए। काफी चर्चा हो चुकी है और सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं कि इस संबंध में उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जो भी विचार मेरे सामने आ चुके हैं, इस प्रश्न पर चर्चा हुई वह मैंने सुनी और आपके विचार सुने। मेरी व्यवस्था है कि जो हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए यहां मोशन दिया गया है वह रूलस के मुताबिक ग्राह्य है। मैं उस पर चर्चा की इजाजत देता हूं। जो कारण हैं वह मैं लिखित में बाद में सदन को बता दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आपने आधा घन्टे की चर्चा के लिये समय देने का तय किया है। आपका आदेश है उसका पालन करेंगे लेकिन . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो चर्चा आरम्भ ही नहीं की गयी और पहले ही आपने पाइन्ट आफ आर्डर उठा दिया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसमें केवल कानून की ही बात होती तो मान लेते कि चर्चा शुरू नहीं हुई लेकिन कानून के साथ ही साथ····

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी का लिमिटेड समय का मोशन मूव हो जाता है उसके बाद उस पर व्यवस्था संबंधी प्रश्नों को निपटाने में ही लिमिटेड टाइम निकल जाता है। इसलिए मैं कोई भी इस पर डिस्कशन अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गुरूशरण छाबड़ा।

आधा घन्टे की चर्चा

निदेशक नियोजन सेवा की जन्म तिथि का मामला (तारांकित प्रश्न संख्या 110)

श्री गुरूशरण छाबड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्थान में जो बहुत बड़ा षडयंत्र और भ्रष्टाचार का मामला है उसको उठाने और उस पर आधा घन्टे की चर्चा करने का मुझे अवसर दिया। कांग्रेसी माननीय सदस्यों की आपत्तियों को रद्द करके जो आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अपने विषय पर आ जाइये।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। इस प्रश्न पर अनेक बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है और अनेक बार सरकार जवाब दे चुकी है। राजस्थान के अनेकों समाचार पत्रों में इस बात का मुखपृष्ठ पर उल्लेख हुआ है कि वर्तमान में जो नियोजन सेवा के डाइरेक्टर हैं श्री भण्डारी वह एक छोटे से कर्मचारी थे, नगरपालिका में एक छोटे से क्लर्क थे। किस प्रकार से वह डाइरेक्टर के पद पर पहुंचे, किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, किस प्रकार से किन किन लोगों ने उन्हें इस पद तक पहुंचने में सहयोग दिया इसका मैं उल्लेख करूंगा।

सबसे पहले तो मेरा मूल प्रश्न यह है श्री भण्डारी जी 1974 में रिटायर होने वाले थे उनकी अवधि जन्म-पत्री को आधार मान कर साल भर बढ़ा दी गयी जो कि गैर कानूनी था। श्री भण्डारी जी ने स्वयं स्वीकार किया है और उनके पूज्य पिता जी ने जब उनको 1924 में विद्यालय के अन्दर प्रवेश कराया था तो उस समय लिखित रूप में दिया था कि मेरे पुत्र की डेट आफ बर्थ अक्टूबर, 1919 है। उसी आधार पर वह 1974 में रिटायर होने वाले थे। इसके अतिरिक्त स्वयं भण्डारी जी ने, जब वह राज्य सेवा में आये, अपने हाथ से यह लिख कर दिया था कि उनकी डेट आफ बर्थ 1919 है। मुझे मालूम नहीं किस प्रकार से सर्विस बुक के अन्दर 1919 के बजाय 1923 की गयी····

श्री उपाध्यक्ष : बहुत संक्षेप में बोलें। आधा घण्टा आप ही ले लेंगे तो कैसे चर्चा होगी?

श्री गुरूशरण छाबड़ा : इसके अतिरिक्त श्री भण्डारी जी ने एक स्कूटर भी खरीदा था। उस स्कूटर को खरीदते वक्त उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी डेट आफ बर्थ 1919 है और 1974 में रिटायर होने वाले हैं। राज्य सरकार ने सदन को बताया था कि श्री भण्डारी की डेट आफ बर्थ 1919 है और अक्टूबर 74 में रिटायर होंगे। इसी आधार पर एक नोटिस जनवरी 1974 में श्री भंडारी को राज्य सरकार की तरफ से दिया गया कि 14–10–74 को श्री भण्डारी रिटायर हो रहे हैं। 14–10–74 को श्री भंडारी के रिटायरमेंट की आखिरी अवधि थी, राज्य सरकार के एक सर्क्यूलर के मुताबिक महीने के अन्तिम दिन उनको रिटायर होना चाहिए था। 31 अक्टूबर, 74 को रिटायर होना चाहिए था। उसी दिन एकस्मात न मालूम किन लोगों के सहयोग से श्री हरिदेव जोशी जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, ने उनकी डेट आफ बर्थ 1919 के

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)
बजाये 1923 कर दी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। श्री जोशी के सैक्रेटरी थे वह श्री भंडारी के रिलेटिव थे, उनकी साली के लड़के थे, उन्हीं के प्रभाव के कारण जिस दिन 31 तारीख को, चार्ज देना था, उसी दिन उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख चार वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस पर्पज के लिये····

श्री गुरुशरण छाबड़ा : मुझे आधा घंटे का समय दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटे की कुल चर्चा है। आधा घंटा आप स्वयं ले लेंगे तो और प्रश्न कैसे होंगे।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : चार वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई। यह केस व्यक्तिगत बताया जा रहा है। मेरी समझ में यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। अनेक अधिकारियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार हुआ है जिनकी एप्रोच थी उनको गलत तरीके से प्रमोशन दिया गया है। मैं चाहूंगा कि श्री भण्डारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो। विधान सभा की कमेटी बनाकर या सी.बी.आई. द्वारा जांच करवाई जाये। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो ताकि जनता पार्टी की सरकार के आश्वासन की पूर्ति हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जायें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि अब श्री भण्डारी के रिटायर होने में केवल 8 महीने बचे हैं। जिस प्रकार डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चली, यदि उसी प्रकार से चली तो 8 महीने का समय भी निकल जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अविलम्ब जांच होनी चाहिये और जांच स्वरूप श्री भण्डारी को सस्पेंड किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बातों को दोहराइये मत।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय ठाकुर श्री मदन सिंह जी दांता ने इस बात का ठोस शब्दों में उल्लेख किया था····

श्री उपाध्यक्ष : इस बात की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : अभी भी कह रहा हूँ, ईमानदार हैं।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : भ्रष्ट अधिकारी हैं। सदन के सामने, यदि आप मुझे समय दें...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : ...नींद हराम हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों की भावनाओं के अनुसार चलिए।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : मैंने श्री भण्डारी के दर्शन नहीं किये लेकिन मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि जो गम्भीर आरोप लगायें हैं वह शत प्रतिशत सही हैं। एक भी गलत साबित करें, तो मैं मानने को तैयार हूँ। ठाकुर मदन सिंह दांता...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जायें।

श्री मदनसिंह दांता : भण्डारी खानदान बिल्कुल पवित्र खानदान है।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भण्डारी का खानदान सही हो, पवित्र हो लेकिन मैं दावे के साथ कहना हूँ कि श्री आर. एन. भण्डारी स्वयं पवित्र नहीं हैं अगर आप उदाहरण चाहें ...

श्री मदनसिंह दांता : क्या बात हो रही है, जो आफिसर बोल नहीं सकता ..

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम देखिये। आप सीनियर सदस्य रहे हैं, बीच में आप नहीं बोल सकेंगे।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कह चुके हैं। जिस आधार पर बोलना चाहते हैं उसका पर्पज...

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : पवित्र और अपवित्र की आवाज नहीं बचेगी। आपके कारनामे मेरे पास हैं मैं समय मिलने पर रखूंगा, आप झुंझलाते हुए नजर आयेंगे।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : यह व्यक्तिगत नहीं है...

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : आप लोगों के कारनामे ...

(व्यवधान)

....टांग के नीचे से निकाल दिये

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक माननीय सदस्य को दुत्कार रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री भण्डारी आपके क्या लगते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कह चुके हैं। क्या यह पर्याप्त नहीं है ? आप और कहना चाहें, तो मुझे आपत्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

माननीय गुप्ता जी, आप बार बार उठकर व्यवधान न डालें।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो ये शब्द "टांग के नीचे से निकाल दिया" प्रयोग किये हैं, ये शब्द कार्यवाही से निकाले जायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कार्यवाही देखूंगा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : मुझे खेद के साथ कहने के लिये विवश होना पड़ रहा है

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या मैं इसी तरह से आसन की अवहेलना करते रहेंगे, सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा : बहुत ही वरिष्ठ माननीय सदस्य ने इस बात के लिये व्यक्तिगत आक्षेप हम पर लगाये हैं। क्या हमें बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है ? मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि यदि हमारे ऊपर कोई आरोप हों तो सदन में लगायें। श्री भण्डारी को बचाने के लिये उन्होंने जो उनके परिवार के लिये कहा है हो सकता है उनका परिवार शुद्ध हो लेकिन श्री भण्डारी, जिनके ऊपर सदन चर्चा करने जा रहा है, किस प्रकार से···

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को यह जानकारी दे दें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : किस प्रकार से हस्ताक्षर किये ? बाद में यह कहा कि मेरे साइन नहीं है। तब एक्सपर्ट की रिपोर्ट ली गई की रिपोर्ट पर 1600) रु. राज्य सरकार का खर्चा हुआ। एक्सपर्ट ने कहा कि यह भण्डारी के हस्ताक्षर हैं। मैं कह सकता हूं कि भण्डारी ईमानदार नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं नहीं मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदार माना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, कृपया बिराज जायें।

(व्यवधान)

कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप सबको यह कहें कि कोई किसी का नाम न लें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ईश्वर चन्द्र : आप मुझे पांच मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों में देख लीजिये। जिस माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उसी को परमिट करते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मुझे अधिकार है बोलने का।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बुनियादी प्रश्न है वह तो बताया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : जिस पर्पज से रखा है, उसको समझ कर माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र : इसमें जो बुनियादी सवाल है, वह तो आया ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को समझा देते आप। उन्होंने सब कुछ कह दिया है। वे कोई बेवकूफ नहीं हैं। अब आप बिराज जाइये।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हैं? बिराज जाइये।

एक माननीय सदस्य : मैंने स्थगन प्रस्ताव 4–5 दिन पहले दिया था। वह क्यों नहीं आया?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब, ढाबरिया साहब, आप उनको भी बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाइए, माननीय सदस्य।

श्री रंगजी : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मालूम होना चाहिए मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए खड़े हैं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, हाफ एन आवर डिस्कशन के दौरान श्री भण्डारी के करेक्टर व इन्टेग्रिटी के बारे में जो शब्द कहे गये हैं, मैं उनको ठीक नहीं समझता हूं। प्रश्न है डेट आफ बर्थ कौनसी मानी जाय। जोधपुर स्टेट में, मान्यवर, हैल्थ इन्सपेक्टर की पोस्ट पर उनका फस्ट अपाइन्टमेंट हुआ है, वह हुआ 7–10–42 को। उस समय की सर्विस बुक में जो डेट आफ बर्थ लिखी है वह 23 जून, 1923 है। मान्यवर, उनके फादर ने सरदारपुरा के जोधपुर स्कूल में एडमीशन दिलाया था फिफ्थ क्लास में तब उनकी डेट आफ वर्थ 3–6–1919 लिखाई थी। उनके फादर ने अपने सेकिन्ड सन की जो डेट आफ बर्थ लिखाई वह थी 31–10–1921। जब एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज ने उनका डेट आफ बर्थ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा और कहा कि जिन एम्पलाइज को अपनी डेट आफ बर्थ करेक्ट करानी है वे मैट्रिक का सर्टिफिकेट पेश करें, उस समय भण्डारी ने दो लैटर दिये हैं एक तो 17–12–61 को और दूसरा 28–12–61 को। उन लैटर्स में श्री भण्डारी ने अपनी डेट आफ बर्थ 3–6–1919 मानी है। उसके बाद जब स्कूटर के लिए एप्लाई किया तब भी यह कहा, मेरी डेट आफ रिटायरमेंट 1974 की है। इसके अलावा, मान्यवर, राज्य सरकार ने उसका हवाला दिया। 23–3–1966 को, राज्य सरकार ने उनकी डेट आफ बर्थ 1919 मानते हुए शो–काज नोटिस दिया, तब श्री भण्डारी चुप रहे। जब रिटायरमेंट का नोटिस दिया गया और रिटायरमेंट 31–10–1974 को होना था उस दौरान अपना रिप्रेजेन्टेशन पेश किया। उसको लॉ डिपार्टमेंट ने एग्जामिन किया, उसकी जांच की और यह सोचा गया कि उनकी डेट आफ बर्थ 19-6-1923 ही मानी जाय, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को सुपरसीड करने का अधिकार नहीं है उसको उस समय मंजूर कर लिया। ये तो केस के सिम्पल फेक्ट्स हैं। मगर 26 तारीख को जिस आधार पर राज्य सरकार ने सर्विस रूल्स के तहत नोटिस दिया है, रूल 7 के अनुसार इसका मेन कारण

(श्री केदारनाथ)

यह है कि उनके फादर ने जब प्रवेश कराया पाँचवी क्लास में तब उनकी डेट आफ बर्थ लिखाई, 1919। दूसरे, जिस लैटर का हवाला दिया 1961 में एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज को जो लैटर लिखे। और तीसरे जब स्कूटर के लिये एप्लाई किया उसमें डेट आफ बर्थ दी थी उस बिना पर नोटिस दिया। नम्बर एक। दूसरे, जो एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट है, उसके बिना पर इनकी डेट आफ बर्थ तय हुई 1919। उसकी बिना पर नोटिस दिया है। अब मैं समझता हूं इसके बाद सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। अब जो रिपोर्ट आयेगी उसके बाद इन फैक्ट्स को देख लेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक सवाल पैदा हुआ है···

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में वे ही प्रश्न पूछ सकेंगे जो मुझ से अनुमति लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 1961 के जिन दो लैटर्स का हवाला दे रहे हैं उनमें उन्होंने अपनी डेट आफ बर्थ 3-6-1919 एडमिट नहीं की है और यह कहा है कि जो भी सरकार पालिसी निर्धारित करे उसके अनुसार वह डेट आफ बर्थ मानी जाय? नम्बर 11 नवम्बर 2 क्या यह सही है, कि सिविल लिस्ट जो सन् 1958 में पब्लिश हुई है उस लिस्ट में भी इनकी डेट आफ बर्थ 19-6-1923 एन्टर है? क्या यह भी सही है कि जब इन्होंने पहले डेट आफ बर्थ के बारे में रिप्रेजेन्टेशन किया था उस वक्त उनको नोटिस सर्व नहीं किया था और लॉ डिपार्टमेंट ने यह रेफर किया था कि 1961 में जो दो लैटर्स दिये थे उनकी इबारत से यह ध्वनि निकलती है कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में डेट आफ बर्थ 1919 है लेकिन सर्विस बुक में 1923 है, तो क्या डेट आफ बर्थ मानी जाय? क्या लॉ डिपार्टमेंट ने प्रिन्सिपल आफ नेचरल जस्टिस को आब्जर्व नहीं किया था?

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह सही है कि यह लिखा कि डेट आफ बर्थ 1923 मानी जाय किन्तु लैटर में राज्य सरकार की पालिसी पर छोड़ दिया था। मान्यवर, सन् 1942 में इनका फर्स्ट अपाइन्टमेंट हुआ है लेकिन न सर्विस बुक में कोई एन्ट्री है, न कोई किसी तरह का रिकार्ड है और न कोई जोइनिंग रिपोर्ट का हवाला है। लैटर्स जो दो दिये गये हैं उनमें भी इनकन्सिस्टेन्सी मिलती है, उनके स्कूल के रजिस्टर में, उनकी सर्विस बुक में, उसके बाद स्कूटर के लिये एप्लाई किया उसमें लगातार इनकन्सिसटेन्सी मिलती है। इसलिये डेट आफ बर्थ का आधार माना है वह मैट्रिक का सर्टिफिकेट है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी ने और श्रीमती मदन कौर ने बोलने की स्वीकृति चाही है। इसलिये मैं इनको ही इजाजत दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : और मैने भी मांगी है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में और सर्विस बुक में जन्म तिथि में विरोधाभास है उसके सम्बन्ध में राजस्थान की हाई कोर्ट के 68 आर. एल. डब्ल्यू. में रूलिंग है कि

(श्री शंकरलाल)

अगर सर्विस बुक और पर्सनल फाइल में डेट आफ बर्थ की एण्ट्री नहीं है, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट में दी गई डेट आफ बर्थ सही मानी जाय ? और सर्विस बुक में एन्ट्री होती है उसको सही माना जाय? क्या यह भी सही है कि अपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेंट का सर्क्यूलर एफ. 8 (33) अपाइन्टमेन्ट / 38 डेटेड 28–4–58 है उसके अन्दर भी इसका हवाला दिया था और यह आज्ञा जारी की थी:––

"The correct procedure is that, So far as the date of birth is concerned, the entry given in the service book of a government servant should be adhered to, failing which the date of birth given int he personal file should be accepted. If there is no service book or persona file, or no entry is available in either of them the date of birth given in the school certificrate may be taken as the authentic date of birth."

तो, यह आपका खुद का सर्क्यूलर है कि अगर सर्विस बुक में डेट लिखी हुई है, तो वह सही मानी जाएगी। अगर उसमें डेट नहीं है, तो जो पर्सनल फाइल में डेट आफ बर्थ दी हुई है उसको सही माना जाएगा। अगर उसमें भी नहीं है, तो फिर मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो डेट दी हुई है उसको माना जाय। इसलिए यह विरोधाभास होना नहीं चाहिए। क्या यह भी सही है कि जो सर्विस बुक श्री भंडारी की है, भूतपूर्व जोधपुर राज्य के अंदर 1942 में जो इनकी सर्विस बुक थी उसके अन्दर डेट आफ बर्थ 1923 लिखी हुई है ? क्या यह भी सही है कि सन् 1959 से लेकर 65 तक जो आपकी सिविल लिस्ट निकली है अफसरों की, उन सब के अन्दर भी उनकी डेट आफ बर्थ सन् 1923 की है ? क्या यह भी सही है कि आपके लॉ डिपार्टमेंट ने 27-6-74 को मामला एग्जामिन करके

(म.प. 2.23)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

जितनी बातें लिखी उनमें भी डेट आफ बर्थ सन् 1923 ही है ? क्या यह भी सही है कि एण्टी-करप्शन ने भी इनके खिलाफ कोई एण्टी करप्शन का मामला नहीं माना है ? क्या यह भी सही है कि यह जो भी डेट आफ बर्थ का मामला उठाया गया है, उसका कारण यह है कि डिपार्टमेंट के अन्दर, जैसा कि हमने अखबारों में पहले भी पढ़ा है और आज भी पढ़ा है, तीन असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एक पालीवाल, एक रायजादा, उनके बीच में आपके खुद के चैम्बर में आपके सामने ही हाथापाई हो गई थी ? आज अखबार में निकला है उसमें लिखा है कि आपके चैम्बर में डायरेक्टर भी थे और इन असिस्टेंट डायरेक्टर्स में तू-तू–मैं-मैं हुई। इन लोगों के, तीन लोगों के, प्रमोशन के केस डी.पी सी. में तय होने वाले हैं क्योंकि डी. पी. सी. में डायरेक्टर आफ एम्पलायमेंट बैठते हैं और वे सारी चीजों को, सारी बातों को जानते हैं इसलिए उनके आपसी मामलों के कारण इस प्रश्न को सदन में उठाने की इस प्रकार की साजिश की गई है ताकि डी. पी. सी. में मामला जाने से पहले ही इनको किसी तरह से निलम्बित करवा दिया जाय, सस्पेंड करवा कर हटा दें ? इस साजिश की वजह से यह सारी कार्यवाही हो रही है ? मंत्री

(श्री शंकर लाल)
महोदय, आपने जो सारी बातें कही हैं उनके अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो अखबार में निकला है, जो हमको भी दिया गया है जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं, तो क्या कोई ऐसी शिकायत भी आपके पास आई है ?

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री केदारनाथ : जिस अखबार का माननीय सदस्य ने हवाला दिया है उस अखबार के अन्दर क्या निकला है और क्या नहीं निकला है उसका उत्तर देना मेरे लिए यहां सम्भव नहीं है और न ही इसके स्कोप में यह आता है। मेरे चेम्बर में कोई हाथापाई आपस में होने की बात कही है वैसी कोई हाथा पाई नहीं हुई, होट वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, ओब्जेक्शन रेज किये जा सकते हैं, इन्टर पोलिटिक्स भी उनकी हो सकती है लेकिन मेरे चेम्बर में कोई हाथा-पाई आपस में नहीं हुई।

श्री शंकरलाल : आपके पास अखबारों की कटिंग तो आती होगी ?

श्री सभापति : पहले बोलने दीजिए।

श्री केदारनाथ : मेरे पास आती होगी लेकिन इस मोशन पर हुई डिबेट में अखबारों में छपी बातों का जवाब देने का अवसर नहीं है और न मैं इसको उचित ही समझता हूँ। सर्विस बुक में न तो डेट आफ बर्थ है न उनकी एप्लीकेशन का हवाला है। डेट आफ अपोइन्टमेंट है। केवल उनकी जोइनिंग रिपोर्ट का हवाला है, नम्बर एक। एट दी वेरी फेस जो इनकंसिस्टेंसी है वही बेसिस है शक करने का। इसके अलावा जैसा माननीय सदस्य ने हवाला दिया है हाई कोर्ट के 68 आर. एल. डब्ल्यू को उसमें कन्क्लूसिव आथोरिटी नहीं माना है, कंक्लूसिव डाकूमेंट नहीं माना है, अदरवाइज फैक्ट्स, कन्विंसिंग फैक्ट मिल जाय तो सर्विस बुक को सुपरसीड कर सकते हैं, यह राज्य सरकार का अधिकार है। यह भी फैक्ट है कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में भी जो डेट आफ बर्थ दी जाय उसको भी ओथेंटिक मान लें, कन्क्लूसिव डाकूमेंट माना जाय यह भी जरूरी नहीं है अदरवाइज फैक्ट्स मिलते हों तो ? और इस प्रकार से पहले भी फैसले राज्य सरकार करती आई है दूसरे मामलात में। अपने बन्द दिमाग से राज्य सरकार इस पर विचार नहीं करना चाहती....

श्री श्योपतसिंह मकासर : लॉ डिपार्टमेंट का हवाला है...

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : आपने अपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट का हवाला दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इसको एग्जामिन किया था मगर यह भी राज्य सरकार का पूरा अधिकार है कि सर्विस बुक से अदरवाइज फैक्ट्स मिलते हों, कविंसिंग फैक्ट मिलते हों तो अदरवाइज फैसला कर सकती है। इसलिए मैंने उत्तर दिया है कि जो अदरवाइज फैक्ट्स सामने आये हैं उनके आधार पर राज्य सरकार ने फैसला लिया है। हो सकता है कि उस वक्त जिस सरकार ने फैसला किया उसके सामने वही फैक्ट्स हों और आज जो फैक्ट्स सामने हैं वे उनके सामने नहीं आए हों। उनके सामने जो फैक्ट्स थे उस हालत में फैसला ठीक किया होगा। हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं, जो एडिशनल फैक्ट्स सामने आए हैं उस आधार पर आज की सरकार ने जो फैसला किया है, वह ठीक किया है।

Page No.69

श्री गुरूशरण छाबड़ा : सभापति महोदय, एक प्रश्न...

श्री सभापति : आधा घण्टे से ऊपर हो गया है अब कोई सवाल नहीं होंगे। अब और कोई सवाल नहीं होगा।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न है....

श्री सभापति : मैंने आपको कह दिया, आधे घण्टे का समय खत्म हो गया।

अब मुख्य मंत्रीजी सैनिक स्कूल के बारे में वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

सैनिक स्कूल चित्तौडगढ़ में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) माननीय सभापतिजी...

श्री मूलचन्द डागा : लिखा हुआ तो मुख्य मंत्री का है।

श्री सभापति : स्कूल से सम्बन्धित है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत गठित सैनिक स्कूल सोसाइटी के अन्तर्गत है। इन विद्यालयों में रीति नीति सम्बन्धी मामलों पर बोर्ड आफ गवर्नर्स की सहमति प्राप्त की जाती है। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 11 तक 457 छात्र पढ़ते हैं जिनमें से 311 राजस्थान के तथा शेष अन्य राज्यों के हैं। इन सभी छात्रों का प्रवेश मेरिट के आधार पर होता है।

यह विद्यालय पिछले वर्षों से शैक्षिक तथा अन्य दृष्टि से निरन्तर प्रगति कर रहा है। पिछले दो वर्षों से इसका परिणाम शत प्रतिशत रहा है। साथ ही नेशनल डिफेन्स अकादमी में भी इस विद्यालय ने सर्वाधिक संख्या में अपने छात्र भेजे हैं।

इस स्कूल में आत्महत्या की दो घटनाएं हुई हैं। पहली घटना 29 अगस्त, 1977 की रात्रि की है। छात्र यशवन्तसिंह, जो कक्षा 9 का विद्यार्थी था, तथा सैनिक स्कूल के कुम्भा हाउस में रहता था, ने 29 अगस्त, 77 को रात्रि को लगभग 1.15 बजे अजमेर रतलाम एक्सप्रेस गाड़ी के नीचे आकर आत्म हत्या की। कोई ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि छात्र की आत्म हत्या का सम्बन्ध स्कूल की किसी व्यवस्था या किसी अन्य परेशानी से था। स्वयं छात्र के पिता ने विद्यालय में 3 दिन ठहर कर सभी व्यक्तियों से पूछताछ कर यह सन्तोष व्यक्त किया है कि इस आत्म हत्या का स्कूल की व्यवस्था आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकी इससे भी पुष्टि होती है कि इसी छात्र का छोटा भाई हरगोविन्द कक्षा 7 में सैनिक स्कूल में ही पढ़ रहा है और उसके पिता उसे वहां से हटाना नहीं चाहते। आत्म हत्या से पूर्व अपने मित्रों से की गई बातचीत से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अज्ञात कारणों से मानसिक रूप से असन्तुलित था। सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ के प्रिन्सिपल ने अपने विद्यालय की कोर्ट आफ इन्क्वायरी द्वारा भी इसकी जांच करवाई तथा समिति का भी यही मत है कि इस आत्म हत्या के कोई विशिष्ट कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दूसरी दुःखद घटना 25 सितम्बर, 1977 की रात्रि की है। छात्र राजपाल पुत्र हवलदार विद्याधर, जो कक्षा 9 का छात्र था, ने रात्रि के लगभग पौने दस बजे चेतक एक्सप्रेस के नीचे आकर आत्म हत्या की। मृतक छात्र की डायरी से प्राप्त उद्धरणों से यह पता चला है कि हाउस केप्टीन मानीटर, जो कि छात्र ही होता है, द्वारा उसे दंड दिए जाने तथा हाउस मास्टर की उसके द्वारा की गई अपील पर उपेक्षा के कारण वह मानसिक रूप से सन्तप्त है और इसी कारण आत्म हत्या कर रहा है।

घटना इस प्रकार थी कि छात्र राजपाल उस दिन ड्यूटी बाय का कार्य कर रहा था जो हाउस केप्टीन (मानीटर) की मदद के लिए होता है। दिनांक 23 सितम्बर, 1977 की शाम को सांगा हाउस के लड़के, जिसमें वह भी सम्मिलित था, डिबेट में देर से पहुँचे जिस पर हाउस केप्टीन ने सभी लगभग 20 छात्रों को एक मिनट के लिए मुर्गा बनने की सजा दी जिसमें वह छात्र भी सम्मिलित था। उसने भी यह सजा ली। रात्रि को छात्र ने इस घटना का जिक्र हाउस मास्टर, वार्डन से किया जिसने यह उत्तर दिया कि यदि फिर ऐसी कोई सजा दी जाय तो वह फिर उसकी रिपोर्ट करे। 24 तारीख को पुनः प्रातः हाउस केप्टीन ने नाश्ते के समय उसे फ्रन्ट रोल, जो एक पी. टी. की एक्सर्साइज होती है, करने की सजा दी किन्तु छात्र ने इस आदेश का पालन नहीं किया। छात्र को इस दंड से मानसिक आघात पहुंचा और उसने आत्म हत्या की।

छात्र के पिता 27 तारीख को विद्यालय में पहुंचे तथा छात्र का अन्तिम संस्कार किया गया। इस सम्बन्ध में विद्यालय की कोर्ट आफ इन्क्वायरी की जांच आज पूरी होने की आशा है। साथ ही पुलिस की जांच भी इस मामले में जारी है।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सभापति महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न संख्या 384 उठाया था। साथ ही साथ मैंने एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न भी पेश किया था। मेरा यह निवेदन है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन्हें मैं यहां पर पेश करना चाहता हूं...

श्री सभापति : संक्षेप में कहिए।

श्री बंशीलाल सारस्वत : सभापति महोदय, राजस्थान और उसके पड़ोसी जो प्रदेश हैं, विशेषतया हरियाणा और पंजाब–हरियाणा और पंजाब की आबादी राजस्थान से आधी है। मगर वहां पर जो सैनिक शिक्षा है, इसके लिये प्रत्येक विद्यार्थी को 3,500 रुपये, यानी पूर्ण छात्रवृत्ति मिलती है चाहे वहां का विद्यार्थी स्थानीय सैनिक स्कूल में पढ़ता हो या अन्य किसी प्रदेश के सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता हो। हरियाणा और पंजाब के बाहर जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको पूरी छात्रवृत्ति दी जाती है। परन्तु राजस्थान के विद्यार्थी को जो 2,250 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी, वही आज भी मिल रही है। स्कूल की गवर्निंग बोर्ड ने जो खर्चा है, वह चार हजार रुपया कर दिया है। जिन छात्रों का प्रवेश आज से कुछ वर्षों पहले हुआ था, दो साल पहले हुआ था या पूर्व वर्ष में हुआ है उनको वही छात्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार इन विद्यार्थियों को अपने पास से 1700 रुपये और देने पड़ते हैं। पूर्व में जो छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को मिलती थी,

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

उसमें उनको एक पैसा भी तो अपने पास से नहीं देना पड़ता था। अब खर्चा बढ़ गया है तो आधा खर्चा उनको देना पड़ता है। वह करीब 2900, 3,500 रुपये होता है। जिन्होंने इस आधार पर यहां पर प्रवेश लिया था कि उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा जिनकी सामान्य स्थिति है वे अब आधी राशि देने की स्थिति में नहीं हैं। जसवन्तसिंह और उसका छोटा भाई दोनों वहां पर पढ़ते थे और उनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे आधा खर्चा और दे सकें। वे एक सामान्य स्थिति के आदमी हैं। सैन्ट्रल स्कूल का केरिकुलम होने के कारण, और खर्चा बढ़ जाने के कारण, ऐसे बहुत से विद्यार्थी आर्थिक संकट में फंस गये हैं क्योंकि वे इस बढ़ी हुई चार हजार की राशि देने में समर्थ नहीं हैं।

मैं यह निवेदन करूं कि राजस्थान में विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या है और विद्यार्थी वहां पर प्रवेश पाने के लिए जाते हैं। 152 विद्यार्थी राजस्थान के सफल हुए और उनमें से केवल 50 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया गया। पिछले वर्ष राजस्थान सरकार का और वहां के प्रिन्सिपल का जो पत्राचार हुआ है, यह निवेदन किया था कि जो हाउस, छात्रावास बना है, उसमें कमरे कम हैं, आवास कम है, साथ ही साथ मैस का पर्याप्त इन्तजाम नहीं है। माकूल इन्तजाम यदि कर दिया जाए, तो लड़कों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मगर पूर्व में जो संख्या थी, वह 100 से घटा कर 50 कर दी गई। पूर्व में जो राजस्थान के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था, उसकी संख्या 67 थी जब कि आज वहां पर 50 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। राजस्थान के विद्यार्थियों को ही पूरा प्रवेश नहीं मिलता है। जयपुर से बाहर जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, उनको राज्य सरकार छात्रवृत्ति नहीं देती है जब कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकारें छात्रवृत्ति देती हैं, चाहे वे बाहर अध्ययन करते हों। जहां पर आफिसर तैयार होते हैं, सेना के अधिकारी तैयार होते हैं उसकी राजस्थान सरकार उपेक्षा करे, तो वह दिन दूर नहीं है कि राजस्थान के सैनिक अधिकारियों की जो संख्या कम है, वह इससे कम होगी। पिछले तीस वर्षों में सैनिक अधिकारियों की जो संख्या थी, उसमें आज आधा प्रतिशत की घटोत्तरी हुई है। सन् 1951, 1952-53 में जो अधिकारी थे, उनमें चालीस प्रतिशत की कमी हुई है। 40 प्रतीशत की कमी हुई है औसत में। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो सैनिक शिक्षा है, जो विशिष्ट सैनिक शिक्षा संस्थान है, उसकी जो उपेक्षा की जा रही है, वह उपेक्षा करना उचित नहीं है। एक नहीं अनेक साधारण स्तर के विद्यार्थी वहां पर है उनके माता-पिता की यह हैसियत नहीं है इसलिए उनको उनके बच्चों को वहां से विथड्रा करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अन्य राज्यों में जिस प्रकार से 3,500, 4,000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है, उतनी ही राशि राजस्थान सरकार इन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दे क्योंकि गवर्निंग बोडी ने राशि बढ़ा दी है। साथ-साथ आने वाले समय में यदि सैनिक शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में राजस्थान के छात्र जाते हैं तो उनको भी छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, इस विषय पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है । . . .

श्री सभापति : आप अपनी बात संक्षेप में कहिये ।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, यह सही है कि ये बच्चे आत्म हत्या कर के मरे हैं। उनके घर से यह चिट्ठी आई कि आप घर आ जाइये, पैसे नहीं हैं । उस पर प्रिंसिपल ने भी दबाव दिया कि आप यहां से जाइये। जहां तक मेरे पास इन्फार्मेशन है इस शर्म से वह मरे हैं । एक ही साथ इस प्रकार को दो दुर्घटनाएँ हुई हैं। इसलिए मन्त्री महोदय को पूरे तथ्य मालूम करने चाहिये ।

श्री रिढमल सिंह : सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ का इतिहास में नाम अमर है। भारतवर्ष में राजस्थान का नाम प्रसिद्ध है। यह शूरवीरों की धरती कहलाती है। ऐसे प्रदेश में केवल एक स्कूल है और उसमें भी स्कालरशिप पूरी नहीं दी जाती है। उसकी वजह से लड़कों को मरना पड़े, ऐसी स्थिति हमारे यहां पर कतई नहीं आनी चाहिये । राणा प्रताप ने यहां पर जन्म लिया, शिवाजी ने यहां पर जन्म लिया, और हिन्दुस्तान भर में राजस्थान का झुंझुनूं जिला टॉप पर है। जिस वीर भूमि का इतिहासकार गुणगान करे, हिन्दुस्तान में जिसका नाम है, वहां पर सैनिक शिक्षा प्राप्त करने वालों का यह हाल हो कि छात्रवृत्ति 2,250 रुपया मिले और खर्चा 3,500 रुपये का हो, बाकी का पैसा वह भर न सकें और उसका वजह से उनको मरना पड़े, यह हमारे लिए शर्म की बात है, यह हमारी कमजोरी है । गवर्नमेंट की अव्यवस्था है । इसकी सही व्यवस्था हो। पूरी स्कोलरशिप उनको दें। माननीय शिक्षा मन्त्री जी थोड़ी बहुत हमदर्दी रखते हैं, तो यह राजस्थान, जो शिक्षा की दृष्टि से, सैनिक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें और स्कालरशिप को बढ़ावें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मेरा एक प्रश्न है। क्या यह सही है कि मैंने मन्त्री जी को एक दरख्वास्त पेश की थी कि मेरे कुछ मिलने वालों की सामान्य स्थिति है, उनके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको पहले जो स्कालरशिप मिलती थी, वही आज मिल रही है और उधर पैसे बढ़ गये हैं ? स्कालर फीस बढ़ने के साथ स्कालरशिप नहीं बढ़ी है। वे लोग हैण्ड टू माउथ हैं ? क्या करें ? आप इस सिलसिले में दरयाफ्त कर लें। लड़कों की स्कालरशिप आप बढ़ा रहे हैं या नहीं ? इस पर आप विचार कर लें। एक अर्जी आपको लिख कर दे दी है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मन्त्री महोदय जो कोर्ट आफ इन्क्वायरी हुई है, उससे सन्तुष्ट हैं या और जांच कराने का इरादा रखते हैं ? दो विद्यार्थियों ने आत्म हत्या कर ली और आप कोर्ट आफ इन्क्वायरी से सेटिस्फाई हो जाएं। मन्त्री महोदय, आप स्वयं इसका जवाब दें, क्या आप इस इन्क्वायरी से सेटिस्फाईड हैं ? क्या दूसरी इन्क्वायरी कराने की आप आवश्यकता नहीं समझते ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, . . .

श्री सभापति : आप विराजिए। प्रश्न कर सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रीगण जब बयान दें तो यह पद्धति रहेगी कि हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न यह है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारे प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए।

श्री बजरंग लाल शर्मा : दो विद्यार्थियों ने आत्म हत्या की। माननीय शिक्षा मन्त्री का बयान है कि व्यवस्था का कोई दोष नहीं है। उन्होंने बयान में कहा है कि कोई ऐसा प्रमाण-प्राप्त नहीं हुआ है कि कोई विशेष कारण आत्म-हत्या का था। क्या वह मानते हैं कि इस प्रकार की घटना हो जाये फिर भी अभिभावक की ओर से ऐसी कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ? क्या इस बात को मानेंगे कि किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करायें और जो उनके पास पत्र हैं उनकी फोटो स्टेट कापी सदन के सामने रखें।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : सभापति जी, चूरू जिले के विद्यार्थी पहले से ही वहां काफी पढ़ते हैं। वहां के प्रिंसिपल फीस बढ़ाने के कारण लड़कों को आंतकित करते हैं। अभी मन्त्री महोदय ने बताया उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे पास प्रमाण हैं, प्रिंसिपल द्वारा फीस बढ़ाने के कारण लड़कों को तंग किया गया है। इसकी वजह से लज्जित होकर आत्महत्या की है। उन पर कर्जा हो गया था। अगर मन्त्री महोदय सी.बी.आई से जाच करवायें तो फैक्ट्स सामने आयेंगे। प्रिंसिपल की कड़ाई के कारण यह आत्महत्या हुई है।

श्री सभापति: No further question.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, कई मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं। मैं आपके सामने निवेदन करता हूं कि पहले फीस 2,200 रुपये थी। फिर बढ़ाकर 2,350 रु. कर दी गई। यह कहा गया कि मंहगाई हो गई है इसलिए फीस 4,000 रु. ले रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि स्कालरशिप और फीस में काफी डिफरेन्स है, इस कारण आत्महत्या की है। मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई कारण नहीं है। जैसा कि मांडल से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री मनोहर सिंह मेहता : मांडलगढ़।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, यशवन्त सिंह, जिसने कि 29 अगस्त, 77 को आत्म-हत्या की है, राजस्थान का नही था, वह हरियाणा का था। उसको 4,000 रु. पूरी की पूरी फीस मिलती थी। इसलिए यह कहना नितान्त गलत है कि आत्महत्या इसी कारण हुई है। 25 सितम्बर, 77 को जो आत्महत्या हुई...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आत्महत्या।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नार्मली वहां जो स्कोलरशिप मिलती है वह जिनकी आय 1 हजार से ज्यादा है, उन्हें $\frac{1}{4}$ मिलती है। 15 को $\frac{3}{4}$ देते हैं। 14 को $\frac{1}{2}$ देते हैं। जिनकी 1 हजार से ज्यादा होती है, उनको $\frac{1}{4}$ देते हैं। यह राजपाल विद्यार्थी था, इसको $\frac{1}{4}$ दे रहे थे। इसलिए यह कहना गलत है कि पैसा कम मिलता है इसलिए यह हुआ है। जहां तक अधिकारियों

(श्री लक्षितकिशोर चतुर्वेदी)

के व्यवहार का सवाल है, जैसा कि नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, प्रिंसिपल के कठोर व्यवहार की बात कह रहे थे, इसी प्रकार से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मुझे उसके पिता ने जो पत्र लिखा है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं . . .

Extract copy of the statement of Captain Balbir Singh, (Retd.) father o. scholar No. 1038, Yashwant Singh of Sainik School, Chittorgarh:—

"I have been in school for the last two days because I wanted to know the reason as to why Yashwant Singh committed suicide, I was given full opportunity by the school administration to meet and contact anybody and to discuss the matter with anybody. In the special school assembly arranged to express condolences, the Principal asked everybody to let him/me know any detail so that I may satisfy myself of the possible reasons. I have met all the members of the staff and about 20 boys. None of them had given me any clue as to the probable reason nor was I given the impression that the conditions in the school prompted Yashwant Singh to put an end to his life. Some of the boys told me that Yashwant had said on the 29th that the next day would be a holiday and there would not be any N.C.C. He also said that 30th August, 1977 would be a special day due to somebody's birthday and when they asked him as to why, he laughed back. Nobody has told me that Yashwant was unhappy or had any differences with somebody or was in need of anything. Even my other son, Hargovind, studying in class VII, could not tell me anything, He too confirmed that nothing was said or done to him by anybody at the school which would have forced Yashwant to commit suicide. During his stay in the school, neither Yashwant nor he has made any complaint regarding any aspect of school routine/functioning. While making the statement on 1st September, 1977 at 13.00 hours, it appears to me that the school authorities are not at fault on the basis of the information I have gathered from Yashwant's classmates, housemates, friends, his teachers and other members of the staff known to me."

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। इन प्रिन्सिपल महोदय के आने के बाद पिछले काफी समय बाद ऐसा मौका आया है कि सबसे अधिक विद्यार्थी नेशनल अकादमी में भर्ती हुए। सारी सूचना मंगाई गई है। मैं यह कह दूं कि फीस के कारण गरीब लोगों को तकलीफ हो सकती है। यह बात विचाराधीन है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी बात का जवाब नहीं दिया है।

Page No.75

श्री मथुरादास माथुर : जवाब नहीं आया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक सवाल किया गया पुलिस इन्क्वायरी के सम्बन्ध में। पहले केस में पुलिस की रिपोर्ट आ गई है दूसरे केस में पुलिस की इन्क्वायरी चल रही है। उसकी रिपोर्ट आ जायेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसके ये कारण हैं। मैं उन दोनों के लिए अपना हार्दिक दुःख प्रकट करना चाहता हूं। दो होनहार बालक विदा हो गये। प्रिंसिपल ने जो वहां क्लाइमेट बनाई है और जो प्रेस्टिज बनी हुई है मैं निवेदन करूंगा कि उस प्रेस्टिज को नुकसान हो सकता है। मैं विनम्र शब्दों में यही कहना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर ये दो सुसाइड हुए क्यों? यह तो लाजिकली होगा कि आप जानकारी करायें ताकि आगे ऐसा नहीं हो। आप सेटिस्फाई हो गये हैं, यह ठीक है। आखिर यह जानना पड़ेगा कि क्या कारण है? तो आप इसको एग्जामिन करवा लीजिये।

श्री सभापति : पुलिस इन्क्वायरी के लिए माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है।

सदन के पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

अब माननीय गृह मंत्रीजी प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री केदारनाथ (गृह मंत्री) : मान्यवर, मैं निम्नांकित जांच आयोगों के प्रतिवेदनों की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) जे. सी. बोस छात्रावास, उदयपुर की घटना के सम्बन्ध में कुदाल आयोग की जांच रिपोर्ट।

(2) सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर में पुलिस द्वारा गोली चालन सम्बन्धी जांच रिपोर्ट।

(3) भीलवाड़ा में पुलिस द्वारा किये गये गोली कांड के जांच आयोग का प्रतिवेदन।

माननीय सदस्यों को मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के सहयोग से उदयपुर कैम्पस में बिल्कुल शांति है। जिन विद्यार्थियों के सस्पेन्शन के आर्डर दिये गये थे वे वापस ले लिये गये हैं। दोनों पक्षों में समझौता हो गया, बहुत ही कोर्डियल रिलेशन्स स्थापित हो गये हैं। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और जो केसेज बनाये गये थे वह वापस ले लिये गये हैं।

अशासकीय विधेयक का पुरःस्थापन

श्री सभापति : गैर सरकारी सदस्य कार्य।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977

माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायत अधिनियम,

(श्री मूलचन्द डागा)

1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) को और संशोधित करने हेतु राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) को और संशोधित करने हेतु राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री केदार नाथ (गृह मंत्री) : मान्यवर, माननीय सदस्य डागाजी खुद ही पाइन्ट आफ आर्डर हैं। यह सीरियस कब हैं और नान-सीरियस कब हैं, यह मालूम ही नहीं पड़ता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : सभापति महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री महोदय ने हार्ड ड्यूटी अलाउन्स के सम्बन्ध में निर्णय लिया है ? आफिसर्स काफी समय तक बैठते हैं। रात को 12-12 बजे तक बैठते हैं और काफी मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स अवश्य दिया जाना चाहिए।

श्री केदार नाथ : राज्य सरकार ने हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देने का फैसला कर लिया है।

प्रशासकीय संकल्प

राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1977 से मद्यनिषेध

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति जी मैं निम्नांकित संकल्प सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं :

"सदन की राय में दिनांक 2 अक्टूबर, 1977 से सम्पूर्ण राजस्थान में पूर्ण शराब बन्दी लागू कर दी जाय।"

सभापति महोदय, जनता पार्टी सरकार बनी, चुनाव के पूर्व हिन्दुस्तान की और राजस्थान की सारी जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में यह पूर्ण रूप से जाहिर किया था देश के समक्ष कि अगर हमारी पार्टी की सरकार केन्द्र में और राज्यों में स्थापित हो गई, तो हम पूरे देश में पूर्ण शराबबन्दी लागू करायेंगे। माननीय वित्त मंत्रीजी और राजस्व मंत्री जी, जो यहां पर बैठे हैं, की हमेशा से ही यह राय रही है। और माननीय गोकुल भाई भट्ट ने तो कुछ रोज पूर्व यह जाहिर किया था कि 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती के उपलक्ष में अगर राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी लागू नहीं की गई, तो मैं आमरण अनशन करूंगा। इन्होंने 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया। वह दिन दो दिन बाद ही आने वाला है। जब पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी तब मोरारजी भाई ने कहा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

था कि गुजरात में चुनाव नहीं हुए तो मैं आमरण अनशन करूंगा। मोरारजी भाई ने आमरण अनशन किया और उनको बचाने के लिए उनकी बात को मानकर गुजरात में कांग्रेस की सरकार द्वारा चुनाव कराये गये। अब गोकुल भाई भट्ट ने घोषणा कर दी कि पूर्ण रूप से नशाबन्दी लागू नहीं की गई तो मैं आमरण अनशन करूँगा। इसलिए मैं यह संकल्प सदन के विचारार्थ रख रहा हूं।

उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और सामान्य बजट पर वाद-विवाद के समय और मांगों पर बोलते हुए बार बार यह कहा है कि सम्पूर्ण राजस्थान में नशा-बन्दी लागू की जाय। केन्द्र में और राज्यों में भी जनता पार्टी की सरकार बन गई है और बने हुए काफी समय हो चुका है। जिस वक्त सारे देश की जनता पार्टी के नेतागण रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे उससे पूर्व राजघाट पर इकट्ठे हुए और शपथ खाई थी कि बापूजी के बताये हुये रास्ते पर हम चलेंगे। मैं जो यह संकल्प आज प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जब इसका उत्तर दें तो यह घोषणा करें कि 2 अक्टूबर से राजस्थान में शराबबन्दी लागू कर देंगे। जनता पार्टी के माननीय सदस्य भी इस बात को कहते हैं, आपके घोषणा-पत्र में भी यह बात कही गई है, इसलिए अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं और घोषणा नहीं करते हैं, तो आपने जो घोषणा-पत्र में बात कही उसके विपरीत आप का आचरण होगा। माननीय सदस्य मनोहरसिंह मेहता तो दिल से चाहते हैं और हर प्रश्न में शराबबन्दी की चर्चा करते हैं, विशेष रूप से शराबबन्दी की बात कहते हैं। सन् 1947 में भारत आजाद हुआ और कांग्रेस का शासन सारे हिन्दुस्तान में स्थापित हुआ। उसके बाद कांग्रेस की भी यही नीति रही कि देश में पूर्ण रूप से नशा-बन्दी लागू की जाय, परन्तु यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि इतने वर्षों के बाद भी पूर्ण नशाबन्दी नहीं हुई। इतने लम्बे अर्से तक कांग्रेस शासन के बाद सब पार्टियों ने इकट्ठा होकर जनता पार्टी बनाई और राजनैतिक विकल्प प्रस्तुत किया तथा इस देश का शासन जनता पार्टी को मिला। पार्लियामेंट के चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला। जो भिन्न-भिन्न पार्टियां एक झण्डे के नीचे आई, जनता ने उनको एक मौका दिया कि जितना चाहे कानून में संशोधन करो, संविधान में संशोधन करो। देश में जैसी राजनैतिक परिस्थितियां थीं, उनको देखकर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी चुनाव का एलान किया था और जिस तरह से सन् 1971 में कांग्रेस को मौका मिला उसी प्रकार से जनता पार्टी को मौका मिला है। जनता पार्टी ने घोषणा-पत्र में सम्पूर्ण नशाबन्दी की घोषणा की थी। अब राज्यों में और केन्द्र में आपकी पार्टी की सरकार स्थापित है।

शायद उस समय आपको पूरा यकीन नहीं होगा इसलिए आपने इस बात को मैनी-फेस्टो में रख दिया परन्तु भारत की जनता ने पूर्ण आस्था दिखाकर आपको सत्ता में बिठा दिया। आदित्येन्द्र साहब आज सरकार में बैठे हुए हैं, वित्त मन्त्री हैं, जब आप इधर बैठते थे तब आप जोर–जोर से बोलते थे और माथुर साहब वित्त मन्त्री थे इनको भी मजबूर करते थे कि आप कांग्रेस की नीति का परिपालन करें,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं तो आपको जनता नहीं बख्सेगी। यह वाणी आप बोलते थे। भूतपूर्व वित्त मन्त्री तो आज सदन में विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं और आप जो हमेशा भूख हड़ताल करते थे, अनशन भी करते थे, उपवास करते थे आज सौभाग्य से वित्त मन्त्री हैं। आप पूर्ण रूप से गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। मोरारजी भाई तो आपका पूर्ण साथ देने वाले हैं, उनकी तो आपको ही मुख्य मन्त्री बनाने की इच्छा थी। किसी तरह से आप मुख्य मन्त्री नहीं बन पाये लेकिन वित्त मन्त्री तो बन गये। आप सारे वित्त विभाग का संचालन करते हैं, आप आमदनी का कोई दूसरा सोर्स ढूंढ़िये। मोरारजी भाई ने इतने वर्ष कांग्रेस में काम किया अब वे टूट गये, और दूसरे दल में मिल गये। अब वे भारत के प्रधान मन्त्री हैं, उन्होंने तीन दिन पहले घोषणा की है कि पूरे देश में शराबबन्दी लागू करेंगे। सुशीला नय्यर की अध्यक्षता में तीन दिन पहले दिल्ली में अखिल भारतीय कान्फ्रेन्स हो रही थी, उसके अन्दर भी उन्होंने भाषण दिया। जब दूसरे सदस्यों ने शंका व्यक्त की कि अब देश में शराबबन्दी होगी, तो विकास कैसे होगा ? तो मोरारजी भाई ने कहा, नहीं। किसी तरह से हम नशीली चीजों का प्रयोग खत्म करेंगे। हम अपनी पार्टी की नीतियों को लागू करेंगे, भले ही विकास रुक जाये। तो, फिर कौन मना कर रहा है ?

राजस्थान कई बातों में पहल करता है। अन्त्योदय योजना आप राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं वह तभी लागू होगी जब पूर्ण नशाबन्दी होगी। राजस्थान में नशाबन्दी 2 अक्टूबर से ही करेंगे, तभी काम चलेगा। राजस्थान में नशाबन्दी लागू नहीं होने से आए दिन कितनी ही आत्म हत्यायें हो रही हैं। छोटे-छोटे परिवार बरबाद हो रहे हैं, मजदूरों का पे डे होता है उस दिन शराब की बोतलें लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। एक तरफ से मजदूरी मिलती है, दूसरी तरफ बोतलें बिकती हैं। इस तरह सारे का सारा पैसा शराब के अन्दर चला जाता है। इसके अलावा सारे स्कूलों में भी इस तरह की बीमारी पैदा हो गई है। जो सीनियर अधिकारी हैं, सबको मालूम है, वे अच्छी से अच्छी व्हिस्की पीते है। गरीब लोग भी बुरी आदत में फंस जाते हैं। टेम्परेंस सोसाइटी बनाई गई, ताकि अन्तःकरण शुद्ध हो, लोग स्वतः ही छोड़ दें। हम इधर बैठने वाले जो सदस्य हैं, आपको पूरा साथ देने को तैयार हैं। जब माथुर साहब ने घोषणा की थी कि 4 वर्षों में शराबबंदी करूंगा तो उन्होंने क्रमिक रूप से लागू किया। आपने कल तीन तहसीलों के लिए और घोषणा की। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। आमदनी के हिसाब से देखेंगे तो शराबबन्दी से जो कम आमदनी होगी उसे दूसरे सोर्स से पूरा कर सकते ह। इससे कोई कमी आमदनी में नहीं होने वाली है.....

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री सभापति : 10 मिनट हो गये और भी बोलने वाले हैं, संक्षेप में बोलें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक तरफ तो शराबबंदी लागू करने की बात को मानते हैं, दूसरी तरफ जो मन्दिर हैं, स्कूल हैं, आम रास्ते हैं वहां पर दुकानें लगी हुई हैं, शिक्षण संस्थाओं के पास में दुकाने लगी हुई हैं, ऐसी जगहों पर दुकानें न हों, ये मानने के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लिए तैयार नहीं हैं। आये दिन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके, मिलावट करके सैकड़ों छोटे बच्चों को, जवानों को मार देते हैं। इस बारे में भी सख्ती से काम नहीं लेना चाहते। दुकान बन्द होने का समय 10 बजे है, उसके बावजूद 12 बजे रात तक दुकानें खुली रहती है। गेट बन्द कर देते हैं लेकिन अंडर ग्राउन्ड में बेचते रहते हैं। पुलिस व अधिकारी दुकान के बन्द होने के टाइम की पाबन्दी भी लागू नहीं करते। यह महकमा ऐसा है जिसकी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्कम हो। आपने जो तीन तहसीलें छोड़ीं उनकी इन्कम कहां से आएगी, इसकी उसी दिन योजना बन गई होगी। नाजायज तरीके से शराब बिकती है, जगह जगह शराब ओपनली बिकती है और जो अधिकारी प्रोहिबिशन लागू करने वाले हैं, वे भी शराब बन्दी मे विश्वास नहीं करते। उनको नाजायज आमदनी होती है। इस पर नियंत्रण करने वाले खुद 24 घन्टे शराब पीते हैं तो फिर उनसे कैसे शराबबन्दी की आशा की जा सकती है। सदन का सौभाग्य है कि मास्टर साहब वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। मैं आशा करूंगा कि आप हिम्मत करेंगे। जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नरेन्द्र पाल सिंह जी भी इस समय आपके पास बैठकर शायद इसी विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे। मैं समझता हूं मुख्य मंत्री की सलाह लेनी होगी। जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जाकर उनसे सलाह ले लें। खुशी की बात है कि ऐसा प्रस्ताव सदन में विचारार्थ आ गया है, तो सदन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए। मान लीजिए वित्त मंत्री मंजूर नहीं करते हैं तो आप भी बार बार घोषणा-पत्र में रखकर क्यों जनता को गुमराह करते हो? आप इन्दिरा गांधी को गालियां निकालते हो तो आपको भी जनता नहीं बख्शेगी। आप उनसे कहते हैं कि 30 वर्ष तक क्या किया? आपको यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि आपने भी घोषणा-पत्र में और बार बार जनता के सामने कहा है कि पूर्ण रूप से नशाबन्दी लागू करेंगे। ओपियम, भांग, गांजा आदि चीजें स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली हैं। भारत की संस्कृति में पहले भी कोई नशा नहीं था। अब तपेदिक की बीमारी की तरह नशाखोरी फैलती जा रही है। राज्य सरकार क्यों नहीं विचार करती? चीन जैसे देश में नशाबन्दी एक साल में कर दी। वहां तो कोई सोसाइटी और प्रचार का भी सवाल नहीं है, टेम्परेंस सोसाइटी भी नहीं बनाई, फिर भी पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी और नशा खतम कर दिया। दुनियां के सबसे अधिक जन संख्या वाले देश ने नशाबन्दी लागू कर दी। अब वहां ओपियम नहीं मिलेगी....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमारे यहां प्रजातंत्र है, वहां साम्यवाद है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रजातन्त्र में घोषणा-पत्र जारी करके और वायदे करके जनता से वोट मांगते हैं, तो उन वायदों को पूरा करना पड़ेगा। आप कांग्रेस के लिए कहते हैं हर बात में कि 30 वर्ष तक क्या किया, जिस तरह के हालात हो रहे हैं उनमें आपके लिए 5 साल पूरे करना मुश्किल हो जाएगा, यह मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी मेरी बात जरूर मानेंगे। हम अक्षरशः आपको

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सहयोग देंगे। आप अभी मोरारजी भाई से फोन पर बात कर लें कि इस तरह का संकल्प हमारे सामने सदन में आ गया है, हम क्या करें ? आप उनसे इन्सट्रक्शन्स ले लें, मुख्य मंत्री से पूछे और हिम्मत करके संकल्प को मंजूर करें। सभी कहते हैं कि मास्टर आदित्येन्द्र कमजोर मन्त्री हैं, तो यह आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप कमजोर हैं या मजबूत। मेहता साहब हंस रहे हैं। मैं कहता हूं मेहता साहब यह हंसने जैसी बात नहीं है। इसमें आप विश्वास करते हैं तो आपको पूरी तरह से लागू करना चाहिये। सभापति महोदय, जनता पार्टी के मैनीफेस्टों में लिखा हुआ है कि हम शराबबन्दी पूर्णतया लागू करेंगे। इसके अलावा आपने पूज्य बापू की समाधि पर राजघाट पर सौगन्ध उठायी थी कि हम पूज्य बापू की नीतियों का अनुसरण करेंगे। आप कहां अनुसरण कर रहे हैं ? आप तो शराबबन्दी लागू नहीं करके उससे उल्टा कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना गैर सरकारी संकल्प सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, मैंने एक अमेन्डमेन्ट मोशन दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो पहले ही रिजेक्ट हो गया है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मुझे निवेदन करना है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, पहले अमेन्डमेन्ट मोशन को सुन लिया जाय।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यह है कि जिस गैर सरकारी संकल्प का नाम बेलेट में आया है वह माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई का है। मैंने भी उसके समर्थन में दस्तखत किये हैं। नियमों के प्रावधान के अनुसार माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई के बोलने के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। मेरा नाम नहीं पुकारा गया।

श्री सभापति : आपने उसमें अमेन्डमेन्ट दिया है वह रिजेक्ट हो गया।

श्री शंकरलाल : अमेन्डमेन्ट तो मैंने बाद में दिया है। जो संकल्प आया है जिस पर बेलेट हुआ है उसमें मेरे हस्ताक्षर हैं। उस मूल प्रस्ताव के ऊपर मेरे दस्तखत हैं इस लिये श्री विश्नोई जी के बाद मेरा बोलने का नम्बर आना चाहिये। जो आप अमेन्डमेन्ट को रिजेक्ट करने की बात करते हैं वह तो अलग है। मूल प्रस्ताव में मैंने हस्ताक्षर किए हैं। मेरा नाम नहीं आया है, इसका क्या कारण है ? आपके सचिवालय के अन्दर ऐसे कर्मचारी हैं जो जान-बूझ कर इसमें

(श्री शंकरलाल)

गड़बड़ करते हैं। आप, सभापति महोदय, उस मूल प्रस्ताव को देखें। उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं पुकारा गया।

श्री सभापति : आप बिराजिये, मैं देख लेता हूं।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, माननीय श्री रघुनाथ जी के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, मैंने एक अमेन्डमेन्ट मोशन इस संकल्प पर दिया था कि हरिजन बस्ती में व ट्राइबल एरियाज में यह शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका अमेन्डमेन्ट रिजेक्ट हो गया है।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, आपने उसे रिजेक्ट तो कर दिया लेकिन वह कहां है? अमेन्डमेन्ट मेरा दिया हुआ है उसकी आपने कोई सूचना मुझे नहीं दी। मुझे क्या पता कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है। आखिर मुझे जानकारी तो होनी चाहिये कि उसका क्या हुआ। आज आपके सचिवालय की स्थिति ऐसी है कि वहां पर कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो रही है।

श्री सभापति : आप विराजिये, आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, मैं बैठने को तैयार हूं। आसन के आदेशों की कद्र करता हूं। आप चाहें तो मुझे बोलने नहीं दें। लेकिन आसन से हमें पता तो लगता रहना चाहिये कि हमने जो अमेन्डमेंट दिया है उसका क्या हुआ। कोई सामन्जस्य तो होना चाहिये कि जिससे हमें पता लगे कि हमारे अमेन्डमेन्ट्स की क्या स्थिति है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, अब अमेंडमेंट मूव होने चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन है कि क्या वह आज हाउस में जवाब तो देंगे इस बारे में?

श्री मूलचन्द डागा : जवाब तो बाद में दिया जायेगा।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। शंकरलाल जी आपके अमेन्डमेन्ट के बारे में रिकार्ड देख कर बताऊंगा।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, मैं निर्दलीय सदस्य हो गया हूं। मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

श्री सभापति : आप बिराजिये, गुप्ताजी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैंने जनता पार्टी छोड़ दी है। मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : आप जनता पार्टी के भूतपूर्व सदस्य हैं।

श्रीमती उजला अरोडा : यह तो हमारे ही हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह अब आपके हिस्से में नहीं आवेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब इनको सद्बुद्धि आ गयी है इसलिये जनता पार्टी छोड़ दी है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप मुझे बोलने का मौका तो दें। सभापति महोदय, जब जनता पार्टी के मेनीफेस्टो में है कि हम शराबबन्दी को पूर्णतया लागू करेंगे, तो जनता पार्टी अपनी नीतियों को लागू क्यों नहीं कर रही है ? आपने मेनीफेस्टो में नीतियों को घोषित किया और उससे आपने चुनाव जीते हैं फिर अब आपको शराबबन्दी लागू करने में क्या आपत्ति है ?

श्री सभापति : आप बिराजिये, गुप्ताजी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

माननीय शंकरलालजी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें उन्होंने कहा कि जो संकल्प माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई ने सदन में रखा है उसका समर्थन श्री शंकरलाल जी ने हस्ताक्षर करके किया है। मेरी इसमें व्यवस्था है कि उसके समर्थन में आपके हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है वह तो रिडनडेन्ट हो गया है इसलिये आपके बोलने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री शंकरलाल : मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री सभापति : आपने संकल्प का समर्थन किया है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शंकरलाल : मुझे बोलने का अधिकार है क्योंकि मूल प्रस्ताव श्री रघुनाथ विश्नोई जी ने दिया था। उसका मैंने समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किये है मुझे इस पर बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : आप बिराजिये। मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था दे दी है। आपने जो प्रस्ताव का समर्थन किया है उसके समर्थन के लिये आपको हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह तो रिडनडेन्ट है। आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री शंकरलाल : इजाजत दी जा सकती है। आप रूल्स देखिये।

श्री सभापति : रूल में कोई प्रावधान हो तो आप बताइये।

श्री शंकरलाल : मैं आपको अभी बताता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य शंकरलाल जी कह रहे हैं वह गलत है। रूल्स में कोई प्रावधान नहीं हैं इनको बोलने का कोई हक नहीं है।

श्री शंकरलाल : मुझे बोलने का हक है।

(व्यवधान)

हम बोल सकते हैं नियमों के अन्तर्गत

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। मैं आपको रूल 106 पढ़कर सुनाता हूं।

"106 Notice of resolution —A member other than a Minister, who wishes to move a resolution shall give fifteen clear days notice of his intention and shall together with the notice, submit the text of the resolution which he wishes to move:

Provided that the Speaker may allow it to be entered in the list of business with notice shorter than fifteen days."

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये, माननीय सदस्य। मैं जो भी व्यवस्था दे रहा हूं उसको चेलेन्ज करने की बाद में इजाजत नहीं दूंगा। मैंने पहले भी आपको कह दिया है कि किसी भी संकल्प के समर्थन में किसी भी माननीय सदस्य ने अगर हस्ताक्षर किये है तो माननीय सदस्य का राइट उस पर बोलने का नहीं होता है। आपके जो हस्ताक्षर किये हुए हैं वह रिडनडेन्ट हैं। आपको मैं बोलने की परमिशन नहीं दूंगा। यह मेरी व्यवस्था है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मैं उसको चेलेन्ज नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा उस संकल्प पर बोलने का अधिकार होना चाहिये यह जिस नियम का आप हवाला दे रहे हैं वह इस बात के लिये दे रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकूं। आपके सचिवालय वाले पता नहीं क्या करते हैं वह मुझे बोलने नहीं देते हैं। आपने जो व्यवस्था पहले दी······

श्री सभापति : मेरी पहले दी हुई व्यवस्था ही कायम है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये। राम कृष्ण दास जी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, आपने फर्माया कि मेरी पहली व्यवस्था ही कायम है। तो, फिर यह क्यों बोल रहे हैं ?

श्री रामकरणसिंह : मैं व्यवस्था चाहता हूं। मैंने जो अमेन्डमेन्ट दिया···

श्री शंकरलाल : मुझे ताज्जुब है···

श्री सभापति : आपका अमेन्डमेन्ट अभी देख लेता हूं।

माननीय मूलचन्दजी डागा।

श्री शंकरलाल : सचिवालय में उप सचिव जानबूझ कर रोड़े अटकाते हैं।

श्री सभापति : इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये, माननीय सदस्य। आप पुराने सदस्य हैं।

श्री शंकरलाल : आप संशोधन मंगा कर देख लीजिये।

श्री सभापति : यह बहुत गलत है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूं इस सचिवालय को सदन में बात करना ठीक नहीं है। मैं उसको एक्सपंज करता हूं।

श्री शंकरलाल : हमें अधिकार है।

Page No.84

श्री सभापति : मुझे भी अधिकार है व्यवस्था देने का।

श्री शंकरलाल : प्वाइंट ऑफ आर्डर, सर। दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री सभापति : कहिये।

श्री शंकरलाल : आपने कहा कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होते हुए भी नहीं बोल सकते हैं। मैंने संशोधन दिया है वह लिस्ट पर नहीं आया, इसका क्या कारण है ?

श्री सभापति : आपका संशोधन माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने रिजेक्ट कर दिया।

श्री शंकरलाल : क्यों नहीं आया ?

श्री सभापति : रिजेक्ट कर दिया। कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री शंकरलाल : कारण पूछ सकते हैं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि संशोधन रिजेक्ट करें और कारण न बतायें।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं कि व्यवस्था देने में कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने निवेदन कर दिया है। कृपया शान्त रहें और बिराजें।

श्री शंकरलाल : आप कह दीजिये कि कोई कारण नहीं, बिना कारण के व्यवस्था दी गयी। मुझे नहीं बोलने देने के लिये आपके सचिवालय के उप सचिव ने · · ·

श्री सभापति : बिलकुल गलत बात है। मैं इसको एक्सपन्ज करता हूं।

माननीय डागाजी।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में प्रयुक्त शब्द 'सदन की राय में' के स्थान पर 'सदन की निश्चित राय है कि' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायं और संकल्प के अन्त में शब्द 'लागू कर दी जाय' के स्थान पर शब्द 'सख्ती से लागू कर दी जाय' प्रतिस्थापित कर दिये जायं। यह मैंने अपना संशोधन पेश किया है।

श्रीमन्, एक मुहावरा है। शराब का पहला पेग शराबी पीता है फिर अन्त में शराब शराबी को पी जाती है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक बार और।

श्री मूलचन्द डागा : महात्मा गांधी ने जो कुछ बात कही वह मैं सदन में पढ़ना चाहूंगा। अधिक बात कहेंगे, मेहता साहब। उन्होंने कहा "If I were made the dictator of India, the first thing that I would do, would be to close all the liquor shops and destroy all the toddy."

माननीय सभापति जी, हमारा यह सौभाग्य है कि आप बिलकुल शराब से अछूते हैं व नशाबन्दी में विश्वास करते हैं। आप जब आसन पर हैं यह संकल्प सदन में आया है। वित्त मंत्रीजी के साथ अच्छे सलाहकार बैठे हुए हैं। गांधी जी की समाधि पर, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर बड़ा कीचड़ उछाला है, वित्त मंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा है उसको हमने पढ़ा है · · ·

श्री रामकरण सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया उसके बारे में आपने फर्माया कि मैं देख रहा हूं।

श्री सभापति : ये बोल लेंगे उसके बाद बता दूंगा। बिराजिये। मैं मालूम कर रहा हूं। मैं बता दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा इन सदस्यों को कि वित्त मंत्री जी को खुला छोड़ दें ताकि वे सुनें हमारी बात को, यह बड़ा भारी गलत तरीका है श्रीमन्। माननीय सदस्य, यह तरीका नहीं है कि वित्त मंत्री को सुनने न दें। मनोहरसिंहजी मेहता मेहरबानी करके ऐसा न करें···

श्री मनोहर सिंह मेहता : माफ करिये।

श्री शंकरलाल : मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। बैठने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, जो बजट भाषण दिया उसमें बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कही है। पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं रेलेवेन्ट ही पढ़ देता हूं :

"भूतपूर्व सरकार की नीति मद्यनिषेध के बारे में ढिलमिल रही है। मद्यपान के माध्यम से होने वाली आय को पूर्ववर्ती सरकार विकास के लिये आवश्यक साधन समझती रही। संविधान में दिये हुए इस सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त एवं स्वय द्वारा घोषित नीति की भी यह सर्वथा अवज्ञा करती रही। इसीलिये 1962 में केन्द्र सरकार ने मद्यनिषेध के कारण होने वाली आबकारी आय की क्षतिपूर्ति की जो योजना घोषित की थी, उसका भी लाभ नहीं उठाया गया।"

श्रीमन्, बहुत बडी बात कह डाली। अगर इरादा मजबूत होता तो मद्यनिषेध में सफलता मिलती। आपने निर्णय ले लिया और कह दिया कि चार साल में पूरे राजस्थान में शराबबन्दी कर देंगे। क्या पता है चार साल के समय का ? कल ही परसों अखबारों में निकला है, गोकुल भाई रुष्ट हो गये। हमारे माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के खिलाफ, संविधान के आर्टिकल 47 के खिलाफ और हमारे जो माननीय आदित्येन्द्र जी है सर्वोदयी हैं, उनकी वाणी के खिलाफ यह बात कह दी कि शराबबन्दी से इकानामी पर असर पड़ता है इसलिये अभी नहीं करूंगा। यह फ्रन्ट पेज पर खबर आयी है। जब कि जनता पार्टी लोगों के सामने यह बात कहती है कि शराबबन्दी लागू करना चाहते हैं। मैंने सारे आंकड़े इकट्ठे किये हैं। मैं जयपुर के आंकडे देना चाहता हूं, 1976-77 में जयपुर में आपका पूरा कन्जम्प्शन कितना हुआ ? 16,94,626 लीटर। और रेवेन्यू कितनी हुई ? 1,59,52,725 रु.। जब से आप मंत्री हुए हैं, तब से जो रेवेन्यू हुई है उसके भी आंकड़े है मेरे पास। सैन्ट्रल प्राहिबिशन कमेटी की मीटिंग हुई 26 मार्च, 1974 को उस मीटिंग में जो सभापति ने बात कही वह मैं बताना चाहता हूं। इससे मालूम होगा कि शराब का दौर कैसा चल रहा है। शराब के दौर के लिये यह कहा है :

"I must express distress at the fact that the consumption of alcohal has been going up during the last four years."

(श्री मूलचन्द डागा)

केन्द्रीय सरकार मद्यनिषेध समिति को 20 लाख रुपया देती है। हमारी सरकार द्वारा पांच-पांच लाख रुपया संस्थाओं को दे दिया जाता है। शराब के लिये कानून नहीं बनाया। भावना जागृत करो, उसके लिये लाखों रुपया दिया जाता है। उसके सभापति ने कहा:

"In the Seventh Meeting of the Central Prohibition Committee held at Vigyan Bhavan New Delhi on 26 th March, 1974—"I must express distress at the fact that the consumption of alcohol has been going up during the last 4 years."

अब मैं उसके फीगर बताना चाहता हूं :

So far as the production of total alcohol is concerned it was 57915k litres in 1970, 63782 in 1971, 78664 in 1972 and 79911 k litres in 1973.

57,915 के. लीटर हम 70 सन् 71 में 63782 के. लीटर, सन् 72 में 78664 के. लीटर और उसके बाद 73 में 79911 के. लीटर है। ज्यों-ज्यों दवा करते गए मर्ज बढ़ता ही गया। इसकी यह पोलिसी है कि मरीज भी जिन्दा रहे और मर्ज भी, यह सरकार की पालिसी है। सरकार ने अब क्या किया, पाली में तो पीना बन्द। इर्द गिर्द जाकर पी लो, पाली से बाली जाकर पी लो। बाली में शराब बिकेगी पाली में नहीं। शराबबन्दी का इनका न तो कोई इरादा है और न शराब बन्द करने की इच्छा है। अगर इरादा होता, तो कल की राह नहीं देखते। नेक इरादा है, तो आज ही काम शुरू कर दो। अगर जिन्दगी शुरू करनी है, तो अभी करो। मैं निवेदन करूंगा वित्त मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए। आप गांधीवादी हैं, आपने जिन्दगी भर सत्याग्रह किया है, आप गांधी जी की दुहाई देने वाले हैं, आपने 24 तारीख को गांधी जी की समाधि पर जाकर सौगन्ध खाई है और कहा है कि हम इस प्रकार की भावना रखते हैं। गांधीजी ने यहां तक कहा कि अगर मुझे डिक्टेटर बना दिया जाय तो मैं रेवेन्यू का बहाना नहीं लूंगा और शराबबन्दी कर दूंगा। रेवेन्यू के बहाने की बात बताई भारत की सरकार ने, हुजूर। श्रीमान् यह बड़े दुःख की बात है। गांधी जी ने ड्रकार्ड के लिए जो कहा वह उन्हीं के शब्दों में बता देता हूं :

"I have seen in so many cases that liquor has not only robbed men of their money but of their reason, they have the time being forgotten the distinction between wife and mother, lawful and unlawful."

उन्होंने यहां तक कहा :

"They have the time being forgotten the distinction between wife and mother. ."

श्री रामसिंह बिश्नोई : Explain in Hindi.

श्री सभापति : बोलने दीजिए, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्ति रखें।

श्री रामसिंह विश्नोई : इनको हिन्दी में बताना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह कहा कि शराबी जब शराब पी लेता है, नशा उस पर छा जाता है तब पत्नी और बहिन, मां और अपनी सगी धर्म पत्नी में फर्क नहीं समझता। यह गांधी जी ने बात कही है··

श्री रामसिंह विश्नोई : यह सगी धर्म पत्नी क्या होती है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो मर्ज है उसको खत्म करने का क्या तरीका है ? उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि कानून बनाना चाहिये। आगे उन्होंने कहा :

"Liquor is not a matter to trifle with..."

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री मूलचन्द डागा : "Liquor is not a matter to trifle with. No so and easy going policy will cope with the tremendous evil. Nothing short of total prohibition can save the people from the curse."

उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें कानून बनाना होगा। इसी बात को नेशनल प्रोहिबिशन कौंसिल ने कहा। उसने निर्णय किया उसमें श्रीमान् भी सम्मिलित थे, उसमें कहा है :

"It was unanimously agreed that there should be a ban on advertisements of all spirituous products. However it was proposed that the Government of India should examine whether there can be a uniform central legislation on the subject."

उन्होंने यह निर्णय किया। अगर चोरी का सवाल है तो चोरियां तो आज भी होती हैं। लेकिन उसके लिए कानून बनाया जाय। आज कानून बनाइये और सख्ती से कानून को लागू करिये। लेकिन, श्रीमान्, न तो इनका कानून बनाने का इरादा है, न शराब को रोकने का इरादा है और दुनिया के सामने बड़ी-बड़ी बातें कहना चाहते हैं। गांधीजी ने कहा था कि मैं रेवेन्यू के बहाने को बहाना नहीं मानता :

"Let it be remembered that this drink and drugs revenue is a form of extremely degrading taxation."

यह हमारे मनोहरलालजी, जो मांडलगढ़ से आए हुए हैं...

श्री शंकरलाल : मनोहरलालजी नहीं, मनोहरसिंहजी।

श्री मूलचन्द डागा : ये सही-सही बातें रखेंगे और न मालूम क्या-क्या गुण गायेंगे। अगर आपने इस प्रस्ताव को नहीं माना, तो मेरे खयाल से इस बात पर ये इस्तीफा दे देंगे। हमारी राजस्थान सरकार इस बात को नहीं मानती है। मैं आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आप लोगों को कहना

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार एक कदम तो उठाए। जनता पार्टी कोरे लोगों को आश्वासन बहुत देती है, हम सैल्स टैक्स माफ कर देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, वह कर देंगे। जनता पार्टी के लोग रोज आपस में झगड़ते रहते हैं। कभी आफिस की टेबल चोरी चली जाय कभी कुछ हो जाय। आफिस में टेबल तक तो है नहीं और करेंगे क्या? होता कुछ भी नहीं है। तो गांधीजी ने कहा :

"Let it be remember.d that this drink and drugs revenue is a form of extremely degrading taxation. All taxation to be healthy must return tenfold to the taxpayer in the form of necessary service. Excise makes people pay for their own corruption, moral, mental and physical. it falls like a dead weight on those who are least able to bear it ..."

उन्होंने कहा कि जो शराब पीता है तो पीने वाले की जेब से चार रुपया खर्च होता है और सरकार का खर्चा होता है एक रुपया। उसके शरीर के साथ खिलवाड़ है, उसके मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ है। अगर शराब पीने वाले नहीं मानते और मरते हैं तो मरने दो। मर कर सीधे पहुंच जायेंगे मधुशाला में, बच्चन की। शराबी मरते रहें और मर कर सीधे जायें मधुशाला में। दुनियां के सामने हिन्दुस्तान गौरव से रहे, इज्जत से रहे, सम्मान से रहे, उसका सिर नीचे नहीं हो, यह उसी दिन होगा जिस दिन शराब की एक बूंद इस देश में नहीं मिलेगी। लेकिन, श्रीमान्, शराबबन्दी का सवाल ही नहीं। यह जो मैं यंग इण्डिया का कोटेशन पढ़ रहा हूं, वह 1926 में गांधीजी ने कहा था। मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, हमने गलती की कि हमने शराबबन्दी पूरी लागू नहीं की। हम भी वायदे ही करते रहे लेकिन जनता पार्टी की सरकार हमें लताड़ती तो खूब है और खूब लताड़ती है कि हमने यह नहीं किया वह नहीं किया लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आपकी शराब की ढिलमिल नीति है। हमारे विश्नोईजी प्रस्ताव ले आए कि शराब को बन्द करो, शराबबन्दी लागू करो इसलिए मैंने कहा कि अगर लागू करना है तो सख्ती से लागू करो। आज से ही लागू क्यों नहीं हो सकती? मैंने यह भी कहा कि लागू करने की मंशा क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लागू करने वाले हैं वे शराबी हैं। शराब पीने वाला आदमी कभी लागू नहीं कर सकता। ये जो आपके जितने सरकारी नौकर हैं, गांधीजी ने बतलाया कि बहुत से लोग शराब पीते हैं। इसको लागू करने वाले कौन आदमी हैं, वे दादा लोग हैं जो शराब पीते हैं। तो यह कानून लागू कैसे होगा? तो उन्होंने कहा इस बात के लिए कि हम चाहते हैं. सबसे पहले कानून यह लागू किया जाय कि जो सेवा में हों, वे शराब नहीं पीयें। लेकिन हुकुम, यह नहीं हो रहा है।

"......there is a single factor that stands effective in the way of its failure of prohibition, it is a drinking officer"

शराब पीने वाला कर्मचारी शराबबन्दी की बातें करेगा? वह तो शाम को बोतल पीयेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें रुकावट करने वाले शराबी हैं। वे शराबबन्दी में रुकावट करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? वे कर्मचारी हो सकते हैं। उन कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल्स में प्रोविजन दे, सर्विस रूल्स में लिख दें कि जो आदमी शराब

(श्री मूलचन्द डागा)
पीयेगा उसको हम सर्विस में नहीं लेंगे। यह तो कर देना चाहिए, लेकिन यह भी सवाल नहीं है।

मुझे दो चार बातें बताइये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जनता पार्टी की सरकार से, समग्र क्रांति लाने वाली सरकार से, सम्पूर्ण क्रांति लाने वाली सरकार से, देश के कोने-कोने में नया जीवन देने वाली सरकार से...

श्री उगमराज मेहता : थोड़ा ठहरो तो सही, आगे मालूम होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं समझता हूं कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, सुनेंगे तभी ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मूलचन्द डागा : तो, श्रीमान्, यह बतलायें कि आपकी सरकार आने के बाद इस प्रकार का कानून आया और शराबबन्दी लागू की। मुझे मेहरबानी करके यह भी बतलाइये, आदरणीय वित्त मन्त्री जी, कितने आदमियों का चालान किया, जो शराब के कानून को तोड़ते हैं और कितने आदमी हैं जिनको सजा मिली है आपके टाइम में? मेरे टाइम की बात नहीं करता, कांग्रेस के राज की बात नहीं करता, मैं तो आपके टाइम के बारे में पूछता हूं कि मुझे आंकड़े बतायें कि कितनी जगह नाजायज तौर पर शराब बनती है? कितने लोगों को नाजायज शराब बनाने के जुर्म में पकड़ा और पकड़ने के बाद चालान किया? कितने अधिकारियों को शराब पीते हुए काम करते देखा? ये आंकड़े तो बता दीजिये। कितने ड्राइवर और कितने मोटर चालक शराब पीकर मोटर चलाते हुए पकड़े गये और उनके कारण कितने एक्सीडेन्ट हुए? क्या आपके पास आंकड़े हैं? आज कल तो कालेजों के होस्टल्स में शराब चलती है। होस्टल में, श्रीमान, आपने जिन्दगी में यह काम नहीं किया होगा, आपने पढ़ाई की होगी।

अब आपने कहा कि चार साल के अन्दर मैं शराबबन्दी कर दूंगा। आप योजना बतायें, चार साल में किस तरह से शराबबन्दी होगी? क्या योजना है, यह आपने नहीं बतायी....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने शराब पी है या नहीं पी? अगर नहीं पी है, तो आप कैसे अच्छाइयां और बुराइयां जानते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : एक बात और कहना चाहता हूं। कुरान में जो शब्द कहे गये हैं वह महात्मा गांधी ने कोट किये हैं :

"Liquor as we say, is an invention of the devil. In Islam it is said that when Satan began to beguile men and women he dangled before them the 'red water.'"

श्रीमान्, शराबबन्दी क्यों हो इसके मैंने कारण बताये हैं। शराब ने हमारे घर को बरबाद कर दिया, मजदूरों को बरबाद कर दिया, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर दिया और हमारी मस्तिष्क की जो शक्ति है उसको कमजोर कर दिया।

शराबबन्दी करेंगे तो जितना रुपया आप खर्च करते हैं एक्साइज विभाग पर उससे ज्यादा आपकी बचत होगी। आपका एक्सचेकर और बढ़ेगा, और इसको उत्पादन के कार्यों पर लगायेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा।

(श्री मूलचन्द डागा)

श्रीमान्, हमारे वित्त मन्त्री जी हमारी बातें सुनेंगे नहीं तो उत्तर कैसे देंगे ? वित्त मन्त्री जी तो बातें कर रहे हैं।

श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प पेश किया गया है उसमें संशोधन प्रस्ताव आपके सामने रखा है। मैंने एक बात संशोधन में कही है कि 'सदन की यह निश्चित राय है' और दूसरा है 'सख्ती से लागू किया जाये'। मैं समझता हूं सदन का कोई सदस्य इसका विरोध नहीं करेगा। आज तो केन्द्रीय सरकार भी इनकी है और यहां भी सरकार इनकी है। मोरारजी ने भी कह दिया है, माननीय मोरारजी, प्रधान मन्त्री ने कह दिया है, यह आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। आज का जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी आज ही निर्णय ले चाहे पांच बज जायें, छः बज जायें, आज ही निर्णय लेकर चले। इससे मालूम हो जायगा कि संकल्प के विरोध में कितने हैं। सभापतिजी, आपके सभापतित्व में ही इस पर निर्णय होना चाहिये। जो भी निर्णय लेना है वह आज ही लें, अभी लें। अच्छे काम के ऊपर निर्णय लेने की बात कल तक न छोड़ें। हमारे वित्त मंत्रीजी कल रहें न रहें, इसलिए खजाना लुटा दें शराब को बन्द करने के लिए। खजाना फिर बढ़ जायेगा। बस इतना ही कहना है।

श्री सभापति : श्री रामकरणसिंहजी, आपसे एक निवेदन करूं। आपका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। स्पीकर साहब की तरफ से लेकिन आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस वक्त जो जनता सरकार बनी है उसके वित्त मन्त्री जी को महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया उनसे हमें और आशायें हैं। यह एक इकानोमिक सवाल है, यह एक आर्थिक समस्या है देश के सामने। देश में अस्सी पर्सेन्ट गरीब हैं और गरीब लोग शराब पीते हैं उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिये इस आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए किस प्रकार शराबबन्दी की योजना इम्पलीमेंट करना चाहते हैं ? कांग्रेस पार्टी शराबबन्दी में विश्वास रखती है, जनता पार्टी भी शराबबंदी में विश्वास रखती है, इसलिए शराबबन्दी के बारे में कोई दो मत नहीं हैं। न उधर से इसमें कोई कठिनाई आने वाली है कि शराब-बन्दी लाजिमी हो और न इधर से आने वाली है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करना जरूरी नहीं है। शराबबन्दी होनी चाहिये इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जब हम इस पालिसी को अमलीजामा पहिनाते हैं, तब जो सरकार में बैठते हैं उनके सामने बाधाएं आती हैं उनको कैसे दूर किया जाय। यह मैं मानता हूं वित्त मन्त्री जी, मास्टर साहब हमारे पूजनीय हैं। इनमें हमारी बड़ी श्रद्धा रही है, आज भी है। यह कोई बात गलत नहीं कहते। इनके मजबूत हाथों में अब यह विभाग आया है। मेरे पास भी यह महकमा था। शराबबन्दी से रेवेन्यू कम हो जायेगी, इसको कवर कर पायेंगे कि नहीं, उसके लिए जितने एक्सपैरीमेंट हो सकते हैं वह सब हमने किये। मुझे खेद है इस बात का कि जब वित्त मन्त्री जी मास्टर आदित्येन्द्र बने और इनके पास यह विभाग आया तो जो एक्सपैरीमेंट

(श्री मथुरादास माथुर)

हमने कर लिए उन पर गौर नहीं किया। वित्त मन्त्री जी, आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमारे सामने वित्तीय साधनों का प्रश्न है और आर्थिक समस्या है इसलिए 12 महीने चुप रहेंगे फिर सोचेंगे, यह ईमानदारी से आप कह दीजिये। आपका बयान यह निकला कि शराबबन्दी पूर्ण होनी चाहिये। मुख्य मंत्री जी का यह बयान निकला कि शराबबन्दी कैसे की जाये। शराब की 25–30 करोड़ की आमदनी कैसे सेक्रीफाइस करें। 25 करोड़ की आबकारी से आमदनी और पांच करोड़ सेल्स टैक्स, एक साल में 30 करोड़ की आमदनी होती है और पांच सालों में 150 करोड़ की आमदनी होगी। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि इसकी कैसे पूर्ति करें। वे भारत सरकार की तरफ देखते हैं। भारत सरकार की तरफ देख कर यह कहते हैं कि हम पानी की समस्या हल करना चाहते हैं, सिंचाई की समस्या हल करना चाहते हैं। ऐसी हालत में शराबबन्दी से घाटा होगा तो इन समस्याओं का हल कैसे होगा? यह प्रश्न वे उठाते हैं। यह प्रश्न उनका ही नहीं, हमारा भी है कि क्या योजना के अन्तर्गत काम हो जायेगा? हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे पड़ोस में गुजरात में शराबबन्दी है और पड़ोस में हरियाणा और पंजाब में नहीं है। योजना कमीशन इस बात को मानने के लिये आज तक तैयार नहीं है, आज मान जाये पता नहीं। आज एक्साइज से आमदनी होती है वह स्टेट की आमदनी नहीं समझते हैं। स्टेट की आमदनी के बारे में मैंने तीन-चार वर्ष तक आज के प्रधान मंत्री, जो उस वक्त वित्त मंत्री थे, से कहा, हमने कितने एक्सपेरीमेन्ट कर डाले लेकिन वह पैसा नहीं मिला। उधर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी यह बयान देते हैं कि एक्साइज से जो आमदनी होती है उस पैसे को विकास में लगाना पाप है। अभी तीन दिन पहले ही बयान में कहा है। उसके साथ-साथ हमारे वित्त मंत्री जी ने सदन में कहा है, प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा है, अखबारों में कहा है कि शराब पिला-पिला कर जो आमदनी मिलती है, उस आमदनी से राज्य का विकास करना पाप है। इधर आपका यह बयान सुना, उधर मोरारजी के बयान सुने··

श्री वृद्धि चन्द्र जैन: आप नहीं मानते हैं क्या?

श्री मथुरादास माथुर: आप यह कहते हैं उस रुपये को विकास के काम में नहीं लेना चाहिये। प्रधान मंत्री जी कहते हैं, उस रुपये से विकास करना पाप है। उसे विकास के काम में नहीं लेना चाहिये। 450 करोड़ की आमदनी को विकास के काम में न लें और उसके लिये यह कहें कि वैश्यावृत्ति द्वारा कमाये हुये पैसे से भी बढ़कर खराब है तब मुझे तसल्ली हुई। लेकिन 25 करोड़ रुपये सालाना और पांच साल के 150 करोड़ रुपये डवलपमेंट में काम में नहीं लायेंगे, यह तो पाप है। जब आप कहते हैं पाप है, मोरारजी भाई कहते हैं पाप है, आपके राज नारायण जी कहते हैं पाप है, तो फिर टांग ऊपर और सिर नीचे क्यों कर रहे हैं?

(श्री मथुरादास माथुर)

शराबबन्दी करने पर भारत सरकार आपको 50 पर्सेंट देगी अगर वह मिल गया, तब तो ठीक है और अगर नहीं देगी, तो क्या होगा? यह कह दीजिये कि हम अभी नये नये आये हैं। 90 दिन हुए हैं। इन्सान के बच्चे को विकसित होने के लिए 9 महीने चाहिये और हाथी के बच्चे को तो पांच साल चाहिये। जनता पार्टी की सरकार को 90 दिन हुए वैसे तो 90 दिन काफी हैं अगर नीति निर्धारण करना हो तो। आप यह कह दीजिये कि इस साल हम कुछ नहीं करेंगे, अगले साल देखेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये एक्सपेरीमेन्ट मैंने सब कर लिये हैं। मैं तजुर्बे के आधार पर ही कह रहा हूं। हमको भी भारत सरकार ने आश्वासन दिया था। हमने 25 किलोमीटर की बैल्ट में प्राहिबिशन किया था तब यह कहा था कि और अधिक प्राहिबिशन करेंगे तो जो आमदनी कम होगी इसका 50 पर्सेन्ट हम देंगे। श्रीमन्, वह सब कर डाला। हमने सप्ताह में दो दिन दुकान भी बन्द कर दी। लेकिन आपके मोरारजी भाई ने कहा, मैं दुकानें बन्द करने से नहीं दूंगा एरियावाइज प्राहिबिशन करें। इसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर के बोर्डर एरिया, जो गुजरात सरकार से मिलता है, में 25 किलोमीटर की बैल्ट पर प्राहिबिशन लागू किया और साइन्टिफिक वे में लागू किया। अब आपने टौंक पकड़ लिया। तो मेरा निवेदन है आपके इस तरह ऐलान करने से शराबबन्दी नहीं होगी। टौंक का जिला मिलता है, जयपुर से। जयपुर का ठेकेदार लाखों रुपये कमायेगा। उसी तरह कोटा में करना चाहते हैं तो बूंदी वाला ठेकेदार लाखों रुपया कमा कर मालामाल हो जायगा। आपकी रेवेन्यू कम हो जायगी किन्तु ठेकेदार अपना पेट खुशी-खुशी भरेगा। इसी तरह माण्डलगढ़ में मनोहर सिंह जी मेहता को खुश करने के लिये भले ही कह दें लेकिन इससे कोई प्रोहिबिशन नहीं होगा। इधर गोकुल भाई ने हड़ताल कर दी, उनको राजी कर दें और एक जिला और ले लें, सिरोही को और ले लें। गोकुल भाई ने धरणा दे दिया तो एक जिला और ले लेंगे तो इससे आपकी नीति में फर्क पड़ने वाला नहीं है।

मैं पांच करोड़ की आमदनी छोड़ कर राजस्थान से गया था आज वह 25 करोड सालाना की आमदनी हो गई। आमदनी बढ़ती जाती है और इधर आपकी तहसीलें भी बढ़ती जाती हैं, तो फिर मैं कहूंगा यह फर्क कहां पड़ा? शराब की बिक्री पर कोई असर पड़ा नहीं बल्कि इल्लीसिट लिकर का प्रयोग ज्यादा बढ़ गया जिससे मनुष्य की मौत और होने लग गई। आज हम चौराहे पर खड़े हैं, अब इस प्रोहिबिशन को बुरा कहें या अच्छा कहें, यह पालिटिकल इश्यू नहीं है, यह इकानोमिक इश्यू है इस पर सब मिलजुलकर विचार करें। मेरे नागौर जिले में प्राहिबिशन कर डाला। आज भी आपको नागौर जिले की एक-एक तहसील में दस हजार बोतल चाहिये तो मैं दिलवा दूं। आप इन चीजों से बदनाम होते हैं। आपके थाने उतने ही हैं, पुलिस उतनी ही है, प्रिवेन्टिव फोर्स उतनी ही है। एक भी आदमी चैक करने वाला नहीं है। वित्त मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे अनाउन्समेंट करना आसान है। पीने वाले चाहते हैं कि प्रोहिबिशन हो, नहीं पीने वाले हैं वे भी चाहते है प्रोहिबिशन हो,

(श्री मथुरादास माथुर)

ठेकेदार भी चाहते हैं कि प्रोहिबिशन हो ताकि उनके धन्धे का रास्ता खुल जाय। एक जिले से दूसरे जिले में शराब आसानी से पहुंच जाती है। उस पर ठेकेदार मुनाफा अच्छा कमा लेते हैं। महाराष्ट्र, बम्बई में इसकी मिसाल मौजूद है। वहां शराबबन्दी होने पर भी दुनिया भर की शराब बनने लगी है। महाराष्ट्र सरकार को भी दुखी होकर बन्द करना पड़ा। इसी प्रकार मैसूर—कर्नाटक है। आपके जनता पार्टी के नेता निजलिंगप्पा हैं, बड़े पुराने कांग्रेसी हैं। आज जनता पार्टी के नेता हैं। शराबबन्दी को खतम किया तो उन्होंने अखबारों में छपवा दिया I want to serve at neat places, to my people. लोग शराब बना बना कर, रद्दी शराब बना-बना कर बेचते हैं और लोग इल्लीसिट शराब पीते हैं जिससे मरते हैं। आज देख लीजिये, कितनी स्टेट्स के अन्दर इससे कितने आदमी मरे, वे शराबबन्दी के कारण मरे। शराबबन्दी होती है वह ढंग से एनफोर्स नहीं होती है इस कारण लोग रद्दी शराब पीते है। इसलिये मैं कहता हूँ यह बड़ी खतरनाक चीज है। अगर प्राहिबिशन करना है तो हिम्मत से करें, फोर्स से करें और सम्पूर्ण शराबबन्दी करें वरना अधपकी शराब पिला कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। अधपकी, अधकचरी और रद्दी शराब पीने से लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अगर आपको कोई इस तरह की मिसाल लेनी है तो नागौर के माननीय सदस्य बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिये कि शराब से लोगों की क्या हालत हो रही है। पाली जिले की बाली तहसील में बड़े-बड़े सैन्डड्यून्स हैं और उधर चम्बल के रेवाइन्स भी हैं ये इल्लीसिट डिस्टलरी के बड़े अड्डे हैं। आपने पुलिस को नहीं बढ़ाया, प्रिवेन्टिव फोर्स को नहीं बढ़ाया, खर्चा किसी प्रकार का बढ़ाया नहीं। इसलिये मास्टर साहब, आप सोच लीजिये। 30 करोड़ का घाटा होगा और प्राहिबिशन एनफोर्स करने के लिये पांच करोड़ और लगाना पड़ेगा, सरकारी नौकरों का सहयोग मिलेगा नहीं, यह भी आप निश्चित मान लीजियेगा क्योंकि जो सरकारी नौकर शराब पीते हैं—क्लब में जाकर शराब पीना अपना-अपना स्टेटस समझते हैं। क्लब में बैठकर शराब न पीयें तो वह सुपर टाइम स्केल का आई. ए. एस. नहीं है। वह क्लब में बैठकर शराब पीना अपनी शान-शौकत समझता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पूर्ण शराबबन्दी होनी चाहिये। मैं एक-एक जिले में, एक एक तहसील में शराबबन्दी करने के सख्त खिलाफ हूं, यह मैं हार कर, थक कर कहता हूं।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय सदस्य क्या बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल ऐरन : मालूम नहीं पड़ता है ये क्या कहने जा रहे हैं और मकसद क्या है? एक ही सांस में बोलते चले जा रहे हैं और दोनों तरफ की बातें कह रहे हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : इनकी बात कुछ समझ में ही नहीं पड़ रही है, क्या कहना चाहते हैं। धीरे बोलने के लिये तो कहें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच-बीच में न बोलें।

श्री भंवर लाल ऐरन : माननीय सभापति जी, आप क्या कह रहे हैं ? शराब चालू करना चाहते हैं या बन्द करना चाहते हैं ? कुछ मालूम तो पड़े।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं आपसे यही कहता हूं कि राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी हो। सरकार की जो मौजूदा नीति है जिसमें कुछ जिलों और कुछ तहसीलों में शराबबन्दी की जाती है, उसके खिलाफ मे बोल रहा हूं। इससे शराबबन्दी नहीं होती है। अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, लोगों की मौतें होती हैं। इसलिये पूरी शराबबन्दी करने के लिये तैयारी करें। मैं यह भी कह रहा हूं कि आप प्रिवेन्टिव फोर्स को सशक्त बनाइये। उसके साथ ही साथ इस रेवेन्यू को छोड़ने का आपका दिमाग बना लें। आप आमदनी भी करना चाहें और शराबबन्दी भी करना चाहें तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी। आपका इलेक्शन मेनीफेस्टो है। अभी आप चुनाव जीतकर आये हैं, कुछ जोश भी है, थोड़े दिनों मे ब्यूरोक्रेसी का पूरा शुगरकोटिंग हो जायेगा। कुछ करना है तो आज ही करो। इसलिये मेरा निवेदन है कि 2 अक्टूबर को सम्पूर्ण राजस्थान में शराबबन्दी करने का प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार कर शराबबन्दी की आप 2 अक्टूबर से घोषणा कर दें। यदि 2 अक्टूबर से नहीं हो तो आगे की तारीख तय करके पूरी शराबबन्दी करें तो इस अभियान को अमल में ला सकेंगे वरना जो हैफहैजर्ड वे में इस सम्बन्ध में नीति चल रही है उससे नुकसान होगा, इन्फ्लेशन होगा और लोगों में बदनामी होगी। इसलिए खुदा के लिए इसको बदनाम मत करो और पूर्ण नशाबन्दी करो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको समय दूंगा। पहले तो इसके पक्ष में जो बोलने वाले हों वह बोलें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं शराबबन्दी के पक्ष मे बोलने वाला हूं।

श्री सभापति : थोड़ा ठहरिये। बिराजिये, मैं आपको समय दूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कब देंगे ?

श्री सभापति : अभी देता हूं। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इनके बाद में ?

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सैशन के बाद में ?

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने भी समय मांगा था।

श्री सभापति : आपको भी दूंगा। पहले पक्ष में बोलेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : हम भी पक्ष में ही बोलेंगे।

श्री सभापति : पहले जिन्होंने मूव किया है उनको बोलने दें। पहले विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्री रघुनाथ जी विश्नोई ने 2 अक्टूबर, 1977 से सम्पूर्ण राजस्थान में शराबबन्दी के लिए जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी जी शराब को सबसे घृणास्पद चीज मानते थे। उनके विचार यह थे कि मैं शराबखोरी को चोरी और शायद व्यभिचार से भी अधिक निन्दनीय समझता हूं क्योंकि यह दोनों की जननी है। महात्मा गांधी के अनुयायी हमारे वित्त मंत्री जी हैं। जो महात्मा गांधी के ये विचार हैं उनका मैं भी पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं शराबबन्दी को नैतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से, पसन्द करता हूं। हमारी सरकार तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर प्राहिबिशन करने का विचार कर रही है और कम्पलीट प्राहिबिशन की ओर जा रही है यह तरीका उचित है या नहीं है, इस संबंध में डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपने विचार रखे मैं भी उसी मत का हूं। जो शराबबन्दी हो रही है जैसे जो मेरे जिले में शराबबन्दी हुई है, जैसलमेर जिले में भी हुई है, जालौर जिले में भी शराबबंदी हुई है, परन्तु उन जिलों के बारे में मेरा भी यह मत बनता जा रहा है और दृढ़ मत बनता जा रहा है कि शराब बनाने का धंधा कुछ लोगों ने खोल रखा है। वहां नाजायज तरीके से शराब बनाई जा रही है, अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है और पहले जितने लोग शराब पीते थे उससे भी अधिक लोग शराब अब पीने लग गये हैं। यह स्थिति बनती जा रही है। यह स्थिति क्यों बनती जा रही है? इसका खास कारण यही है कि हम विभिन्न जिलों में शराबबन्दी तो करते जा रहे हैं—परन्तु नाजायज शराब को रोकने के लिए प्रिवेन्टिव फोर्स नहीं लगा रहे हैं। जो कांग्रेस के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चन्दनमल जी बैद थे उनसे भी मैं बार-बार निवेदन करता था कि आप जब तक प्रिवेन्टिव फोर्स पूरी नहीं लगायेंगे, शराबबन्दी के उद्देश्य के लिए फोर्स नहीं लगायेंगे, उसको इनवेस्टीगेशन के अधिकार नहीं होंगे और इनवेस्टीगेशन के अधिकार होने के साथ ही चालान करने के अधिकार नहीं होंगे तब तक यह प्रवृत्ति समाप्त होने वाली नहीं है। हमने काफी जोर दिया। जोर देने पर कानून में परिवर्तन हुआ और इस आफेन्स को काग्नीजेबल आफेन्स बनाया गया। परन्तु जो शराब मेन्युफेक्चर करते हैं उससे अगर कोई रिकवरी होती है तो काग्नीजेबल और नान-बेलेबल आफेन्स है लेकिन शराब पीने वालों के लिए वह कानून लागू नहीं है। मेरा निवेदन है कि कानून मे आज यह परिवर्तन भी लायें कि शराब पीने वाला है यदि वह पीते हुए पाया जाये तो भी आफेन्स काग्नीजेबल और नान-बेलेबल होना चाहिए। जो हेबीचुअल आफेन्डर्स हैं उनको हथकड़ियां लगानी चाहिए, मैं तो इस मत का हूं। हम शराबबन्दी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से हमें काम करना पड़ेगा लेकिन कानून भी कठोर बनाने पड़ेंगे और बिना कठोर कानून बनाये हुए हम इस संबंध में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कानून कठोर बनाने के लिए विचार करना पड़ेगा। 1976 में हमने अमेन्डमेन्ट करके 6 महीने की सजा का प्रावधान रखा था। हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार का जो आफेन्स कर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दें तो 6 महीने की सजा पहली बार में, दूसरी बार यह ग्राफेन्स करने वाले के लिए 2 साल की सजा और इससे आगे कनविक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए । जब तक हम कानून को कड़ा नहीं बनायेंगे तब तक इस सम्बन्ध में ठोस कदम नहीं हो सकता । इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिलों में जिन तहसीलों में शराबबन्दी की है उन जिलों में जो इल्लीसिट शराब बन रही है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाय। पुलिस को जब हम इस संबंध में कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारा यह कार्य खास नहीं है हमारा यह सैकिण्ड कार्य है। यह हमारा प्रथम कार्य नहीं है यह तो महकमे का कार्य है। तो पुलिस इसको मुख्य कार्य समझ कर करे। हम समझते हैं कि इससे ग्राथिक स्थिति भी खराब होती है और नैतिकता का भी पतन होता है । इसलिए इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि हम शराबबन्दी के ऊपर बराबर जोर देते थे जब कि हम कांग्रेस सरकार में थे। हमारे मनोहर सिंह जी मेहता भी इस प्रश्न को उठाते थे। हम उनको भी बराबर समर्थन देते थे। अब यह स्थिति आई है कि हम तो विरोध में आ गये और मनोहरसिंह जी मेहता, जो पहले विरोध में थे, अब सरकार में आ गये। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। हम दोनों चाहते है कि शराबबंदी हो। परन्तु आप जो कदम उठावें, वह ठोस कदम उठावें। हमारा समर्थन आपको है परन्तु इस ठोस कदम के लिए आपने जो यह चार साल की सीमा रखी है उसके बजाय आप 2 अक्टूबर, 1977 से शराबबन्दी नहीं कर सकते हैं तो 2 अक्टूबर, 78 से कर दें। आप जो कदम उठा रहे हैं, उसके अनुसार चार वर्षों के अन्दर-अन्दर शराबबन्दी होगी। यह जो चार वर्ष की सीमा है इसमें शराबबन्दी पूरी नहीं होने वाली है। पंचायतों के चुनावों का उदाहरण आपके सामने है। बार बार हम लोग इसकी मियाद बढ़ाते रहे। इस प्रकार स्थिति यह हो गई कि पंचायतों के चुनाव 12 साल तक नहीं हो पाये, जिसके कारण कांग्रेस की बदनामी हुई है। वास्तव में यह त्रुटि हुई है। आपकी गवर्नमेन्ट, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अगर यह सोचेगी कि चार वर्ष में नशाबंदी करने की कोशिश करेंगे तो क्या पता आपकी यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जनता पार्टी की रहेगी या नहीं रहेगी, क्या पता आपकी यह जो स्टेट गवर्नमेन्ट है, वह रहेगी या नहीं रहेगी। आपकी यह जो गवर्नमेन्ट आई है, उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, कई घटक के लोग शामिल हैं। इसलिए आपको जो भी कदम उठाना है, वह कदम जल्दी उठावें। मोरारजी देसाई शराबबंदी के पक्ष में है। उनका शराबबन्दी में विश्वास है। आपका शराबबन्दी में पूर्ण विश्वास है तो आप कदम उठाने की कोशिश करें और कम्पलीट प्रोहिबिशन कर दें। पार्टली प्रोहिबिशन आप करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए मेरा यह मत है कि पूर्ण शराबबन्दी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कदम उठावें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिन्सिअरली आप इस कदम को उठाना चाहते हैं तो 2 अक्टूबर, 78 तक उठा लें। इस सम्बन्ध में आपको कोई साधन जुटाने हैं तो उन साधनों को बढ़ाने के लिए भी सोच

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

लें। इस प्रकार का कदम उठाएंगे तो आपको सख्त निर्णय भी लेने पड़ेंगे, टैक्सेज लगाने पड़ेंगे। ढाई एकड़ जमीन के लगान के सम्बन्ध में राज्य सरकार किसानों को सुविधा दे रही है। इस प्रकार की सुविधा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसानों के दिमाग में यह भ्रम पैदा हो गया है कि हम अपनी जमीन के मालिक हैं या नहीं हैं, खातेदार हैं या नहीं हैं। इस प्रकार के कदम आपको नहीं उठाने चाहिए। आप ठोस कदम उठावें। आप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगावें। दस हजार के ऊपर नहीं लगावें तो जिनकी एग्रीकल्चर इन्कम 20 हजार के ऊपर है, उनके ऊपर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगावें। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, किसान पूंजीपति है, उन पर ही उसका भार पड़ेगा और आपकी आय में तरक्की हो जाएगी।

मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपने अन्त्योदय की योजना बनाई है। यह अन्त्योदय की जो योजना है, इस अन्त्योदय की योजना को शराब खतम कर देगी। गरीब आदमी भी शराब पीता है। अन्त्योदय की योजना में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि गरीब आदमी को आप राशि देंगे, तो उन लोगों के सामाजिक सुधार के लिए भी कोशिश करनी होगी। जो योजना उन लोगों के लिए है तो उनको शराब नहीं पीनी चाहिए। वे शराब पीयें तो उनको समझाना पड़ेगा और उनके खिलाफ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे उनके खिलाफ एक्शन भी लेना होगा। इसका मतलब यह है कि आपने अन्त्योदय की योजना बनाई, इसके अन्तर्गत सुविधा देंगे, लोन देंगे, सिब्सडी देंगे, गाय, भैंस या बैल देंगे, मगर उनको शराब की आदत है तो वह यह सब चौपट कर देंगे। दूसरी एक और बात मैं अन्त्योदय के बारे में कहना चाहता हूं। तीन–पांच साल में जो अकाल पड़ता है, वह अकाल अन्त्योदय योजना को समाप्त कर देगा। इसका भी ध्यान रखना होगा। परिवार नियोजन नहीं अपनाएंगे तो यह अन्त्योदय की योजना सफल नहीं होगी। विषमताएं बढ़ेगी। आप जिन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, वे परिवार नियोजन के कार्यक्रम को नहीं अपनाएंगे तो उनके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। आप परिवार नियो-जन के कार्यक्रम को लागू नहीं करना चाहते हैं तो यह अन्त्योदय की योजना कामयाब नहीं होगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्त्योदय योजना सफल हो इसके लिए आवश्यक है कि शराबबन्दी हो। अन्त्योदय की योजना को सफल बनाना है, यह योजना बड़ी अच्छी है, इसका सैद्धान्तिक स्वरूप अच्छा है, बढ़िया है, पर ठीक से यह लागू नहीं होगी तो सफल नहीं होगी। इसके लिए भरसक प्रयत्न करने होंगे। जो बाधाएं हैं, उनका मुकाबला नहीं किया जाएगा तो अच्छी से अच्छी योजना कामयाब नहीं हो सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस शराबबंदी के लिए आप ठोस कदम जल्दी से जल्दी उठावें। 2 अक्टूबर, 77 से शराबबन्दी लागू नहीं कर सकते हैं तो 2 अक्टूबर, 1978 से तो अवश्य ही लागू कर दें। राजस्थान में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में पूरा प्रोहिबिशन करेंगे तभी जाकर यह समस्या हल हो सकेगी और गरीबी को दूर करने में सहायक होगी। अन्त्योदय की योजना सारे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

भारतवर्ष में सफल होगी अगर इस प्रकार के जो विचार रखे हैं, सुझाव रखे हैं, उन पर आप पालन करेंगे ।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल !

(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले वे बोलेंगे जिन्होंने अमेन्डमेंट दिये हैं । आपको भी समय दिया जायगा ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दूसरी भी पार्टियां हैं, दूसरे भी लोग हैं, कृपया उनकी ओर भी ध्यान दें ।

श्री सभापति : माननीय गुप्ता जी, आज तो आप बहुत बोले हैं ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, स्वर्गीय बापू, महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को राजस्थान के अन्दर पूर्ण नशाबंदी करने का संकल्प माननीय सदस्य रघुनाथ जी बिश्नोई ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय, मैं यह विचार रखना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अन्दर भी इस बात का उल्लेख किया गया है । हमारे संविधान के निर्माता जिन्होंने देश की आजादी प्राप्त की, स्वयं इस बात को जानते थे कि शराब जैसा बुरा व्यसन होगा तो देश रसातल की तरफ जाएगा, तरक्की नहीं कर पायगा इसलिए हमें यह विचार करना चाहिये कि यह जो व्यसन है, केवल इकोनोमिकल, सोशल नहीं, पोलिटिकल नहीं, बल्कि हमारे जीवन के सभी अंगों पर काला धब्बा है । मेरा यह विचार है कि जब तक पूरे देश में एक साथ नशाबंदी नहीं की जायगी और अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग-अलग समय पर नशाबंदी की जायगी, या नशाबंदी का प्रोग्राम लिया जायगा तब तक शराबबंदी की योजना सफल नहीं होगी ।

सभापति महोदय, मैं अपने संविधान के इस आर्टिकल की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया है–राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों, औषधियों के अतिरिक्त मादक द्रव्यों, के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा । उस समय भी यह बात सोची गयी थी, मादक पेयों में शराब है । यह हमारे संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल में है । इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के ध्यान में यह बात थी कि सारे देश में नशाबंदी होनी चाहिये । कांग्रेस ने स्वयं यह बात कही है कि शराब बंदी होनी चाहिये । हमारे कांग्रेस के विधान के अन्दर रचनात्मक कार्यकर्ताओं के लिए शराबबंदी रचनात्मक कार्यक्रमों में प्रमुख है । महात्मा गांधी के उपदेशों को जनता पार्टी वाले भी मानते है और हम भी मानते हैं । इसलिए इस बात की ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि शराबबन्दी आवश्यक है । देश की तन्दुरुस्ती के लिए शराबबन्दी आवश्यक है । देश की गरीबी को मिटाने के लिए शराबबन्दी आवश्यक है । हमारे आदर्शों के लिए शराब-

(श्री शंकरलाल)

बन्दी आवश्यक है। सभापति महोदय, कल ही जो दिल्ली के अन्दर शराबबन्दी के लिए सम्मेलन हुआ, उसमें प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि जनता पार्टी का शासन रहे या नहीं रहे, चाहे हमारी पार्टी सत्ता में रहे या नहीं रहे लेकिन हम नशाबन्दी करके रहेंगे। मैं प्रधान मन्त्री की इस बात के लिए सराहना करता हूं। उन्होंने यह कहा है कि चाहे हमारी सरकार रहे या नहीं लेकिन हम नशाबन्दी करके रहेंगे। यह निश्चय उन्होंने कर लिया है। राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें भी यह कहा गया कि हम 4 साल के अन्दर नशाबन्दी करेंगे। हमारे राज्य के वित्त मन्त्री जी ने 6 सितम्बर को बजट भाषण पढ़ते हुये कहा कि नशाबन्दी के मामले पर राजस्थान अगुआई करेगा। सभापति महोदय, प्रधान मन्त्री ने जो यह आवाज उठाई है, अगर वह शराब खोरी मिटाना चाहते हैं तो पूरे देश में एक ही पेन से, एक ही दिन शराबबन्दी करें तो वह समाप्त हो सकती है। अन्यथा एक जगह शराबबन्दी हो गई और दूसरी जगह नहीं हुई तो जैसा कि माननीय माथुर साहब ने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह करप्शन फैलता है। पूरे देश में एक साथ नशाबन्दी करने से नशाबन्दी हो सकती है।

राजस्थान के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की क्या स्थिति है। हमारे यहां 26 जिले हैं जिनमें से 15 जिलों में कहीं पूर्ण और कहीं अपूर्ण ढंग से नशाबन्दी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जालौर जिलों में नशाबन्दी है। उदयपुर जिले में खैरवाड़ा तहसील चित्तौड़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील, उदयपुर में सलूम्बर तहसील में नशाबन्दी की है। जैसा कि मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मनोहरसिंह मेहता चाहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए मांडलगढ़ तहसील में भी नशाबन्दी कर दें। पाली जिले की बाली तहसील में कर दी है। इस प्रकार से, सभापति महोदय, देखा जाय तो यह एक ही जैसी स्थिति है। जैसा कि पहले जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया है वैसा ही अभी आपने कोटा और बून्दी में कर दिया। झालावाड़ बोर्डर पर है उसको छोड़ दिया है। सवाई माधोपुर, अलवर, झुंझुनूं और गंगानगर में शराबबन्दी नहीं की है। बोर्डर एरियाज को शराबबन्दी में वैसे तो शराब के आने-जाने की बात नहीं होती। एक जगह शराबबन्दी नहीं करते हैं और दूसरी जगह बन्द कर दी है। जब आपने 15 डिस्ट्रिक्ट में शराबबन्दी के लिए तय कर दिया है 11 डिस्ट्रिक्ट बाकी रखे हैं तो मैं तो कहूंगा, माननीय वित्त मन्त्री जी, आप आत्मा की सच्चाई के साथ, अन्तरात्मा की सच्चाई के साथ नशाबन्दी के बारे में कहते आ रहे हैं, जिस तरह से प्रधान मन्त्री जी ने परवाह नहीं करते हुए कहा है, उसी प्रकार से आप भी घोषणा कर दें कि 1 अक्टूबर से पूरे राजस्थान में नशाबन्दी करने की। तो आपने जो अन्त्योदय में अगुआ होने की बात कही है, हम उसको तभी मान सकते हैं जब कि राजस्थान नशाबन्दी के मामले में अगुआ हो। आप के मुख्य मन्त्री जी देखते हैं तो कहते हैं कि 36 करोड़ का घाटा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि नशाबन्दी से जो घाटा होगा वह सैल्स टैक्स से पूरा करेंगे। गोकुल भाई जी ने जो

(श्री शंकरलाल)

अभी कहा है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। आपकी भावना तो है, लेकिन जनता पार्टी में दूसरे घटक हैं। सभी घटकों का इसमें विश्वास नहीं है। आप नशाबन्दी कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा दबी हुई है। आपको वित्त मन्त्री रहना है इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे आपसे यह बात कहनी है कि आप नशाबन्दी करें और राजस्थान को अगुआ करें। आप नशाबन्दी करने का निर्णय करके भारत सरकार को भेजें। तभी हिन्दुस्तान के अन्दर नशाबन्दी सफल हो सकती है। अन्यथा एक तहसील में नशाबन्दी कर दी दूसरी में नहीं की तो उससे यह योजना सफल होने वाली नहीं है। मैं, सभापति महोदय, उस बात को दोहराऊंगा नहीं जो कि जनता पार्टी के नेताओं ने कही है कि यह पाप की कमाई है नशाबन्दी से जो घाटा होगा तो आप टैक्स लगायें। आप कहिये कि शराबबन्दी से घाटा हो रहा है उसके कारण टैक्स लगा रहे हैं। गरीबों की आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। वह गरीब आदमी थोड़ी बहुत कमाई करते हैं उसको शराब में खर्च कर डालते हैं। उनको शराब पिलाने के बजाय आप टैक्स लगा दीजिए। आप घाटे के नाम पर टैक्स लगा दीजिए। जो पहले कांग्रेस सरकार रही हो उसने भी निश्चित कदम इस सम्बन्ध में नहीं उठाये। अगर आप आज नशाबन्दी की घोषणा कर दें तो गांधीजी की आत्मा है, वह वास्तव में कहेगी कि आप उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं। वरना चार साल में कौन होगा, कहां कौनसी सरकार होगी, कहां हम जायेंगे और कहां आप जायेंगे। आपने नशाबन्दी करने का वायदा किया है इसलिए 2 अक्टूबर से सम्पूर्ण राजस्थान में नशाबन्दी करके राजस्थान को अगुआ बना दीजिए।

श्री सभापति : माननीय श्री अमोपतसिंह।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ! आप बोलिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : सभापति महोदय, इस सदन में जिस पेय पदार्थ की चर्चा है यह रावण राज्य में होता था।

श्री रतनलाल वर्मा : रावण राज्य तो चला गया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस कल्याण कारी राज्य में भी है।

श्री राम करण सिंह : मेरी मान्यता है कि शराब एक ऐसी चीज है जो नैतिकता का हनन करती है, वीरत्व को खत्म करती है व्यक्ति के स्वाभिमान को नष्ट करती है, और नारी के सतीत्व को नष्ट करती है। यह ऐसी चीज है इस कल्याणकारी राज्य में जो नैतिकता, स्वाभिमान, वीरत्व और सतीत्व को नष्ट करने वाली चीज है। इसको धर्मराज के समान हमारे वित्त मंत्री जी बरदाश्त कर सकें यह कतई सम्भव नहीं है। आज ऐसा मौका है कि आप अपना धर्मराज होने का साक्षात प्रमाण सामने रख देंगे, ऐसी मेरी आशा है। इसकी घोषणा करके आप आज एक ऐसी मिसाल पेश कर देंगे जिसके लिए आपकी हिन्दुस्तान में ही

(श्री रामकरण सिंह)

नहीं दुनिया में वाहवाही हो जायगी। यह शराब एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो और चाहे अन्य प्रकार का कार्य करने वाला हो, अपनी नैतिकता से डिगा देती है, उससे स्वाभिमान खतम हो जाता है। और यहीं तक नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, वेश्यावृत्ति को भी पैदा करती है। यही नहीं, माननीय सभापतिजी, आप भी यह जानते हैं कि जो हिन्दुस्तान या राजस्थान में चोरियां बढ़ती हैं, हत्याएं होती हैं, डकैती होती हैं, एक्सीडेन्ट होते हैं, जिनसे लाखों की प्रोपर्टी एक क्षण में खत्म हो जाती है, उसका कारण शराब ही है। इससे माया और राम दोनों चले जाते हैं। इसी के कारण से आत्म हत्याएं होती हैं। जो पुरुष-महिला शराब पीते हैं, उनके बच्चे बिलखते रहते हैं रोटी के लिए, और दवा के लिए मगर वो मस्ताने बने फिरते हैं सुरा और सुन्दरी को लेकर। ऐसी स्थिति में इस कल्याणकारी राज्य में माननीय वित्त मन्त्रीजी अगर आप नहीं सोचेंगे तो क्या सुधार होगा, यह माननीय सदस्य जानें।

चुनावों के समय बड़ी-बड़ी घोषणायें की गईं कि हम सुरा और सुन्दरी को कतई मिटा देंगे। जो मौजूदा मुख्य मंत्रीजी हैं उनके साथ मैं कई जिलों में गया था। आज जब उधर से निकलते हैं तो लोग कहते हैं कहां गये आपके वायदे जो आप किया करते थे? इस तरह की बात की जाती है। माननीय सभापति जी,....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कुछ समय लेना चाहूंगा मैंने संशोधन रखा है।

आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि शराब पीने से डेढ़ सौ आदमी मर गये। एक एक आदमी के लिए इतना हो-हल्ला हो जाता है। उसके लिए पुलिस को तंग किया जाता है, राज्य सरकार डगमगा जाती है, गृह मन्त्रीजी को बयान देना पड़ता है। मगर शराब से डेढ सौ आदमी एक साथ मर जायं और सरकार उसके बारे में कुछ नहीं सोचे तो दुःख होता है। इस तरह की बुराई के बारे में हमारी जनता पार्टी की सरकार नहीं सोचेगी तो आप जानते हैं, सभापति महोदय, सबके दिमाग में बोतल है, हर व्यक्ति के दिमाग में, चाहे वह विद्यार्थी हो या कोई और जेन्टलमैन हो वह यही कहता है कि बोतल चाहिए। बोतल मिल जाय तो वह बोटी चाहता है। और उसके बाद जो चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए मांग होती है बोडी की। ऐसी यह बुरी चीज है जिससे आदमी का नैतिक पतन हो जाता है, उसका स्वाभिमान चला जाता है, नारी का सतीत्व नष्ट हो जाता है। ऐसी बुरी चीज को बन्द करने के लिए भी कुछ सोचने की जरूरत है। आप जानते होंगे, अजमेर और किशनगढ़ के बीच में, किशनगढ़ और दूदू के बीच में बहुत सारे ट्रक खड़े रहते हैं, जगह-जगह शराब के अड्डे बने हुऐ हैं, हर होटल में शराब सप्लाई होती है। इस बुराई को बन्द करना है। गरीबों को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आप राहत देना चाहते हैं तो कम से कम, वित्त मंत्रीजी, इतना तो सोचिये कि उनकी क्या हालत होती है। शराब की वजह

(श्री रामकरण सिंह)

से न उनकी सम्पत्ति रहती है, न उनके पास पैसा रहता है, उनके बच्चे बिलखते रहते हैं, उनकी जमीनें बिकती है, वे लोग घर से बेघर हो जाते हैं। आप अन्त्योदय योजना में गांवों से पांच परिवार लेना चाहते हैं, पांच परिवारों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं आप इस योजना के बजाय शराबबन्दी की योजना को लागू करिये जिससे जन जीवन और ऊपर आ जाय। समाज सुधारकों का भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके लिए आये दिन आन्दोलन भी चलते हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी यह एक ऐसी बुराई है जिसका इस्तेमाल तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए वरना रावण राज्य की जो हालत हुई वैसी ही हालत होगी। शराब की वजह से बड़े-बड़े जागीरदार समाप्त हो गये। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय वित्त मन्त्री जी इसको बन्द कीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय वर्माजी। पहले जिनकी तरफ से प्रस्ताव आया है उनको बोलने दीजिये।

श्री अब्दुल अजीज : मै दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय सभापति जी, पूर्ण राजस्थान में नशाबन्दी की जाय, इसके लिये जो संकल्प पेश हुआ है, उसके बारे में मैं आपके द्वारा सरकार को कुछ अर्ज करूंगा। माननीय सभापति जी, महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि मैं सबसे बुरी चीज जिसे समझता हूं वह है शराब। चोरी, डकैती, व्यभिचार, से भी बढकर बुरा दारू पीना है। इसलिए, सभापति जी, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पूरे राज्य में नशाबंदी की जावे। एक दो जिलों को छोड़कर, एक दो जिलों में शराबबन्दी लागू करने से कोई कल्याण नहीं होने वाला है, एक जिले में चालू रहे और दूसरे जिले में बन्द हो जाय, तो उससे उल्टा भ्रष्टाचार पनपता है। एक जिले से दूसरे जिले में दारू जायगी इससे जिले में घर-घर में इस प्रकार के अड्डे बन जायेंगे। जिस जिले में दारू बन्दी लागू है उस जिले में लोग ज्यादा से ज्यादा देशी शराब बनाने लग गये हैं। वहां पर दारू सस्ती मिलती है। उसको पीकर के लोग अपने होशो हवास भूल जाते हैं, बरबाद हो जाते हैं। दारू पीने वाला व्यक्ति औरत के जेवर को छीनकर और उनको बेच करके दारू पीता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सभापति जी, औरतों का ज्यादा उपयोग करते हैं दारू पीकर। गरीब आदमी दारू पीकर चोरी करता है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, यह शराबबन्दी बन्द करने की बात कर रहे हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : : मैं नशाबन्दी की बात कर रहा हूं।

सरकार को पूरे राजस्थान में शराब-बन्दी शुरू कर देनी चाहिये। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह कबीर दास जी ने भी कहा है। अगर पूरे राजस्थान

(श्री रतनाराम चौधरी)
में आप शराबबंदी कर दो तो वाहवाही हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : केता तस कीरा भला के तेस दो कढाय। अधकचरी कूलर किस काम की, दोनों तरफ से जाय।

शराबबन्दी पूरे राजस्थान में लागू कर देनी चाहिए। एक जिले में कर लें और दूसरे जिले में नहीं करें तो वह नहीं के बराबर है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण करते वक्त कहा था कि हम भ्रष्टाचार मिटा कर रहेंगे और किसी प्रकार के विकास में भेदभाव और पक्षपात नहीं करेंगे परन्तु न भ्रष्टाचार मिटाया न दारूबन्दी की।

मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि अब की बार जो स्कूल खोले उसमें भेद भाव किया, हमारे क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं खोला। हमारी आत्मा जल रही है। किसी जिले में एक स्कूल खोला है और किसी किसी में चार-पांच स्कूल खोल दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : पहले तो जिनकी तरफ से संकल्प पेश किया गया है वे बोलेंगे। उसके बाद दूसरे। वर्माजी, बिराजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : इन्होंने 30 साल सुरा व सुंदरी का भोग किया है। ये क्या बतायेंगे ?

(व्यवधान)

आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : निर्दलीय सदस्य राम कृष्ण दासजी गुप्ता के बैठने की व्यवस्था नहीं की। जनता पार्टी के राज्य मंत्री उनको घसीटकर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। गुप्ताजी प्रसन्न हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : वह औरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय वर्माजी, उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज मंत्रीजी इसका जवाब देंगे ?

श्री सभापति : मैं जवाब देने के लिए उनसे निवेदन नहीं करूंगा जब तक सब नहीं बोल लेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप व्यवस्था दीजिए, यदि आप सबको आज बोलने देंगे तो फिर जो अगला सेशन होगा, उसमें यही संकल्प....

Page No.104

श्री सभापति : इस बारे में बाद में देखा जायगा।

श्री रामसिंह बिश्नोई : सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : सदन का समय नहीं बढ़ाया जायगा।

एक माननीय सदस्य : वोट ले लीजिए।

श्री सभापति : कोई जरूरत नहीं वोट लेने की।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम सब बोल लें....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर, जब आप समय नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो वित्त मंत्री...

श्री सभापति : जब समय आएगा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। अभी समय नहीं आया है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर। 5 बजे अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही स्थगित हो जाएगी।

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वित्त मंत्री का वक्तव्य आना जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No point of order

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आबकारी मंत्री अपनी नीति तो बतायें।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। यह मेरी व्यवस्था है। इस बिंदु पर कोई व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभापतिजी, शराबबंदी राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में लागू करें, मैं तहेदिल से इसका समर्थन करता हूं। सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाता हूं :

गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगी में,
हजारों बह गए बोतलों के बंद पानी में।

(व्यवधान)

यह दुनिया की सबसे बुरी चीज है, यह एक शायर की जुबान से निकली हुई बात है। आप देखिए अगर वाकई हम मजाक में नहीं ले रहे हैं, अगर हम सीरियसली इस बारे में सोच रहे हैं कि शराबबंदी करनी है और इस बुरी चीज को खतम करना है तो हमें गंभीरता से इसे लेना है, 30 साल से चली आ रही पुरानी सरकार शराबबन्दी करने में नाकामयाब रही...

श्री टीकम चन्द कांत : लानत दो उसको।

श्री अब्दुल अजीज : 30 साल की कोशिश के बाद भी पुरानी सरकार कामयाब नहीं हुई। जनता पार्टी के सदस्य आज नए अन्दाज से, नए वायदों के साथ अपनी ताकत को लेकर सदन में आए हैं उनमें से कितने लोग हैं जो खुद शराब नहीं पीते।

(श्री अब्दुल अजीज)

मैं सदन के अन्दर बैठे हुए कई माननीय सदस्यों के बारे में निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि वह शराब पीते हैं, आपको चाहिये कि पहले हमारे जो माननीय सदस्य पीते हैं उन्हें बन्द किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पहले तो आपके आगे की लाइन में बैठने वालों से पूछ लीजिये कि वह शराब पीना बन्द करेंगे या नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : जिनका शौक है वह तो पीते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवधान नहीं करें। बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : पीछे की बैंच में भी बैठे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : मैं, सभापति महोदय, यह गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोग वास्तव में शराबबन्दी करना चाहते हैं तो पहले आप और हम में से जो माननीय सदस्य शराब पीते हैं उन्हें बन्द करना होगा। अगर हम वास्तव में हमारे समाज की इस बुराई को मिटाना चाहते हैं तो हमें सभी सदस्य, जो यहां बैठे हैं, को इस बात का संकल्प करना पड़ेगा, कसम उठानी पड़ेगी कि हम सभी शराब नहीं पीयेंगे। हर व्यक्ति अपने-अपने धर्म की पवित्र कसम उठाये तो यह शराब बन्द हो सकेगी। पहले तो हमें कसम लेनी पड़ेगी। मैं तो यह कहूंगा कि सभी माननीय सदस्य खड़े होकर कसम खायें।

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : जो भी सदस्य मौजूद हैं वह सभी कसम खायें खड़े होकर।

श्री अब्दुल अजीज : तो मेरा सुझाव तो यह है कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने धर्म और ईमान की कसम खायें शराब छोड़ने के लिये।

इसके अलावा दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अगर आप शराबबन्दी नहीं कर सकते हैं तो जिस प्रकार आपने एबोर्शन को लीगलाइज किया है इसको भी लीगलाइज करें। नहीं तो आप तहेदिल से इस बात की कसम उठायें कि हम शराबबन्दी करके रहेंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो व्यक्ति शराबबन्दी की बातें मानेंगे उनको निम्नलिखित फायदे दिये जायेंगे। वहां का एम. एल. ए. और सरपंच वगैरह यह सर्टिफिकेट देगा कि व्यक्ति मदिरा पान नहीं करता है तो उसको जो बेनेफिट्स मिलने चाहिये वह बेनेफिट्स दिये जायं।

एक माननीय सदस्य : इससे तो नशाबन्दी का जिस प्रकार विरोध हुआ था उसी प्रकार होगा।

श्री अब्दुल अजीज : तो अगर आप शराबबन्दी करना चाहते हैं तो आपको कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सिर्फ पांच दस जिलों में नशाबन्दी लागू करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये आपको मौरेल बनाना होगा। आप अगर सिर्फ कानून से ही नशाबन्दी करना

(श्री अब्दुल अजीज)

चाहते हैं तो मुश्किल होगी। आपको लोगों का मोरेल डवलप करना होगा इसके साथ-साथ आज इस बात का सदन में स्टेटमेन्ट होना चाहिये कि राजस्थान सरकार नशाबन्दी को पूर्णतया लागू करना चाहती है। इस पर आपको मेजोरिटी बेसिस पर फैसला करना चाहिये। आज सदन पांच बजे स्थगित होने वाला है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप और हम सभी बैठकर इसको डिस्कस कर लें। फिर इस पर वोटिंग करा लें...

श्री सभापति : इस पर वोटिंग का कोई सवाल नहीं है, माननीय सदस्य। जो भी सदस्य यहां पर बोलना चाहें वह बोल लें पहले।

श्री अब्दुल अजीज : आप आज तो सदन को एडजोर्न करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि पहले ही सदन का समय बढ़ा दिया जाय। फिर पूरी तरह से डिस्कस करके इस पर आज ही फैसला कर लिया जाय।

श्री सभापति : श्री श्योपत सिंह मकासर।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, शराबबन्दी राजस्थान में पूर्णतया लागू हो इस पर संकल्प आया है। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी सदस्य, जो यहां पर बैठे हैं, यह कहें कि हम शराब नहीं पीयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि पहले तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य यहां खड़े होकर कहें कि हम शराब नहीं पीयेंगे।

कई माननीय सदस्य : हम शराब नहीं पीयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब को कहो कि वह खड़े होकर कहें कि हम शराब नहीं पीयेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। आप विराजिये, माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर संकल्प आया है कि सम्पूर्ण राजस्थान में शराबबन्दी लागू की जाय। यह भी माननीय सदस्य जानते होंगे कि शराब पीने के बाद इन्सान इन्सान नहीं रह सकता। शराब हमारे समाज का सबसे बड़ा कोढ़ है। शराब हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। आज जितनी भी नशीली चीजें हैं वह चाहे शराब हो, भांग हो, गांजा हो और नशीली गोलियां हों सभी प्रकार के जो नशे के व्यसन हैं वह हमारे समाज का सबसे बड़ा दोष है। शराब सभी प्रकार की बीमारियों की जड़ है। शराब से मनुष्य अपने आपको और अपने घर को बरबाद कर देता है। इस शराब से कई बीमारियां फैलती हैं। जनता पार्टी वालों ने गान्धीजी की समाधि पर गान्धी जी के उसूलों पर चलने की शपथ खाई है। फिर भी आप शराबबन्दी को लागू नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूं कि आप इस मसले को भावुकता से नहीं लें। इस पर हमें बहुत ही सन्जीदगी से काम करने की जरूरत है। अगर आपने शराबबन्दी कानून से लागू करने की कोशिश की और शराब को पूर्णतया बन्द कर दिया, दुकानें बन्द कर दीं, तो मैं यह

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि घर-घर पर शराब की भट्टियां लगेंगी। और राज्य सरकार को इस शराब से 30 करोड़ रुपये की आय जो होती है वह भी नहीं होगी। इससे शराबबन्दी नहीं होगी और हमारा जो उद्देश्य है वह भी पूरा नहीं होगा। इसके लिये आपको गावों में प्रचार करने की जरूरत है। आप जन प्रतिनिधि हैं आपको चाहिए इस के बारे में जनता का मानस बनायें। हम इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में करीब 50–60 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं। मैं मेरे इलाके की बात करता हूं, हमारे यहां पर शराब लोग बहुत पीते हैं। मैं गंगानगर जिले का हूं पर मैं यहां से स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि मैंने कभी भी शराब नहीं पी। मेरे खानदान में भी कोई शराब नहीं पीता है। मैंने शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ नारेबाजी करके और कानून बना कर शराबबन्दी करना चाहते हैं तो शराबबन्दी नहीं होगी। यहां भाषण से काम चलने वाला नहीं है। कानून भी ज्यादा काम नहीं कर सकता है। जन प्रतिनिधि यह बात अपने पूरे मन से तय करके अपने क्षेत्र में जाकर शराब नहीं पीने के लिए लोगों को प्रेरित करें। न केवल शराबबन्दी ही बल्कि जितनी तरह की नशीली चीजें हैं शराब, भांग, अफीम, सिगरेट और नशीली गोलियां-इन सभी को बन्द करने के लिए कहा जाना चाहिए। आज सिगरेट के पैकेट्स पर साफ लिखा हुआ है कि सिगरेट जहर है, आप न केवल इसके लिए कानून बनायें बल्कि संजीदगी से अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम बनायें ताकि जो नशा करते हैं वह नशा करना छोड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या फायदा है? उल्टे आप घर घर में भट्टियां ही शराब की बनवा देंगे और आपको जो 30 करोड़ रुपये साल के मिलते हैं वह भी बन्द होंगे। इससे भ्रष्टाचार फैलेगा, लोग रिश्वत खायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि हम कानून से नहीं बल्कि लोगों को समझा कर इसको बन्द करें। अगर आप शराब को कानून से बन्द करने की बात करते हैं, तो आपकी कमजोरी है। पिछले तीस वर्ष से कांग्रेस इसको बन्द नहीं कर सकी। यहां विधान सभा में बैठ कर सिर्फ एक दो जिलों में शराब बन्द करती रही। उन जिलों में भी चोरी छिपे ज्यादा शराब की बिक्री हुई और राज्य सरकार को उन जिलों से जो आमदनी होती थी शराब की दुकानों से वह भी बन्द हो गई। तो मेरा निवेदन है कि इसके बारे में पूरी संजीदगी से माननीय सदस्यों को साथ रख कर आगे बढ़ना होगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, इस पर वोटिंग होना चाहिये। सदन का समय समाप्त हो रहा है पांच बज रहे हैं। या तो आप समय बढ़ायें या फिर वोटिंग कराकर इसके बारे में फैसला करायें।

कई माननीय सदस्य : इस पर वोटिंग होना चाहिये।

श्री सभापति : कोई वोटिंग नहीं होगा।

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। पांच बज गये हैं। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गयी)

परिशिष्ट- 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 522 का ज्ञापन)

भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश

अध्यक्ष : भागीरथसिंह शेखावत
उपाध्यक्ष : कृष्णचन्द्र चतुर्वेदी, कोटा
महामंत्री : मदनलाल सैनी
संगठन मंत्री : धनप्रकाश त्यागी

कार्यालय :
दांता हाउस,
चांदपोल बाहर,
जयपुर
दिनांक 13-7-77

श्रीमान मुख्य मंत्री एवं
जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषय:—— जलदाय विभाग में हुए करोड़ों के घोटालों की जांच एवं कार्यवाही हेतु।

मान्यवर,

केन्द्र में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद तथा श्रीमान् द्वारा राजस्थान प्रदेश की सत्ता का भार ग्रहण करने के पश्चात् की गई घोषणाओं के क्रम में, भ्रष्टाचार एवं करोड़ों के घोटालों की जो जलदाय विभाग की पिछले अनेक वर्षों की घटनाएं रही हैं, उनकी जांच हेतु प्रस्तुत आवेदन निम्न तथ्यों के साथ प्रस्तुत है :——

1. यह है कि सन् 1973 में विभाग द्वारा केन्द्रीय एवं प्रदेश स्तर पर साठ-गांठ कर 12 करोड़ के लगभग स्टील खरीदने की एक योजना बनाई गई और उस क्रम में इस विभाग द्वारा लगभग 6 करोड़ का स्टील खरीदा गया जो खरीद के समय यद्यपि बाजार में 1,700) प्रति टन के भाव पर उपलब्ध था, किन्तु विभाग ने इस स्टील को तत्कालीन सरकारों की मिलीभगत से लगभग 2,300) प्रति टन की कीमत से खरीदा गया। जो खरीद राज्य सरकार के बजट में प्रावधान नहीं होते हुए एवं इस खरीद में आइरन एण्ड स्टील आर्डर 1956 की धारा 7 के विपरीत की गई, जब कि इस प्रकार की खरीद के लिए कोई औचित्य नहीं था और न यह स्टील विभाग में काम ही नहीं आ सकती थी और न ही काम में ली गई। वस्तुतः यह खरीद विभागीय अधिकारियों एवं तत्कालीन प्रान्तीय एवं केन्द्रीय नेताओं के भरण-पोषण मात्र के लिए की गई और इस खरीद के द्वारा श्री संजय गांधी की जेब में लगभग 21 लाख रुपयों की राशि अपनी स्वार्थ सिद्धि

हेतु खुश करने हेतु डाली गई, जब कि वस्तुतः इस स्टील का समस्त स्टाक आज भी केन्द्रीय एवं जिला भण्डारों में पड़ा जंग खा रहा है। इस विषय की सम्पूर्ण जानकारी विभाग की पत्रावली सं. एच/जी 111 (74)/1973 एवं 1976 मय नोट सीटों के जब्त करने पर चल सकती है।

2. यह है कि विभाग द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चन्दनमल बैद को उनके इच्छित विधान सभा क्षेत्र तारा नगर (जिला चुरू) के क्षेत्र को उनके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक 22 करोड़ की योजना जो पूर्व में बीकानेर, चूरू नागौर तथा गंगानगर जिलों के लिए बनाई गई थी, इस योजना को रद्द करके केवल श्री चन्दनमल बैद ने विभाग से साफ करके 2 करोड़ 13 लाख की योजना अपने क्षेत्र के लिए बनवाई जिसमें भी केन्द्र सरकार की स्वीकृति न मिलते हुए यह राशि विभाग के अधिकारियों के साफ से पूरी कराई गई। इस सम्पूर्ण घोटाले एवं घिनोने षड़यन्त्र को प्रकाश में लाए जाने हेतु फाइल नं. एफ-3 (3) ए. एस./पी. एच. ई./76 का अवलोकन पर्याप्त होगा।

3. यह है कि ग्रीव्ज कोटन कम्पनी, जयपुर जिसमें विभागीय मुख्य अभियंता के भानजे जवांई मैनेजर थे उनको पम्पों की खरीद हेतु 100 आदेश दिए गए एवं हर आदेश में लगभग 5500) रुपये अधिक भुगतान किया गया और इस प्रकार 5,50,000) रुपयों की धनराशि का घोटाला किया गया। इस क्रम में फाइल नं. एच./जी- 111 (37) 75/जी. एस. का अवलोकन घोटाले को स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त प्रमाण है।

4. यह है कि श्री संजय गांधी को आपातकाल के दौरान 16 जनवरी, 1977 को निस्सारित जल शोधन संयंत्र उत्तरी क्षेत्र, जयपुर के शिलान्यास हेतु जो आयोजन सम्पन्न कराया गया उसमें विभाग द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी के संकेत पर लगभग 1.5 लाख रुपये का अपव्यय किया गया। इस संयन्त्र की खरीद संजय गांधी के संकेत पर बाटली वाई एण्ड कम्पनी, दिल्ली की एजेन्सी से मैसर्स हाईड्रोलिक्स लिमिटेड बम्बई को 65 लाख रुपयों में दी गई है जिस संयन्त्र की खरीद में लगभग 10 लाख रुपये का घोटाला निहित है और इस कारण इस विषय की जांच अविलम्ब की जाकर आदेश खरीद निरस्त करते हुए इस क्रय में हुए अपव्यय की जांच कर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाना प्रार्थनीय है।

5. यह है कि विभाग द्वारा एसीकपलिंग की खरीद का आदेश मैसर्स हैदराबाद एसबस्ट्स सीमेन्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड वल्लभगढ़, हरियाणा को दिए गए हैं जो सामग्री की मला अमानी शाह स्थित फाउण्ड्री में तैयार की जा सकती थी और विभाग का लगभग 20 लाख रुपया इस कम्पनी को न दिया जाकर बचाया

जा सकता था, किन्तु पूर्व में ऐसा न होने के कारण इस क्रय में दिया गया खरीद आदेश नं एच/जी 111 (47) 76–जी एच/4858-4941 दिनांक 11-5-76 कैंसिल किये जाने योग्य है और इसी प्रकार के अनेक आदेश तत्कालीन सरकार के समय में सम्बन्धित मंत्रियों के इशारे पर दिए गए हैं जिसका विवरण जलदाय विभाग की फाइल न. एच/जी. (47) 76 तथा एच/जी/111(53) 76 मय ड्राफ्ट पैरा जो कि ए. जी राजस्थान ने दिया है का अवलोकन करने से पर्याप्त रूप से प्रमाणित हो सकता है।

6. यह है कि सन् 1975-76 में जलदाय विभाग द्वारा उनके अधिकारियों द्वारा अपने निकट के सम्बन्धियों को लाभ पहुंचाने हेतु चित्तौड़गढ जल योजना के फिल्ट्रशन पत्रांक का 3,67,000) में निर्माण कार्य किया गया था जिसमें राज्य सरकार को 1,07,000) रुपये की हानि हुई थी जिसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाना प्रार्थनीय है। अतः इन टेण्डरों की मूल पत्रावली जांच करने पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकती है।

7. यह है कि तत्कालीन मन्त्री महोदय के परिवारजन की फर्म मैसर्स हनुमन्त सेल्स कार्पोरेशन एम. आई. रोड, जयपुर को सन् 1973 से 1976 तक लगभग 3 लाख रुपये के स्वीच बोर्ड पैनल की खरीद का कार्य कुनबा परस्ती का निकृष्ट नमूना है और यह घोटाला सम्बन्धित पत्रावली की तलबी जलदाय विभाग से करने पर स्पष्ट हो सकता है।

8. यह है कि मैसर्स मेकाली इन्जीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता को लगभग 45 लाख रुपये के ग्लूस वाल तथा डबल फलेन्जड पाइप खरीद करने के आदेश दिये गए थे, जिस विषय में लगभग 10 लाख रुपये का घोटाला हुआ है तथा इस कम्पनी द्वारा घटिया किस्म का माल दिया गया है। मामले की लीपा पोती करने के लिए इस कम्पनी से लगभग एक लाख रुपयों की वसूली भी की गई, परन्तु बाद में मामले को दबा दिया गया। इस घोटाले को पूर्ण प्रकाश में लाने हेतु जलदाय विभाग की पत्रावली संख्या एच/जी–111 (651) 73 से 76 तथा एच/जी–111 (185) 73–76 को तलब कर अवलोकन किया जाना प्रार्थनीय है।

9. यह है कि मैसर्स सोहराब कन्सट्रक्शन कम्पनी, इन्दौर से सन् 1973 से 1976 तक लगभग 30 लाख रुपयों के सीमेन्ट के पाइप खरीद किए गए हैं जो पाइप सर्वथा अनुपयोगी एवम् बेकार सिद्ध हुए हैं एवम् इनकी क्वालिटी खराब होने के कारण आज भी जोधपुर एवम् अन्य भण्डारों में पड़े हैं। किन्तु पैसे का भुगतान कम्पनी को अपनी स्वार्थ सिद्ध हेतु वस्तुस्थिति सामने आने पर भी कर दिया गया है और इस प्रकार विभाग को 20 लाख की अनावश्यक क्षति उठानी पड़ी है जिस विषय में प्रकाश डालने हेतु इस क्रय की पत्रावली पर्याप्त प्रमाण के रूप में विभाग से तलब की जाकर प्रयोग की जा सकती है।

10. यह है कि मैसर्स अरविन्द एन्टरप्राईजेज स्टेशन रोड, जयपुर की मार्फत तत्कालीन मंत्री श्री मोहन छंगाणी के साझ से 2–5 लाख रुपयों की ब्लीचिंग पाउडर डाजिंग प्लांट की खरीद की गई है, जबकि इस खरीद की विभाग को कोई आवश्यकता नहीं थी और यह डाजिंग प्लांट आज भी विभागीय भण्डारों में पड़े सड़ रहे हैं, इस विषय में विभाग की पत्रावली संख्या एच/जी–111 (260) 75 जीबी का अवलोकन पर्याप्त प्रमाण के रूप में काम में लाया जा सकता है।

11. यह है कि मैसर्स बी. जे. इन्जीनियर्स, दिल्ली को 16,10,673) रुपयों के जयपुर नगर में आर. सी. सी. टैंकों का निर्माण कार्य का आदेश दिया गया था, जिसमें 16 लाख रुपयों की बजाए लगभग 31 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अभी भी अपर्याप्त टैंक नहीं बन पाए हैं। यह भुगतान 15 लाख के घोटाले का स्पष्ट परिचायक है और इस हेतु जलदाय विभाग की पत्रावली संख्या एच/जी–111 (658) 75–एस आर/73 से 77 का अवलोकन पर्याप्त प्रमाण के रूप में काम में लाया जा सकता है।

12. यह है कि विभाग द्वारा जहां आपत्काल की आड़ में बीस साला व 25 साला एवम् 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया था वहां श्री प्रतापसिंह वाहन चालक को अनेक बार जन्म तिथि में अकारण परिवर्तन कर राज्य सेवा में रखा गया और इस कार्यवाही को मनमानी एवम् स्वार्थपरता के आधार पर किया गया तथा विभाग को इस कर्मचारी को वेतन के रूप में लगभग 16000) की बख्शीश विभागीय अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी रूप से की गई है, जिस क्रम की जलदाय विभाग की पत्रावली नं. एच/जी–11 (2261) 71–72 का अवलोकन किया जाना प्रार्थनीय है।

13. यह है कि जलदाय विभाग में 100 मैट्रिक टन कच्चा शीशा जिसकी अनुमानित कीमत 9,69,200) रुपये बताई जाकर खरीद की गई और इस क्रम में खरीद आदेश देने के साथ-साथ 10 लाख रुपये की राशि का भुगतान बिना माल आए बैंक ड्राफ्ट द्वारा कर दिया गया, जबकि यह माल लगभग 10 माह बाद विभाग को प्राप्त हुआ और इस प्रकार सम्बन्धित अधिकारी सरकारी धन के दुरुपयोग के दोषी साबित होते हैं, इस क्रम में प्रत्रावली संख्या एच/जी–111 (370) 74 अवलोकन किया जाना स्पष्ट प्रमाण है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि ऊपर वर्णित सभी पत्रावलियों को श्रीमान् अविलम्ब अपनी तहवील में लेकर सम्बन्धित आरोपों की जांच करावें क्योंकि यदि सम्बन्धित पत्रावलियां श्रीमान ने अपने कब्जे में नहीं लीं तो इन पत्रावलियों में भंयकर रद्दोबदल

किए जाने की पूर्ण सम्भावनाएं हैं। पत्रावलियां जिन्हें अविलम्ब जप्त किया जाना है, इनकी सूची इस पत्र के साथ में संलग्न है।

भवदीय,
ह./-
भागीरथ सिंह शेखावत,
प्रान्तीय अध्यक्ष,
भारतीय मजदूर संघ।

संलग्नः—सूची तलवी योग्य पत्रावलियां।

परिशिष्ट संख्या 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 524 की सूची)

ग्राम कुहाडवास तहसील खेतड़ी में दिनांक 15-4-63 को किये गये भूमि आवंटन के आवंटितियों की सूची

क्र. सं.	नाम आवंटिती मय पता	भूमि का खसरा नं.	आवंटित क्षेत्रफल (बीघों में)	पट्टा जारी किया या नहीं
1.	श्री हरिसिंह पुत्र डेडा नायक नि. ग्राम कुहाड़वास	411/426	31)	पट्टा जारी नहीं किया गया।
2.	श्री धनसिंह पुत्र सूरजाराम कुम्हार निवासी कुहाड़वास	411/427	41)4	,, ,,
3.	श्री नानड़राम पुत्र किशनाराम चमार निवासी कुहाड़वास	411/425	3)	,, ,,
4.	श्री खेमचन्द पुत्र डेडा नायक निवासी कुहाड़वास	411/426	31)	,, ,,
5.	श्री श्रीचन्द पुत्र डेडा नायक निवासी कुहाड़वास	411/426	3)4	,, ,,
6.	श्री सुण्डाराम पुत्र कानाराम चमार निवासी कुहाड़वास	411/426	3)4	,, ,,
7.	श्री जुगलालसिंह पुत्र गीदाराम जाट निवासी कुहाड़वास	411/427	17)	पट्टा जारी किया गया किन्तु नम्बर व तारीख नहीं हैं।
8.	श्री भोलाराम पुत्र गीद्धाराम जाट निवासी कुहाड़वास	411/427	17)	,, ,,
9.	श्री जेठूराम पुत्र बूजनराम जाट सा. देह।	350	111)4	पट्टा जारी नहीं किया गया।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 134 का विवरण)

सिंचाई कर की ग्रामवार व पटवार मंडलवार सूची

क्र. सं.	नाम पटवार मडल	नाम ग्राम	पिलाई रकम का विवरण सन् 1963 से 1-4-75 तक डिमाण्ड	वसूली	बाकी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बसेड़ा	बसेड़ा	12946	6608	6338	
2.	मुशी	मुशी	11969	9816	2153	
		मुशा	2414	699	1715	
3.	सालरिया कलां	सालरिया कलां	6312	4661	1651	
		सलतानगढ़	5237	2908	2329	
		कोरलाई	3307	2625	682	
4.	निम्हेडा कलां	निम्हेडा कलां	4742	3481	1261	
5.	वरण	कजलोदिया	1602	1228	374	
		नानुडिया	730	722	8	
6.	ककोलिया	ककोलिया	4936	3395	1541	
		कुवार	3664	3564	100	
7.	उपरेड़ा	चाखनखेडी	125	98	27	
8.	प्रभिसरिया	टुटला	4282	8056	226	
9.	बेरा	सूरजपुरा	2020	937	1083	
10.	बलदरयां	जानल	30	—	30	
			68316	48798	19518	

पटवार मण्डल—11. महुवा, 12. खेडलिया, 13. बबराणा—मेजा बांध से कमाण्ड

पटवार मण्डल—14. कासोरिया, 15. डाबला, 16. कुडिया—परेरी बांध से कमाण्ड

पटवार मण्डल—17. लाविया खुर्द, 18. लाविया कलां—जवालिया बांध से कमाण्ड।

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

विद्युत् मण्डल के आय-व्ययक का उपस्थापन

529. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)–क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के कौन-कौन से वर्ष के आय-व्ययक का सदन में उपस्थापन नहीं किया गया ?

(2) क्या सरकार वर्ष 1977-78 के विद्युत् मण्डल के आय-व्ययक का इसी सत्र में उपस्थापन करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 के विद्युत् मण्डल के आय-व्ययक को संविधान के प्रावधानों के अनुसार सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसी सत्र में इस पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के पिछले वर्षों के सभी आय-व्ययक सदन की मेज पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। विद्युत् मण्डल का वर्ष 1977-78 का आय-व्ययक सदन के पटल पर रखा जा चुका है।

(3) जी हां। इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त क्रम संख्या 2 के उत्तर में दिया जा चुका है।

कृषि अधिकारी, जयपुर के कार्यालय पर छापा

530. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी, जयपुर के कार्यालय पर दिनांक 9 फरवरी, 1977 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर ने छापा मारा और गबन सम्बन्धी आवश्यक पत्रावली को जब्त किया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। अन्वेषण जारी है।

भरतपुर में आत्महत्या का मामला

531. श्री काशीनाथ गुप्ता (कुम्हेर)–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) 21 अगस्त, 1977 की रात्रि को अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आत्महत्या करने वाले भरतपुर के श्री रामचन्द्र ठेकेदार ने अपनी मृत्यु से पूर्व नगर दण्डनायक, भरतपुर को क्या बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) दिया था ?

(2) मृतक श्री रामचन्द्र के डाइंग डिक्लेरेशन में जिन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है पुलिस ने उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की किन-किन धाराओं के अन्त-

(श्री काशीनाथ गुप्ता)

गंत मुकदमा दर्ज किया है? इस मामले में अब तक की गई तफतीश में पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंची है?

(3) मृतक श्री रामचन्द्र ने जिन राज्य कर्मचारियों पर अपने डाइंग डिक्लेरेशन में आरोप लगाये हैं उन कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या यह सही है कि मृतक श्री रामचन्द्र के आरोप के अनुसार पुलिस ए. एस. आई. श्री अमरनाथ मिश्रा के कारण एक लड़का पहले भी नहर में कूद चुका है? यदि हां, तो पुलिस द्वारा उसके बारे में की गई छानबीन का विवरण क्या है?

उत्तर

(1) डाईंग डिक्लेरेशन की प्रति संलग्न है।

(2) डाइंग डिक्लेरेशन में जिन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है, उनके खिलाफ मुकदमा नं. 334/77 धारा 306/379 आई. पी. सी. थाना कोतवाली में कायम किया गया है। तफतीश अभी जारी है।

(3) उन अधिकारियों को मोअत्तिल किया जा चुका है व तफतीश जारी है।

(4) तफतीश द्वारा अभी तक ऐसी घटना के बारे में कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। अभी जांच जारी है।

ग्राम पंचायत सुरेरा के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

532. श्री मदनसिंह दांता (दांता-रामगढ़):—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दांतारामगढ़ की ग्राम पंचायत सुरेरा के सरपंच के खिलाफ कई शिकायतें राज्य सरकार को की गई हैं? यदि हां, तो आज तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि सुरेरा के सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने न्यायालय में केस किया है? अगर हां, तो कब? राज्य सरकार उसको कब तक सस्पेन्ड कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति दांतारामगढ़ के कई सरपंचों के खिलाफ शिकायतें की गई थीं? अगर हां, तो आज तक उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री सोभागमल जैन, सरपंच को दिनांक 22-9-77 को निलम्बित किया जा चुका है। एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करा कर चालान विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (केसेज) राजस्थान, जयपुर के न्यायलय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है जो अभी विचाराधीन है। अन्य मामलों में प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

(पंचायत मंत्री)

(2) जी हां। दिनांक 15-10-76 को चालान पेश किया गया है। सरपंच को निलम्बित किया जा चुका है। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी हां। सरपंच खाटू व चक गोपीनाथपुरा को निलम्बित किया जाकर विभागीय जांच प्रारम्भ की गई है। सरपंच मढ़ा सुरेरा पारीजा, बाय खण्डेलसर, डांसरोली के विरुद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है। सरपंच बुली, पवार, अलौदा, रलावता, सार्गलिया व भीमा के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच विचाराधीन है।

सवाई माधोपुर जिले की सरवाल सैक्शन को नहर का प्रपोज्ड प्लान

533. **श्री मन्जूर अली** (सवाई माधोपुर):—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में सरवाल सैक्शन की नहर का ग्राम पडाना एक्सटेन्शन के लिए प्रपोज्ड प्लान बनाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि यह प्रपोज्ड प्लान एप्रूव नहीं किया गया और बगैर एप्रूव हुए ही नहर की खुदाई कर दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि यह नहर प्रपोज्ड प्लान के खिलाफ खोदी गई है ?

(4) क्या यह सही है कि नहर को बीच में 1/2-3/4 मील छोड़ कर टेल पर खोदी गई है ?

(5) क्या प्लान के खिलाफ नहर का खोदा जाना अनियमित नहीं है ?

(6) क्या इस अनियमितता के कारण सम्बन्धित एक्स. ई. एन., ए. ई. एन. व ओवरसीयर के खिलाफ आज तक कोई विभाग द्वारा कार्यवाही की गई ?

(7) क्या राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में अब कोई एक्शन लेने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(8) क्या राज्य सरकार उन काश्तकारों को कोई मुआवजा देने का इरादा रखती है जिनके खेतों में से प्लान के खिलाफ नहर खोदी गई है ?

(9) क्या इन खेतों को राज्य सरकार अपने खर्चे से वापस भरवाएगी और प्रपोज्ड प्लान के मुताबिक ही नहर खोदी जाएगी ?

(10) क्या इस नुकसान की पूर्ति इन अफसरों से वसूल किया जाना उचित नहीं है ?

(11) क्या प्रपोज्ड प्लान के खिलाफ नहर खोदे जाने से रिश्वत की बू नहीं आती और इसी स्टेज पर क्या इन अफसरों को सस्पेंड किया जाना उचित नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोई विधिवत स्वीकृत प्लान नहीं बनाया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। किसी प्रकार का स्वीकृत प्लान नहीं था।

(सिंचाई मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) नहर की खुदाई के विषय में किसी विधिवत व स्वीकृत प्लान का न होना अनियमितता है।

(6) जी नहीं।

(7) जी हां। आवश्यक जांच की जाकर जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(8) जिन काश्तकारों के खेतों में होकर नहर खोदी गई है उन्होंने स्वेच्छा से अपनी भूमि नहर हेतु दी है फिर भी जो कृषक मुआवजा चाहेंगे उन्हें दिया जावेगा।

(9) जी नहीं। नहर के द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा सुचारु रूप से उपलब्ध है जिससे क्षेत्र को वंचित रखना जनहित में नहीं है।

(10) जांच के उपरांत ही सम्बन्धित अधिकारियों के दोष का अनुमान लग सकेगा।

(11) जी नहीं। जांच के बाद ही कोई कार्यवाही संभव होगी।

बिसलपुर बांध की मरम्मत का कार्य

534. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)– क्या बाढ़ व अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण जोधपुर जिले में बिसलपुर बांध टूट गया था ? अगर हां, तो इसकी पुनः मरम्मत के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी धन राशि स्वीकृत की गई थी और कितना मरम्मत का कार्य आज तक किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष बांध की मरम्मत नहीं होने की वजह से बांध बिल्कुल खाली पड़ा है ? और इस वर्ष हजारों बीघा जमीन में सिंचाई नहीं हो सकेगी ? अगर हां, तो राज्य सरकार मरम्मत हेतु कितनी धनराशि कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है और मरम्मत का कार्य कब तक सम्पूर्ण करा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि बांध की मोरी (आउटलेट) नहीं होने के कारण इस बांध की पाल टूटी थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार भविष्य में मोरी (आउटलेट) रखने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि बिसलपुर बांध के आगे जो ग्राम आते हैं वहां बांध पर जाने के बाद जब पानी बहकर आगे ग्रामों में जाता है उससे हजारों बीघा जमीन में रबी की सेवज फसलें होती थीं जो पिछले 2 वर्षों से बांध में मोरी नहीं होने व पानी की निकासी नदी में रख देने से हजारों बीघा जमीन में पानी जाना बन्द हो गया उससे हजारों मन अनाज का नुकसान हो रहा है ? अगर हां, तो भविष्य में इस पानी को बहता रहने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस बांध की पुनः मरम्मत के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं

(बाढ़ व अकाल सहायता मंत्री)
की गई क्योंकि इस बांध के टूटने के कारणों की जांच का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(2) जी हां। जांच की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए इनके अनुसार मरम्मत का कार्य हाथ में लिया जावेगा।

(3) जी नहीं। बांध अतिवृष्टि के कारण टूटा था। बांध में पांच मोरियां बनी हुई हैं।

(4) जी नहीं। डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत पुराने बांध को बड़ा व ऊंचा कर इसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा चारों ओर नई मोरियों का निर्माण किया गया था। बांध की मरम्मत के बाद 1880 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जा सकेगी।

वमल बांध का कार्य

536. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जालोर जिले के अधीनस्थ वमल बांध सन् 1974-75 में सिंचाई विभाग द्वारा ठेके पर चालू किया गया था उसे किन परिस्थितियों के कारण अधूरा छोड़ा गया?

(2) सन् 1969 से अब तक इस बांध पर कितना धन व्यय किया गया?

(3) क्या राज्य सरकार इस बांध का निर्माण कार्य फिर से करवाने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जालोर जिले में वमल बांध द्वितीय का कार्य सन् 1974-75 में ठेके पर पुनः आरम्भ किया गया था, परन्तु पूर्व वर्ष सन् 1973 में आई भारी बाढ़ से कार्य स्थल पर भारी मात्रा में मिट्टी जमा हो जाने के कारण टोपोग्राफिकल स्थिति में परिवर्तन स्वरूप बांध को पूरा बनाना आवश्यक नहीं रहा।

(2) सन् 1969 में अब तक इस कार्य पर रु. 2.31 लाख व्यय किये गये हैं।

(3) जी नहीं।

अनुसूचित कृषकों की बेदखली

537. श्री हरीकृष्ण शर्मा (नदबई):–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि जिन सवर्ण कृषकों ने अनुसूचित कृषकों से अपनी इच्छानुसार भूमि सुधार को दृष्टिगत रखते हुए भूमि का परिवर्तन किया है और अब भी उनको कोई आपत्ति नहीं है उन्हें जबरन बेदखल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इस बेदखली से अनुसूचित कृषकों को हानि नहीं होगी?

उत्तर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषक सवर्ण कृषकों से भूमि की अदला-बदली नहीं कर सकते। ऐसी अदला-बदली पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 49 (क) के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। यह प्रतिबन्ध इन कमजोर वर्ग के लोगों को संरक्षण देने के लिए है। अतः इन्हें इससे हानि होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(राजस्व मंत्री)

इस प्रावधान के विपरीत यदि कोई सवर्ण अपनी जमीन की अदला-बदली अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीन से करता है तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत बेदखल करने की कार्यवाही की जा सकती है।

गांव जेरला के चारागाह में मारपीट का मामला

538. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा)–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गांव जेरला (तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर) के चरागाह में बालोतरा नगर के घोसी लगभग 500 गायों के साथ बस गये हैं और आस पास के काश्तकारों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और रोकने पर उन काश्तकारों से झगड़ा करते हैं ?

(2) क्या उक्त घोसियों ने जेरला गाव के तालाब के किनारे स्थित पुरानी मूर्तियों और छतरियों को तोड़कर उन्हें चूल्हे और नहाने के पत्थर के उपयोग में लिया ?

(3) क्या घोसियों की इस कार्यवाही का विरोध करने पर उन लोगों ने श्री आईदान नाम के अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट की ? यदि हां, तो मारपीट करने वाले कौन कौन थे ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि बालोतरा नगर के पास 4–5 घोसी परिवार अपने जानवरों सहित हमेशा की भांति ग्राम जेरला के चारागाह में अस्थाई रूप से बस गये हैं। आसपास के काश्तकारों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने व झगड़ा करने का मुकामी पुलिस के पास कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) श्री आईदान मेघवाल द्वारा न्यायालय में 295।323 आई. पी. सी. का प्राइवेट इस्तगासा सलीम, समसुद्दीन घोसी व भूदिया मेघवाल के विरुद्ध किया है जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट बालोतरा के न्यायालय में विचाराधीन है। श्री आईदान मेघवाल ने अपने इस्तगासा में यह भी वर्णित किया है कि इन लोगों ने उसे जब वे मूर्तियां हटा रहे थे, मना करने पर पीटा है। श्री आईदान मेघवाल ने पुलिस थाना में भी एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि उसके जीवन को इन लोगों से खतरा है। अतः पुलिस ने आवश्यक जांच के बाद इस शिकायत को अन्तर्गत धारा 107 सी. आर. पी. सी. न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पेश कर दी है जो विचाराधीन न्यायालय है।

चीनी का वितरण

439. **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द)–क्या आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार द्वारा सस्ते भाव की चीनी कौन से सन् की जन संख्या के आधार पर वितरित की जाती है।

(2) क्या यह सही है कि सस्ती चीनी एवं आवश्यक वस्तुओं के लिए जो राशन कार्ड दिये जाते हैं वे वर्तमान जनसंख्या के

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)
आधार पर बनाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था से आम जनता में चीनी का समान रूप से वितरण सम्भव है ?

उत्तर

(1) सस्ते भाव की चीनी सन् 1971 की जनसंख्या में 10% की वृद्धि कर वितरित की जाती है।

(2) यह सही है कि राशन कार्ड वर्तमान जन संख्या के आधार पर बनाये जाते हैं। जनता का कुछ वर्ग राशन कार्ड पर चीनी नहीं लेता इससे कुछ चीनी शेष रह जाती है जिससे जनता में चीनी का वितरण समान रूप से सम्भव हो पाता है।

खनिज व्यवसाय में एकाधिपत्य ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की योजना

540. श्री सुखलाल सेंगचा (रायपुर)—क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की बहुमूल्य खनिज सम्पदा लाईमस्टोन जो राष्ट्रहित में रसायनिक उपयोग की है उसका पूर्ण उपयोग राष्ट्रहित में नहीं किया जा कर उसको बुरी तरह नष्ट किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे खनिज पदार्थ जो पाली जिले में हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इस तरह की खनिज सम्पदा के व्यवसाय को नियन्त्रित व व्यवस्थित करने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार खनिज व्यवसाय में एकाधिपत्य ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु छोटे छोटे क्षेत्रों में खनिज उद्योग को बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पाली जिले में सोजत बिलाड़ा क्षेत्र में जो लाईम स्टोन मिलता है वह दो प्रकार का है। जो रसायनिक श्रेणी का है उसका भी चूना बनता है लेकिन अच्छा वाला चूना अधिकतर रसायनिक एवं ऐसे उद्योग जिसमें मध्यम श्रेणी का चूना काम आ ही नहीं सकता उसमें भेजा जाता है। इसके विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। गोटन (नागौर) क्षेत्र में इसी श्रेणी का लाईम स्टोन कोटा की केलशियम कारबाइट बनाने के लिये भेजा जाता है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। इसकी आवश्यकता वर्तमान में प्रतीत नहीं होती है। यदि भविष्य में आवश्यकता प्रतीत हुई, तो इस विषय पर विचार किया जायेगा।

(3) जी हां, एकाधिकारी तो अभी भी नहीं है। जो भी चाहे यदि क्षेत्र खाली हो, तो ले सकते हैं। बहुत छोटे क्षेत्र में इस डिपोजिट को विभाजित नहीं किया है क्योंकि एक ओर तो इसे उत्तम श्रेणी का माने, दूसरी ओर छोटे छोटे प्लाट देकर विकसित कर देना किसी प्रकार लाभप्रद प्रतीत नहीं होता, फिर भी नये नियमों के अनुसार 25 किलोमीटर के क्षेत्र को अब अधिकतम 15 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र कर दिया है।

सूची

पाली जिले में निम्नलिखित खनिजें उपलब्ध हैः—

एसबेस्टस
फेलसपार
क्वार्टज
जिप्सम
बेराइटीज
केल्साइट
माइका
सोप स्टोन
मेग्नेसाइट
वरमीक्यूलाइट
वल्यूस्टोनाइट
वाल क्ले
केमिकल ग्रेड लाइम स्टोन

ग्राम पंचायत ईसरदा के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

541. श्री चुन्नी लाल (खण्डार): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत, ईसरदा (गुरुवचन सिंह) के खिलाफ 409 ता. हिं. का मुकदमा ग्राम पंचायत के गवन का चला था जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गंगापुर ने अभियुक्त श्री गुरु वचन सिंह ईसरदा को सजा का आदेश सुनाया था? यदि हां, तो कथित सरपंच को अभी तक क्यों नहीं निलम्बित किया गया?

उत्तर

जी हां। गुरुवचन सिंह को दिनांक 9-8-71 को ही निलम्बित कर दिया गया था किन्तु उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्टे-आर्डर दे रखा है।

आहोर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण

542. श्री गोपाल सिंह (आहोर)— क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या राज्य सरकार आहोर विधान सभा क्षेत्र के उन ग्रामों का विद्युतिकरण करने को प्राथमिकता देगी जिसके आसपास के सभी ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है, और जहां कुए भी काफी हैं?

(2) अगर हां। तो आहोर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम आकोरापादर, पाचोटा नारवना व केराल जहां कुओं की संख्या 125 के लगभग है और अनुसूचित जाति तथा जन जाति की जनसंख्या भी बहुतायत में है, को क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर विद्युतिकृत करवायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति आहोर के ग्रामों के विद्युतिकरण की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना बनाई जा चुकी है।

(2) योजना की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम से मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् योजना के अनुसार गांवों का विद्युतिकरण होगा।

पंचायत समिति किशनगढ की प्राथमिक पाठशालाओं का स्तर

544. श्री करतार सिंह (किशनगढ): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति किशनगढ़ (अजमेर) की बुहारू, तिलोनिया व फलौदा ग्राम की प्राथमिक शालाएं कब आरम्भ हुई?

(श्री करतार सिंह)

(2) वर्तमान में ये प्राथमिक शालाएं किस के अधिकार में हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन प्राथमिक शालाओं को समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया को हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से, किस आधार पर तथा कितनी अवधि के लिये किया गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने कभी उन प्राथमिक शालाओं को हस्तान्तरित करने के पश्चात् निरीक्षण किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उन प्राथमिक शालाओं को संबंधित ग्रामवासियों की बार-बार मांग करने के बावजूद भी उसी संस्था के पास रहने दिया गया है जबकि वहां का शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है तथा विद्याध्ययन न कराये जाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ?

(6) क्या राज्य सरकार पुन: इन प्राथमिक शालाओं को अपने अधीन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम बुहारू, तिलोनिया व फलोदा ग्राम की प्राथमिक शालायें क्रमश: सन् 1941, 1970 व 1970 से प्रारम्भ हुई हैं।

(2) वर्तमान में यह प्राथमिक शालाएं सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया के अधीन चल रही हैं।

(3) जी हां। वर्ष 1975–76 के सत्र से 3 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षणिक अनुसंधान कार्य हेतु हस्तान्तरित किया गया है।

(4) जी नहीं। जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(5) इन पाठशालाओं को सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया से वापस लेने के सम्बन्ध में पंचायत समिति, किशनगढ़ ने दिनांक 6–8–77 को प्रस्ताव पारित करके दिनांक 8–9–77 को भेजा है। अब यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) पूर्ण जांच करा कर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22–9–77)

ग्राम कारोठ तहसील राजगढ़ में आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण का मामला

364. श्री समरथ लाल (राजगढ़)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री हरिशंकर पुत्र श्री भोरेलाल सैनी, निवासी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नम्बर 1064/54 वाके ग्राम कारोठ, तहसील राजगढ़ (अलवर) पर जो आम रास्ते की भूमि है, पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया हुआ है ?

(2) क्या न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर) के यहां से सम्बन्धित अति-

(श्री समरथ लाल)
क्रमण को हटाए जाने के आदेश एक वर्ष की अवधि पूर्व हो चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार राजगढ़ का निर्णय आज तक भी कार्यरूप में परिणित नहीं हुआ है और अतिक्रमण यथावत है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री हरिशंकर पुत्र भोरे लाल सैनी ने आराजी ख. नं. 1064 रकबा 4 बिस्वा पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है। परन्तु यह आराजी रास्ता न होकर पटवार कागजात में गैर मुमकिन भट्टा दर्ज है।

(2) जी हां। तहसीलदार का फैसला अगस्त, 1976 का है।

(3) तहसीलदार के निर्णय के अनुसार पैनेल्टी की वसूली कर ली गई है। परन्तु अभी तक अतिक्रमी को बेदखल नहीं किया गया है। अब नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करने के आदेश जिलाधीश को दिये जा रहे हैं।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 23-9-77)

ग्राम ओडा में गिरदावरी के मामले

367. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ओडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही में किसानों के खेत एक ही खसरा में हैं और इस कारण गिरदावरी बराबर नहीं होती ?

(2) क्या यह सही है कि इसी गांव में ओडा बांध में पानी में डूबी हुई जमीन की भी बीघोडी ली जाती है ? यदि हां, तो क्या यह पूरी ली जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां नहरी कमांड एरिया है जिसमें कभी भी सिंचाई नहीं हुई है और न होगी और उस जमीन का विकास करके हजारों रुपये बकाया निकाले गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि ओडा व अखापुरा गांव खालसा थे अर्थात् वहां कोई जागीरदार नहीं था ? यदि हां, तो क्या इन दोनों गांवों का लगान दूसरे गांवों से दुगना है ?

(5) क्या यह सही है कि इसी बांध के नीचे 5 लाख रुपये गैर वाजिब जुर्माना पानी के दुरुपयोग के नाम पर बकाया रखा गया है ? यदि हां, तो क्या इन सबकी जांच करवाई जा रही है और क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका दण्ड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। ग्राम ओडा में अलग-अलग खेतों के अलग-अलग खसरा नम्बर हैं और मौके के अनुसार नक्शे में तरमीम भी है तथा बटा नम्बर अंकित किये हुए है। गिरदावरी मौके के अनुसार बराबर की जाती है।

(2) ओडा बांध के पानी में जो भूमि डूब में आ जाती है उसका भी लगान लिया

(राजस्व मंत्री)

जाता है। जिस साल जमीन पानी से बाहर निकलती है उस साल पूरा लगान लिया जाता है अन्यथा 1/4 लगान लिया जाता है।

(3) ओडा बांध के कमाण्ड के रूप में घोषित एरिया में कुछ रकबा ऐसा है जिसमें सिंचाई नहीं हो सकती क्योंकि वह ऊंचा है। इस कमाण्ड क्षेत्र में जो बिला नाम भूमि पड़ी हुई है उसका आवंटन रिजर्व प्राइज ले कर ही किया जाता है। अब तक 953.82 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। जिसकी रिजर्व प्राइज प्रति एकड़ 375) रु. के हिसाब से 3,57,668) रु. होती हैं एवं 36.22 एकड़ भूमि का नियमन किया गया है जिसके प्रीमियम के प्रति एकड़ 625) रु. के हिसाब से 22,637) रु. होते हैं व पैनल्टी के 4527) रु. होते हैं। इनकी मांग कायम की गई है एवं वसूली की जा रही है।

(4) ग्राम ओडा व ग्राम अखापुरा दोनों खालसा के ग्राम थे, यह सही है। परन्तु इन ग्रामों के लगान की दरें आस-पास के अन्य ग्रामों के बराबर ही है, दुगनी नहीं हैं।

(5) ओडा बांध के सिंचाई के क्षेत्र में अनाधिकृत सिंचाई करने की वजह से सं. 2032 तक के तावान की बकाया राशि 1,90,55? रु. 54 पैसे है। यह तावान ज्यादा सिंचाई आवंटन से अधिक करने की वजह से राजस्थान सिंचाई व जल प्रवाह नियम, 1955 के नियम 31 के अन्तर्गत लगाया गया है जो वाजिब है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-9-77)

ग्राम पंचायत विजयनगर द्वारा आवंटित भूखण्ड

368. श्री नूरा (मसूदा)-क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वतन्त्रता जयन्ती वर्ष पर अजमेर जिले की ग्राम पंचायत विजयनगर ने समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के 800 भूमिहीन लोगों के आवास के लिए इन्दिरा नगर योजना प्रस्तावित की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत 600 लोगों को रिहायशी भू-खण्ड इक्यावन रुपये प्रति भू-खण्ड के रियायती मूल्य पर आवंटित किये गये थे और प्रत्येक से ग्यारह रुपये कालेज भवन निर्माण के लिए जन सहयोग के रूप में अतिरिक्त प्राप्त किये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना तत्कालीन उपजिलाधीश की सहमति से बनाई और क्रियान्वित की गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त 600 भू-खण्डों के बायीं पट्टे भी ग्राम पंचायत विजयनगर द्वारा 1974 में जारी कर दिये गये हैं किन्तु अब तक भी उक्त सभी 600 भू-खण्डों के कब्जे नहीं दिये गये हैं और न भवन निर्माण की इजाजत दी जा रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार अजमेर जिले की नून्दरी मेहदरातान, नून्दरी भादातान और देलवाड़ा ग्राम पंचायतों द्वारा भी कमजोर वर्ग के सैकड़ों भूमि-

(श्री नूरा)

हीन लोगों को पट्टे दिये गये थे जिन्हें मकान बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कमजोर वर्ग के उक्त लोगों को कब तक उक्त भू-खण्डों का कब्जा और मकान बनाने की इजाजत दे रही है ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व ग्राम पंचायत विजयनगर ने दिनांक 22–7–72 को अनुसूचित जाति, जन जाति, खेतीहर व औद्योगिक मजदूर, 250 रुपये से कम मासिक आमदनी वाले व्यक्ति व 500 रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले राजकीय कर्मचारी जो गत तीन वर्ष से विजयनगर में रह रहे हों उनके आवासीय भवन निर्माण हेतु पावर हाउस की तरफ आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित कराकर 50 फीठ लम्बा व 40 फीट चौड़ा भू-खण्ड 51 रुपये में देने की एक योजना बनाई थी।

(2) जी नहीं। केवल 476 भू-खण्ड 51 रु. प्रत्येक भू-खण्ड की दर से आवंटित किये गये थे। जिसमें से 421 व्यक्तियों से प्रति व्यक्ति 11 रु. के हिसाब से 4,631 रुपये चन्दे के रूप में कालेज भवन निर्माण हेतु कालेज भवन निर्माण समिति द्वारा प्राप्त किये गये थे।

(3) जी हां। उप जिलाधीश, ब्यावर ने कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करके ग्राम पंचायत विजयनगर को इस शर्त पर सुपुर्द की थी कि कुल भूमि का 1/3 भाग केवल कृषि मजदूर, कम आय वाले अन्य मजदूर व राज्य कर्मचारियों को आवंटित की जावेगी।

(4) जी नहीं। 462 भूखण्डों का विक्रय नियम विपरीत पाये जाने से अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 2–12–72 को उपरोक्त 462 भूखण्डों के विक्रय को निरस्त करने के आदेश दे दिये थे और सरपंच ग्राम पचायत, विजयनगर को इन भू-खण्डों को नियमानुसार नीलाम करके विक्रय करने के आदेश दिये थे। तत्पश्चात विजयनगर ग्राम पंचायत का क्षेत्र नगरपालिका में परिवर्तित हो जाने पर नगरपालिका विजयनगर ने जनवरी, 76 से लेकर अब तक 117 भूखण्ड कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किये हैं। जिन्हें भवन निर्माण कार्य की इजाजत दी जा रही है।

(5) जी नहीं। ग्राम पंचायत नून्दरी मेहुदराताम ने चरागाह की भूमि पर 292 भूखण्ड भूमि विक्रय संबंधी नियमों के विपरीत व पंचायत क्षेत्र के बाहर के लोगों को विक्रय किये थे। जिन्हें जिलाधीश, अजमेर ने दिनांक 12–11–75 को निरस्त कर दिया है। ग्राम पंचायत देलवाड़ा ने 851 व्यक्तियों को भूमि विक्रय संबंधी नियमों के विपरीत व अधिकांश धनी व्यक्तियों को एवं एक ही परिवार के अलग 2 सदस्यों के नाम भू-खण्ड विक्रय करके पट्टे दिये थे इन्हें भी जिलाधीश, अजमेर ने दिनांक 12–11–75 को निरस्त कर दिया है। कमजोर वर्ग के 117 व्यक्तियों को तो नगरपालिका, विजयनगर द्वारा भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। अन्य कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के भी भूखण्ड आवंटन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें भी नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने की यथाशीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-9-77)

लालगढ़-मलोट सुरक्षा रोड में आई भूमि का मुआवजा

382. श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़)–क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लालगढ़-मलोट सुरक्षा रोड (डिफेन्स रोड) में आने वाली भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सुरक्षा विभाग तो पैसे देने के लिए तैयार है तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की लापरवाही से किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क किसानों की खड़ी फसलों में से निकाली गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही जब तक गजट में नहीं निकलती, मुआवजा नहीं दिया जाता ?

(5) क्या यह सही है कि लालगढ़ पंचायत की भूमि सड़क में आने की वजह से परेशानी हो रही है क्योंकि पंचायत समिति पहले मुआवजा मांग रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही पूरी नहीं होने के कारण मुआवजा अभी नहीं दिया गया।

(2) यह सही नहीं है।

(3) सड़क का कार्य सुरक्षा विभाग एवं किसानों की पारस्परिक सहमति से चालू किया गया था। सड़क में आने वाली भूमि का कब्जा सुरक्षा विभाग को जिलाधीश ने अभी तक नहीं दिया है।

(4) यह सही है कि मुआवजे का चुकारा अवाप्ति की कार्यवाही में अवार्ड होने पर ही किया जा सकता है।

(5) ग्राम पंचायत लालगढ़ की 5।।) बीघा आबादी भूमि भी सड़क में आती है। परन्तु पंचायत द्वारा इस भूमि की कीमत का अग्रिम चुकारा करने हेतु मांग नहीं की गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

60. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में अब तक कुल कितनी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें, अकाल राहत योजना (प्लान) डी. पी. ए. पी. एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कब कब स्वीकृत की गई हैं ? प्रत्येक योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची मय जनसंख्या, प्रत्येक की स्वीकृत राशि एवं अब तक के व्यय का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में कितनी कम्पलीट हो चुकी हैं और बाकी योजनाओं की क्या प्रगति है ? प्रत्येक का अलग से विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(3) जिन योजनाओं का कार्य अधूरा है उनके लिये इस वर्ष 77-78 में क्या प्रावधान रखा गया है ? प्रत्येक योजना का अलग से विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त योजनायें कब तक कम्पलीट कर दी जायेंगी ?

(4) वे कौनसी ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें हैं जिनका सर्वे हो चुका है और जिनकी अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है ? उनकी सूची मय गांवों के जो उन योजनाओं में सम्मिलित किये गये हैं सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त सर्वे शुदा योजनाओं की कब तक स्वीकृति दी जायगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह प्रश्न एक की सूची में दिखाया जा चुका है।

(3) यह भी प्रश्न एक की सूची में दिखाया गया है। यह लक्ष्य जल की उपलब्धि के अनुसार पूरे किये जा सकेंगे।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) यह योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार व जल की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जावेंगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली के रैगरों के बास में सार्वजनिक नल की व्यवस्था

62. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले के जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा जो पानी सप्लाई किया जाता है, उसका उपयोग रैगरों के बास में रहने वाले अनुसूचित जाति के रैगर लोग इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके मोहल्ले में सार्वजनिक नल नहीं है और जो सार्वजनिक

(श्री शंकरलाल)
नल बहुत दूरी पर मोहल्ले के बाहर हैं, वहां इतनी भीड़ रहती है कि इन लोगों को पानी नहीं मिल पाता ?

(2) क्या विभाग द्वारा जल्दी ही सरकारी नीति के अनुकूल इन रेंगर जाति के लोगों के मोहल्ले में नल लगवाने की व्यवस्था की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रेंगर मोहल्लों में एक सार्वजनिक नल है जिस पर भीड़ रहती है।

(2) जी हां। तखमीना बनाकर समाज कल्याण विभाग को प्रमाणित करने हेतु भेजा जा रहा है उनका अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्य करवाया जावेगा।

दुग्ध अवशीतन केन्द्र, मेड़ता सिटी

63. श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मेड़ता सिटी जिला नागौर दुग्ध अवशीतन केन्द्र को कार्य करते कितने वर्ष हो गये हैं ?

(2) इस अवशीतन केन्द्र पर दुग्ध लाने हेतु कितने वाहन लगे हुए हैं तथा कितने रास्ते (रूट) बनाए गये हैं ? हर रास्ते पर कितनी दुग्ध सहकारी समितियां पड़ती हैं ? प्रति रूट (रास्ते) की कितनी-कितनी लम्बाई है ? क्या दूध सुबह और शाम, दोनों समय लाया जाता है या एक समय ? प्रति समिति से हर माह कितना दूध प्राप्त होता है ? एक वर्ष के आंकड़े नीचे बताइ गयी तालिका में बनाकर सदन की मेज पर रखें :

रूट नं.	दुग्ध सहकारी समिति का नाम	अवशीतन केन्द्र में सहकारी समिति की दूरी	प्रति माह दुग्ध की प्राप्ति के. जी. में	दुग्ध दोनों समय या एक समय
1	2	3	4	5

(3) यदि दुग्ध लाने वाला वाहन किसी कारणवश दुग्ध लेने के लिए न पहुंचे तो दुग्ध को अवशीतन केन्द्र तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है ? ऐसे में होने वाला नुकसान कौन भुगतता है, सहकारी समितियां या अवशीतन केन्द्र ?

(4) क्या इस अवशीतन केन्द्र पर जिले से बाहर के गांवों से भी दूध लाया जाता है ? यदि हां, तो कौन-कौन से जिलों के कितने गांवों से ?

(5) क्या कारण है कि गांवों से दूध लाने के लिए चयन करते समय पास के गांवों को छोड़ दिया जाता है ?

उत्तर

(1) लगभग 2 वर्ष में

(श्री शंकरलाल)

(2) मेड़ता कुचेरा, मुन्डेल, मेड़ता, आड़ीघाटी व मेड़ता-रोटू तीन मार्ग हैं जिन पर 3 वाहन लगी हुई हैं। इन रास्तों पर क्रमश: 16,10 व 8 समितियां हैं, व इनकी लम्बाई (आने-जाने की दूरी) क्रमश: 225, 158 व 204 कि.मी. है। मेड़ता-कुचेरा-मुन्डेल मार्ग से दोनों समय, मेड़ता-रोटू मार्ग से एक समय व मेड़ता-आड़ीघाटी मार्ग के 4 गांवों से एक समय व 7 गांवों से दोनों समय दुग्ध संकलन किया जाता है। वाञ्छित कालम में आंकड़े सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) व्यवस्था करना परिवहन ठेकेदार की जिम्मेदारी है। व्यवस्था नहीं करने पर ठेकेदार से नुकसान की पूर्ति की जाती है। सहकारी समिति एवं अवशीतन केन्द्र दोनों ही नुकसान नहीं भुगतते हैं।

(4) जी नहीं।

(5) यदि किसी पास के गांव में निर्धारित संख्या में दुधारु पशुओं की संख्या, बिक्री के लिये उपलब्ध दूध की मात्रा, परिवहन व्यवस्था व सहकारिता में आस्था आदि बातों की पूर्ति नहीं हो तो उसे छोड़ दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टौंक में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

64. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होस्टल में कितने बच्चे रहते हैं?

(2) इस पर क्या खर्च आता है?

(3) इस होस्टल में क्या और सीटें बढ़ाने का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(1) टौंक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास की स्वीकृत छात्र संख्या 50 है।

(2) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी टौंक के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के दो राजकीय छात्रावास, जिनकी स्वीकृत छात्र संख्या 110 है, पर वर्ष 1976-77 में 1,27,000 रुपये व्यय हुए हैं।

(3) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी टौंक से इस छात्रावास में 20 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

पाली तहसील के देवालय

66. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील के मार्फत जिन देवस्थान के देवालयों को मासिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है, उन देवालयों के

(श्री शंकरलाल)

महन्तों अथवा पुजारियों को गत वर्ष अर्थात् 1977 मार्च तक की मासिक सहायता अभी तक नहीं मिल पाई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

(2) ऐसे देवालयों के महन्तों अथवा पुजारियों को अब गत वर्ष की मासिक सहायता कब तक दे दी जायगी और भविष्य में समय पर सहायता मिल सके इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पाली तहसील के देवस्थानों के पुजारी एवं महन्तों को मासिक सहायता की रकम का चुकारा गत वर्ष का नहीं हुआ था। इसमें कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर की जिम्मेदारी है जिसके लिये जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(2) मन्दिरों के पुजारियों को गत वर्ष का चुकारा इसी माह सितम्बर, 77 में करा दिया जावेगा और भविष्य के लिये उचित व्यवस्था कर दी जावेगी जिससे पेमेन्ट समय पर होता रहेगा।

प्रति व्यक्ति आय

67. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य की पिछले दस वर्षों में भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य एवं अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का विवरण संलग्न है।

प्रचलित कीमतों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति आय

(रुपयों में)

राज्य	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
आन्ध्र प्रदेश	387	445	500	495	521	585	628	654	840	1003
आसाम	399	अप्राप्त	अप्राप्त	514	491	528	538	610	614	776
बिहार	332	314	391	376	403	426	440	489	604	718
गुजरात	498	564	654	606	696	842	788	719	1034	अप्राप्त
हरियाणा	450	608	713	635	811	845	928	989	1174	1217
जम्मू एण्ड कश्मीर	317	409	499	446	497	524	572	601	720	836
कर्नाटक	386	418	451	483	495	530	540	587	704	784
केरल	380	399	469	496	542	586	572	647	785	अप्राप्त
मध्य प्रदेश	305	338	464	430	475	490	535	578	734	830
महाराष्ट्र	534	610	676	700	752	799	834	855	1080	1251
उड़ीसा	329	395	435	464	491	493	487	584	701	707
पंजाब	532	702	805	878	938	986	1035	1125	1393	1482
राजस्थान	373	452	514	414	497	623	559	579	780	819
तामिलनाडू	403	463	481	499	536	618	688	730	870	942
उत्तर प्रदेश	373	431	491	453	487	504	520	634	707	817
पश्चिमी बंगाल	532	584	659	660	702	742	797	787	944	1041

स्रोत : राज्यों के सांख्यिकी विभाग ।

स्थिर (1960-61) कीमतों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)

राज्य	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
आन्ध्र प्रदेश	276	281	295	276	283	310	314	287	325	330
आसाम*	265	अप्राप्त	अप्राप्त	272	271	270	271	278	280	280
बिहार**	221	188	202	205	206	426	432	418	421	425
गुजरात	375	375	401	364	389	439	419	327	391	327
हरियाणा	319	343	399	354	429	441	441	426	425	421
जम्मू कश्मीर	232	265	278	276	289	292	296	301	319	327
कर्नाटक X	243	260	273	283	289	306	301	294	307	327
केरल	261	268	279	286	291	297	302	302	301	अप्राप्त
मध्य प्रदेश	217	208	260	238	247	255	264	249	256	253
महाराष्ट्र	386	397	408	423	425	427	432	408	442	463
उड़ीसा**	239	253	245	262	261	493	444	475	490	439
पंजाब	378	396	437	452	472	471	472	477	492	496
राजस्थान	262	269	316	249	271	353	303	274	308	279
तामिलनाडू	317	321	329	329	335	359	373	368	374	326
उत्तर प्रदेश	252	227	243	241	263	269	252	261	250	254
पश्चिम बंगाल	397	383	384	385	392	382	390	370	372	383

स्रोत : राज्यों के सांख्यिकी विभाग

* 1948-49 कीमतों पर आधारित है।

** 1970-71 एवं अग्रिम वर्षों के अनुमान 1970-71 कीमतों पर आधारित हैं।

X 1956-57 कीमतों पर आधारित है।

मलारना चोड की भूमि

69. श्री गोविन्द सहाय (गंगानगर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिला बोली तहसील के मलारना चोड़ में श्री प्रकाश सोनी को कितनी भूमि अलाट हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री प्रकाश सोनी न सवाई माधोपुर जिले में रहता है न बोली तहसील में ? यदि हां, तो ऐसे बाहर के लोगों को भूमिहीन बनाकर भूमि क्यों अलाट की है ?

(3) क्या इस तरह के गलत अलाटमेंट करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का राज्य सरकार का इरादा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि मलारना चोड़ में भूमिहीन हरिजन नहीं हैं ?

(5) क्या यह सही है कि प्रकाश सोनी स्वयं काश्तकार नहीं है ?

(6) क्या यह सही है कि श्री सोनी जयपुर तथा अजमेर का निवासी है ?

(7) क्या राज्य सरकार इस तरह के गलत अलाटमेन्ट को समाप्त करके भूमिहीनों को जमीन अलाट करेगी ?

उत्तर

(1) श्री प्रकाश सोनी के तहसील बोली के ग्राम मलारना चोड़ में 16 बीघा भूमि अलाट की गई।

(2) श्री प्रकाश सोमी ने आवेदन-पत्र में अपना पता गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर का दिया था। उसे भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु) सिंचाई योजना नियम, 1968 के नियम 18 के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्णयनुसार आदर्श कृषि फार्म स्थापित करने हेतु दिया गया था।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) यह सही नहीं है।

(5) श्री प्रकाशचन्द्र सोनी को भूमि का आवंटन उनके इस प्रार्थना-पत्र पर किया गया था कि हाई वह ब्रिड बीज लगा कर आदर्श कृषि फार्म अपने जिले में लगाना चाहते हैं।

(6) आवंटी श्री सोनी जयपुर का निवासी है लेकिन आवेदन-पत्र उन्होंने मार्फत श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल, एम.एल.ए., गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर से दिया था।

(7) आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति से किया गया है।

सिंचाई योजनाओं पर व्यय

70. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं पर अलग अलग पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं में कितना प्रावधान रखा गया और कितनी–कितनी राशि व्यय हुई ? प्रत्येक पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) उक्त सिंचाई योजनाओं पर रख रखाव की कितनी राशि पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं पर व्यय हुई ? प्रत्येक के अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त सिंचाई योजनाओं से राज्य को विभिन्न पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं में लगान एवं बैटरमेंट लेवी के रूप में कितनी आय हुई ? प्रत्येक के अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान प्रान्त में मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर अलग अलग पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं में रखे गये प्रावधान एवं व्यय की सूचना निम्न प्रकार है:—

(लाख रुपये में)

पंचवर्षीय योजनाएं	वृहद सिंचाई योजनाएं		मध्यम सिंचाई योजनाएं		लघु सिंचाई योजनाएं	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना	2230.00	1843.55	754.00	536.64	175.00	106.62
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1771.00	2852.35	722.00	489.41	276.00	166.96
तृतीय पंचवर्षीय योजना	7728.00	5811.60	692.00	685.27	195.00	327.25
वार्षिक योजना	2457.00	3545.14	132.00	178.26	213.00	313.25
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	7899.00	9831.18	1197.00	706.04	700.00	633.05
पंचम पंचवर्षीय योजना	10970.00	11105.05 (1976-77 तक व्यय)	2425.00	840.00	750.00	503.78 (1976-77 तक खर्चा)

(2) सिंचाई योजनाओं पर पंचवर्षीय योजनाओं में रख-रखाव के लिये निम्न प्रकार से व्यय किया गया है :– (लाख रुपये में)

पंचवर्षीय योजनाएं	वृहद् सिंचाई योजनाएं	मध्यम सिंचाई योजनाएं	लघु सिंचाई योजनाएं
प्रथम पंचवर्षीय योजना	6.19	38.53	75.25
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	64.30	38.44	137.63
तृतीय पंचवर्षीय योजना	134.24	93.72	162.15
वार्षिक योजना	161.55	92.44	122.89
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	425.05	239.94	373.15
पंचम पंचवर्षीय योजना (1976–77 तक)	271.93	72.45	478.30

(3) उक्त सिंचाई योजनाओं से निम्न प्रकार से आय हुई:—
(लाख रुपयों में)

पंचवर्षीय योजनाएं	वृहद् योजनायें		मध्यम सिंचाई योजनाएं	लघु सिंचाई योजनाएं
	सुधार कर	सम्पूर्ण आय सुधार कर के अलावा		
प्रथम पंचवर्षीय योजना	--	0.14	143 76	44.53
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	0.15	39.20	216.70	106.96
तृतीय पंचवर्षीय योजना	48.92	128.28	253.42	174.66
वार्षिक योजनाएं	87.96	270.06	178.94	113.86
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	136.10	420.02	442.84	285.14
पंचम पंचवर्षीय योजना	111.05	733.95	542.89	364.13

नोट–सुधार कर केवल वृहद् योजनाओं पर ही लागू है, अन्य पर नहीं ।

नर्मदा नदी योजना विवाद

71. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 'नर्मदा नदी योजना' विवाद की ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई की क्या स्थिति है तथा इस पर कब तक निर्णय होने की आशा है ?

(2) 'ट्रिब्यूनल' के समक्ष राजस्थान राज्य द्वारा क्या मांग रखी गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) नर्मदा योजना विवाद के सम्बन्ध में गठित नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष इस समय तक चारों सम्बन्धित राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं । वर्तमान में पुन: प्रस्तुतीकरण एवं प्रथम दौर में उठाये गये विषयों के उत्तर हेतु गुजरात राज्य अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है । तत्पश्चात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान भी अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है और यह सम्भव नहीं है कि न्यायाधिकरण का निर्णय होने में कितना समय लगेगा ।

(2) न्यायाधिकरण नर्मदा नदी पर प्रस्तावित नवगांव बांध की जल ग्रहण क्षमता, बांध का अधिकतम जल स्तर एवं बांध से निकलने वाली नहर का पूर्ण जल विवरण के बारे में निर्माण अपेक्षित है। राजस्थान ने मांग की है कि प्रस्तावित नहर का पूर्ण जल स्तर कम से कम 300 हो ताकि नहर में प्रत्येक 12000 फीट पर एक फुट के ढलान के अनुसार राजस्थान की सीमा पर नहर में पानी का स्तर + 141 उपलब्ध हो सके जिसमें राजस्थान के जालोर जिले में 3,33,000 एकड़ एवं बाड़मेर जिले में 70,000 एकड़ कुल 4,03,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके । राजस्थान को नर्मदा से 5 लाख घनफीट पानी प्राप्त होना नियत है और इस पानी से उपरोक्त क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा । यदि नहर राजस्थान की सीमा पर + 141 से किसी भी नीचे के स्तर पर आये तो यह सिंचाई पूर्ण रूप से सम्भव नहीं होगी ।

राजस्थान ने न्यायाधिकरण के समक्ष यह भी निवेदन किया है कि प्रस्तावित नवगांव बांध पर 50% निर्भरता के आधार पर लगभग 56 लाख एकड़ फीट अतिरिक्त पानी की मात्रा उपलब्ध है, जब कि नवगांव बांध योजना 75% निर्भरता के आधार पर बनाई गई है, इस प्रकार जब तक नव गांव के ऊपर स्थित योजनाओं पर सिंचाई की सघनता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती तब तक भी नव गांव बांध पर पानी की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध रहेगी और अतिरिक्त मात्रा पर राजस्थान राज्य का उचित अधिकार है ।

माही नदी योजना से सिंचाई

72. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माही नदी योजना का जो अंतिम रूप स्वीकृत किया गया है उसके अन्तर्गत

(श्री गंगाराम चौधरी)
जिला बाड़मेर एवं जालौर को कितना-कितना पानी प्रति वर्ष उपलब्ध होगा और उससे कितनी-कितनी भूमि सिंचित होगी ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत इन जिलों में नहरों का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो सकेगा ?

(3) यदि यह योजना नर्मदा नदी योजना पर निर्भर हो तो किस सीमा तक और किन शर्तों पर है ?

उत्तर

(1) माही बजाज सागर परियोजना के वर्तमान स्वीकृत प्रतिवेदन में बाड़मेर एवं जालौर जिलों में सिंचाई हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) माही बजाज सागर योजना नर्मदा नदी योजना पर निर्भर नहीं है। माही नदी पर गुजरात राज्य क्षेत्र में बनाये जाने वाले कड़ाना बांध योजना का नर्मदा योजना से सम्बन्ध है।

ग्राम उतावली में तालाब का सर्वे

73. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद तहसील जिला कोटा के ग्राम उतावली के पास राज्य सरकार द्वारा कभी तालाब बनाने का सर्वे कराया गया था ?

(2) यदि हां, तो कब और अब इस बारे में राज्य सरकार की क्या कार्यवाही रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सर्वेक्षण 1966–67 में कराया गया था। वर्तमान में योजना के प्राक्कलन को आज की दरों के अनुसार पूर्ण किया जा रहा है।

जालौर जिले में बाढ़ से क्षति

74. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) जिला जालौर में पांच वर्ष पूर्व बाढ़ के समय जो जो गांव बाढ़ में नष्ट हो गये उनकी रिहायशी का राज्य सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है तथा कितने नये गांव बसाये गये ?

(2) क्या वह जमीन आबादी में परिवर्तित हुई और उन सभी काश्तकारों को मकान के पट्टे प्राप्त हुये ?

(3) क्या जालौर नगर के आस पास उजड़े काश्तकारों को बसाया गया या नहीं ?

(4) ग्राम वेदाणा, लेटा, सामतीपुरा, नवाखेड़ा जालौर का गोडीजी के पास के क्षेत्र में बसे मकानों का यदि नियमन हो गया है, तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला जालौर में पांच वर्ष पूर्व सन् 1973 में बाढ़ के समय ग्राम लेटा, सामतीपुरा, नवाखेड़ा, बेदाणा व ऊनड़ी बाढ़-ग्रस्त हुए हैं तथा ग्राम बाली एवं धुम्बड़िया आंशिक रूप से नष्ट हो गये हैं। इन ग्रामों में से ग्राम लेटा, ऊनड़ी, धुम्बड़िया एवं बाली नये गांव बसाये गये हैं।

(2) इन ग्रामों में से ग्राम ऊनड़ी, सामतीपुरा एवं बाली की जमीन आबादी में परिवर्तित की जा चुकी है। ग्राम लेटा धुम्बड़िया एवं बेदाणा को आबादी में परिवर्तन की कार्यवाही जारी है। आबादी में परिवर्तित भूमि में पट्टे देने की कार्यवाही जारी है।

(3) जालौर नगर के आसपास उजड़े काश्तकारों को गोडी जी के मन्दिर के पास बसाया गया है।

(4) ग्राम बेदाणा लेटा, सामतीपुरा एवं नवाखेड़ा क्षेत्र में मकानों का अभी तक नियमन नहीं हुआ है। गोडी जी के पास के क्षेत्र में बसे मकानों का नियमन किया जा चुका है।

गांव फीला का तालाब

75. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील के गांव फीला में एक तालाब को 5 वर्ष पहले बनाया गया है? यदि हां, तो यह कितना बड़ा तालाब है और इससे कितने बीघा में सिंचाई होती है और इससे क्या आमदनी होती है?

(2) उक्त तालाब को बनाने में किन-किन किसानों की कितनी कितनी भूमि डूब में आई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) डूब में आने के बाद भी कितने किसानों की अलग भूमि में पेटा काश्त होता है और उससे कितना लाभ हो रहा है?

(4) ऐसी कितनी जमीन किन-किन काश्तकारों की आज तक है जो जमीन हमेशा पानी की डूब में रहती है और वे आज तक पेटा काश्त नहीं कर पा रहे हैं?

(5) ऐसे किसान कितने हैं जिनकी भूमि पर तालाब बनने के पश्चात् बराबर नुकसान खेती नहीं होने से हो रहा है और सरकार ने अब तक उनको क्या हर्जाना या एवजाना देने की सोची है?

(6) क्या राज्य सरकार अब भी उन किसानों को एवजाना में जमीन और काश्त का हर्जाना देने की सोच रही है? अगर हां, तो राज्य सरकार कब तक क्या-क्या किस-किस को कहां-कहां देगी?

उत्तर

(1) जी हां। फीला तालाब फीला गांव में बनाया गया है जिसकी कुल जल संग्रह क्षमता 48 एम. सी. एफ. टी. है। उसके एवज में अभी तक बांध की ऊंचाई के हिसाब से सिर्फ 30 एम. सी. एफ. टी. जल संग्रह किया जाता है। आज तक 2:6 बीघा की सिंचाई हो चुकी है और ज्यादा से

(सिंचाई मंत्री)

ज्यादा वार्षिक आमदनी 1620 रुपया हुई है।

(2) सूची नं. 1 संलग्न है।

(3) तहसील गिरवा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 14 खातेदारान की 70/17 विस्वा भूमि डूब में आती है जिसमें 6 खातेदारों की 23 बीघा भूमि मे जो कि पहाड़ियां हैं उन पर पहले भी घास पैदा होती थी। अब भी घास पैदा हो रही है। इसका लाभ डूब में आने के बाद भी काश्तकार ले रहे हैं। (सूची नं. 2 संलग्न है)

(4) सूची नं. 3 संलग्न है।

(5) ऐसे कुल काश्तकार 13 हैं जिनकी जमीन डूब में रहती है और जिसका रकबा 47/17 विस्वा है। इस तालाब का कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत कराया गया था और उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मुआवजा चुकाने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए जिन-जिन लोगों की जमीन डूब में आई है उन काश्तकारों को जमीन के बजाय जमीन देने की कार्यवाही तहसील में जारी है।

(6) तहसील द्वारा इन किसानों को जमीन के बजाय जमीन देने की कार्यवाही की जा रही है जो प्रगति पर है।

सूची उन आसामीयान की जिनकी जमीन फीला तालाब की डूब में आई है।

सूची नं. 1

क्र. सं.	नाम काश्तकार	रकबा		विशेष विवरण
		बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5
1.	श्री कालीया पिता रूपा मीणा सा. देह मु. बी.क. रंगलाल पिता जीतमल महाजन सा. बबोरा	11	18	
2.	श्री हेमला पिता भेरा मीणा सा. देह मु.बी.क. रंगलाल पिता जीतमल महाजन सा. बबोरा	5	6	
3.	श्री हेमला पिता भेरा 7।16 कालीया पिता रूपा 7।16 लखमा पिता दोला 1।8 मीणा सा. देह मु.बी.क. रंगलाल पिता जीतमल महाजन सा. बबोरा	–	3	
4.	हेमला पिता भेरा 1।2 कालीया पिता रूपा 1।2 मीणा सा. देह	2	3	
5.	भेरा पिता देवा मीणा सा. देह	1	12	
6.	श्री लखमा उदा नाथा पिता मगा मीणा सा. देह	4	7	
7.	भेरा पिता रूपा रावत सा. देह	1	10	
8.	मगा पिता मना मीणा सा. देह गै.खा	4	–	
9.	श्री नगा पिता पेमा मीणा सा. देह	1	9	
10.	रूपा नगा खेमा भीमा पिता पेमा 1।2 लखमा पिता दोला 1।2 मीणा सा. देह	2	4	
11.	जगा खेमा काना बाला पिता तेजा मीणा सा. देह म.बी.क. भगवती लाल पिता केसरीमल महाजन सा	10	12	

Page No.143

1	2	3	4	5
	बबोरा। जगा खेमा कानावाला पिता तेजा मीणा सा. देह।			
12.	श्री रूपा खाना कुवा पिता दौला मीणा सा. देह रूपा खाना कुवा पिता दौला मीणा सा. देह म.बी.क. भगवती लाल केसरी मल महाजन सा. बबोरा	4	16	
13.	लखामा पिता दोला मीणा सा. देह	1	10	
	मेरा पिता रूपा मीणा सा. देह	3	—	
14.	श्री काना पिता धन्ना मीणा सा. देह म.बी.क. रंगलाल पिता जीतमल महाजन सा. बबोरा।	6	7	
		70	17	
15.	बिलानाम सरकार	67	15	
	कुल योग	138	12	

Page No.144

सूची उन आसामीयान को जिनकी जमीन डूब में आते हुए भी लाभ ले रहे हैं। सूची नं. 2

क्र. सं.	नाम काश्तकार	रकबा		विशेष विवरण
		बीघा	बिस्वा	
1.	श्री कालीया पिता रूपा मीणा सा. देह	7	1	
2.	श्री रूपा कुवा पिता दोला नवला मगा पिता खाना मीणा सा. देह	1	–	
3.	श्री मेगा पिता लखमा उदा नाथा पिता नगा मीणा सा. देह	1	16	
4.	श्री भेरा पिता देवा मीणा	7	13	
5.	मगा पिता नन्नदा मीणा	4	–	
6.	श्री मेरा चौणा पिता रत्ता मीणा	1	10	
	कुल योग	23	–	

सूची नं. 3

सूची उन आसामीयान की जिनकी जमीन बराबर डूब में रहती है उनका कोई लाभ नही रहा है

क्रम सं.	नाम काश्तकार	रकबा		विशेष विवरण
		बीघा	बिस्वा	
1.	श्री कालीया पिता रूपा मीणा सा. देह	4	17	
2.	श्री हेमला पिता भेरा मीणा सा. देह	5	6	
3.	श्री हेमला पिता भेरा 7।16 कालीया पिता रूपा 7।16 लखमा पिता दोला 1।8 मीणा सा. देह	–	3	
4.	हेमला पिता भेरा 1।2 कालीया पिता रूपा 1।2 मीणा सा. देह	2	3	
5.	भेरा पिता देवा मीणा सा. देह	3	19	
6.	श्री लखमा उदा नाथा पिता मगा मीणा सा. देह	2	11	
7.	श्री नगा पिता पेमा मीणा सा. देह	1	9	
8.	श्री रूपा नगा खेमा मीणा पिता पेमा 1।2 लखमा पिता दोला 1।2 मीणा सा. देह	2	4	
9.	जगा खेमा काना वाला पिता तेजा मीणा सा. देह	10	12	
10.	श्री रूपा खाना सुआ पिता धौला मीणा सा. देह	3	16	
11.	लखमा पिता दोला मीणा सा. देह	1	10	
12.	भेरा पिता रूपा मीणा सा. देह	3	–	
13.	काना पिता धन्ना मीणा सा. देह	6	7	
	कुल योग	47	17	

कडाणा बांध से इमारतों को खतरा

76. श्री मन्ज़ूर अली (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर की तहसील सागवाड़ा में बांध कडाणा के पानी के फैलाव के कारण दरगाह सईदी फखरुद्दीन शाहिद व मन्दिर शीतला प्रसाद की इमारतों को खतरा हो गया है? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इन इमारतों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किये हैं और क्या वह इकदाम पर्याप्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि बांध कडाणा से प्रभावित होने वाले ग्राम गलियाकोट की आबादी को वहां से 25 मील दूर सागवाड़ा कोलोनी में बसाया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि दरगाह के करीब 100 बीघा जमीन पर्याप्त होने के बावजूद ग्रामवासियों को 25 मील दूर बसाया जा रहा है?

(4) दरगाह के करीब मुफ्त की सिवाई चक जमीन होने के बावजूद 25 मील दूर मावजे से खरीद हुई जमीन में क्यों बसाया जा रहा है?

(5) क्या ग्राम गलियाकोट के उजड़े हुए घरानों को मुआवजा देने का फैसला इमर्जेन्सी में किया गया है?

(6) क्या कुछ फैसले एक साथ किए गए हैं? यदि हां, तो कितनी मिसलों में फैसले एकतरफा किये गये?

(7) क्या मौजूदा सरकार इन फैसलों को उचित समझती है और अजशुद नजरसानी की आवश्यकता नहीं समझती?

(8) क्या सागवाड़ा कालोनी में जबरदस्ती बसाने पर भी गलियाकोट के निवासियों से 7500/– रुपये कीमत क्वार्टर वसूल की जा रही है?

(9) क्या इन क्वार्टरों में से कुछ तो पहली बारिश में ही गिर गये हैं?

(10) क्या ग्राम गलियाकोट के निवासियों को केवल इस कारण मुआवजा नहीं दिया गया कि उन्होंने भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को चांदी में तोलने के लिए इन्कार कर दिया था?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) गलियाकोट कस्बे के अधिकांश विस्थापितों को नई सागवाड़ा कालोनी में, जो कि गलियाकोट कस्बे से 12 मील दूर है वहां पर बसाया जा रहा है।

(3) दरगाह के समीप जुड़ तलाई में 67–11 बीघा भूमि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 42 (150) राज।ग्रुप-3।77 दिनांक 23–4–77 से मुक्त हुई उसमें से कुल 234 विस्थापित दाउदी बोहरा सम्प्रदाय के परिवारों को ही आवासीय भू-खण्ड आवंटन किये जा सके हैं व अब कोई रकबा वहां आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है।

(4) कस्बा गलियाकोट के विस्थापित परिवारों के प्रतिनिधियों की राय के अनुसार विस्थापितों को नई सागवाड़ा कालोनी जो कि 12 मील की दूरी पर है वहां पर बसाने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त

(सिंचाई मंत्री)

कृषक विस्थापितों को ग्राम चीतरी तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार बोहरा सम्प्रदाय के विस्थापितों को जुइ तलाई के समीप सीय भू-खण्डों का आवंटन किया गया है।

(5) यह फैसला राजस्थान सरकार एवं गुजरात सरकार के मध्य भारत सरकार की मध्यस्थता से दिनांक 2-9-76 को हुआ था।

(6) जी हां। नियमानुसार नोटिस तामील होने के मौजूद प्रार्थियों के पेशी पर न आने से 1 / मिसलों पर एक तरफा फैसले किये।

(7) जी हां। कोई भी पार्टी कानून के तहत अपना रिव्यू प्रस्तुत कर सकती है।

(8) जी नहीं।

(9) जी हां। माह नवम्बर, 76 में 383 मकान निर्माणाधीन थे। दिनाक 22-11-76 को भारी वर्षा के कारण 20 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे जिन्हें वर्षा के उपरान्त तुरन्त ठीक करवा दिया गया।

(10) राज्य सरकार के पास भूतपूर्व मुख्य मंत्री को चांदी से तोलने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। गुजरात सरकार से हुए समझौते द्वारा प्राप्त राशि से गलियाकोट के विस्थापितों को मुआवजा लगभग चुका दिया गया है। केवल कुछ मामले जिन पर एतराज हैं वे ही विचाराधीन हैं और उन पर भी अंतिम फैसला शीघ्र कर दिया जायेगा।

रायपुर बांध से सिंचाई

77. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले के रायपुर बांध की ऊंचाई कितनी है और उससे कितने क्षेत्रफल में कहां कहां सिंचाई होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस बांध के निर्माण होने से जैतारण तहसील के गांव आगेवा, देवरीया, पाटवा आदि गांवों में लूनी नदी का जो पानी जाकर कुवों को भर देता था, उस पानी से यह और अन्य कई गांव वंचित रह गये हैं ?

(3) क्या सरकार अब इन गांवों के हित में रायपुर बांध की ऊंचाई अधिक नहीं बढ़ाने का निर्णय लेगी ?

(4) क्या सरकार गांव आगेवा व जैतारण के अन्य गांवों में रायपुर बांध का पानी नहरों के द्वारा पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले के रायपुर लूणी बांध की ऊंचाई 17 फीट है (मोरी के तल से पूर्ण भराव स्तर तक) । इस बांध का कमाण्ड क्षेत्र 5,692 एकड़ है। नामवार कमाण्ड क्षेत्र की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई समस्या प्रतीत नहीं होती है।

(3) बांध की ऊंचाई को अभी बढ़ाया जाना विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रायपुर लूनी बांध का ग्रामवार सिंचित योग्य क्षेत्र की सूची

1.	रायपुर	3081 एकड़
2.	बर	20 ,,
3.	थिराटियां कल्ला	807 ,,
4.	बोगासनी	332 ,,
5.	लिलम्बा	1232 ,,
6.	निम्काज	220 ,,
		5692 ,,

अतिवृष्टि से जैतारण तहसील की सड़कों को क्षति

78. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में जैतारण तहसील मुख्यालय से 'देवरिया' व जैतारण से 'पाटवा' की सड़कें जो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई थीं इस वर्ष अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण बहुत क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इसी प्रकार गांव देवरिया से पाटवा की सड़क भी बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है ?

(2) क्या सरकार इन सड़कों के पुनः निर्माण (मरम्मत) कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन सड़कों के पुनर्निर्माण (मरम्मत) हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

उत्तर

(1) जी हां । जैतारण से पाटवा सीधी सड़क है व इसी सड़क के बीच गांव देवरिया स्थित है जो अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बनी थी । इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण ये सड़क कहीं कहीं से क्षतिग्रस्त हो गई हैं ।

(2) इस सड़क की मरम्मत हेतु लगभग 1,40,000) रु. की आवश्यकता होगी । इस सम्बन्ध में अभी जिलाधीश का विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । जिलाधीश से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(3) उत्तर ऊपर दिया जा चुका है ।

लघु सिंचाई योजनायें

79. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्यपाल के अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि राज्य में लघु सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया जावेगा ?

(2) उक्त घोषणा के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा कौन कौन सी लघु सिंचाई योजनायें बनाई जा रही हैं और उनसे कितनी भूमि सिंचित होगी और कितना लाभ होगा ? सूचीमय आंकड़ों के सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित लघु सिंचाई कार्यों की सूचियां संलग्न हैं ।

(1) निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाओं की सूची

(सिंचाई एकड़ों में)

क्र.सं.	नाम योजना (सिंचाई)	जिला	अनुमानित सिंचाई
1	2	3	4
1.	खटका	कोटा	680
2.	कन्याखेडी	भीलवाड़ा	1167
3.	जोगनियामाता	चित्तौड़गढ़	68
4.	भाट	उदयपुर	112
5.	बनोकड़ा	,,	112
6.	देवपुरा	सवाई माधोपुर	2080
7.	महेशरा	जयपुर	290
8.	धारापुरा	भरतपुर	490
9.	केर	,,	675
10.	जगपुरा	बांसवाड़ा	520
11.	शम्भूसागर	बून्दी	543
12.	सरोला	झालावाड़	964
13.	बागदेव	कोटा	175
14.	रामपुरा	कोटा	315
15.	केशरा	झालावाड़	98
16.	देवरिया	भीलवाड़ा	520
17.	अनवासा	,,	753
18.	माण्डल	,,	1786
19.	टिकोरा	,,	375
20.	मोड़िया महादेव	चित्तौड़गढ़	794
21.	डमोचा	उदयपुर	157
22.	गागरी	,,	1532
23.	भैरुडा	सवाई माधोपुर	529
24.	बन्दवासा	,,	676
25.	रैड़िया	जयपुर	936
26.	कार्बान	भरतपुर	290
27.	राता की खास	,,	250
28.	लाम्बाडाबरा	बांसवाड़ा	425
29.	श्योदरा	टोंक	1255
30.	शिवदानपुरा	टोंक	748

Page No.151

1	2	3	4
31.	अभयपुरा	बून्दी	1195
32.	बरधा कैनाल	बून्दी	496
33.	नारायण खेड़ा	कोटा	785
34.	दामती कोकड़ा	भीलवाड़ा	1512
35.	देवरिया	चित्तोडगढ़	1334
36.	सिलीवेरी	अलवर	2446
37.	हरसोरा	"	2176
38.	शिरोली	"	537

छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित नई लघु सिंचाई योजनाएं

क्र.सं.	योजना/कार्य का नाम	जिला	अनुमानित वार्षिक सिंचाई (एकड़ों में)
1	2	3	4
1.	ठीकरिया	झुन्झुनू	257
2.	मुडावरा	,,	85
3.	चौकरी	,,	155
4.	जोखुला जोधपुला	,,	10
5.	पालडिया	,,	7
6.	बाना	,,	70
7.	कालोता	,,	20
8.	खरखर	,,	430
9.	सोखानागल	सीकर	1200
10.	डूंगोली	झुन्झुनू	400
11.	नयापुरा	,,	200
12.	नूरेपुरा (नवलगढ़ का खाला)	,,	1200
13.	कोट (लोवर)	सीकर	300
14.	टोरपुरा (कृष्णावली)	,,	700
15.	थूना	सीकर	80
16.	खोरखोर	,,	60
17.	रतनकावास	अलवर	100
18.	वारीपुरा	,,	40
19.	नाथुका (लोवर)	,,	130
20.	नाथुका (अपर)	,,	140
21.	मई	,,	90
22.	भूंडां (बांरा)	,,	100
23.	लैंडोबा	,,	1170
24.	बास साबपुरा	,,	1600
25.	नानपुर	,,	120
26.	नईगाव	,,	900
27.	इन्दुपुरा	,,	1000
28.	नायारो	,,	450
29.	विलासपुरा (बाण गंगा)	,,	550
30.	मारजीनल बांध,	भरतपुर	
31.	चोई बाढ नियंत्रण	जयपुर	1600

1	2	3	4
32	हिनोई	अलवर.	1800
33.	फलाईला	जयपुर	1000
34.	करसोडा	भरतपुर	400
35.	करवाई	,,	700
36.	मंदार (पारवती)	सवाई माधोपुर	1500
37.	कांसापहाड़ी	भरतपुर	200
38.	बूदाहिपारा	,,	1500
39.	बाराखेरा	,,	1000
40.	नालंदा	अजमेर	380
41.	पीपलू	जयपुर	1400
42	सङ्रामपुर	जयपुर	400
43.	रापूला	जयपुर	800
44.	रूंधार	जयपुर	1500
45.	बूदलो	जयपुर	2000
46.	काडराना	जयपुर	800
47.	खातोली	सवाई माधोपुर	1000
48,	मैनाकीपुर	,,	1000
49.	बोडडा	टोंक	80
50.	टाटोली	सवाई माधोपुर	350
51.	लक्ष्मनपुर	,,	300
52.	सिरोयो	टोंक	500
53.	अमरगढ़	सवाई माधोपुर	400
54.	खोह	,,	750
55.	बांसरी	,,	500
56.	रेस्ट आफ भोजपुर टैंक	भीलवाड़ा	56
57.	टिलोली	,,	450
58.	श्योनगर	,,	800
59.	दौलतपुर	,,	400
60.	सीतानीयर बलेरीया	,,	535
61.	सीता नीयर दतमारिया	,,	900
62.	गोराश	,,	400
63.	सीता नीयर खाली	,,	850
64.	डगारिया	,,	210

1	2	3	4
65.	मनघोला		42
66.	कंपीयो	उदयपुर	250
67.	वालाखेट	,,	500
68.	मनानीखेडा	,,	300
69.	लिलाद	,	200
70.	इदरा	चित्तौड़	350
71.	मंडोली	,,	700
72.	बरसुजपुरा	,,	800
73.	पांडोली	,,	300
74.	सोगामपुरा	,,	100
75.	मुरली	भीलवाड़ा	350
76.	बरोलयास	,,	200
77.	रांडोला	,,	350
78.	श्योदानपुरा	कोटा	1000
79.	ईन्द्रानी	कोटा	1500
80.	देवलीसाईट	कोटा	
81.	गोकापुरा	बून्दी	
82.	वीरयालाल	,,	120
83.	गोलीपुरा	,,	1000
84.	बाकीयाखुर्द		215
85.	कोटी	बून्दी	65
86.	बिसोलिया	भीलवाड़ा	240
87.	मानदेव	,,	130
88.	शंकरगढ़	,,	1500
89.	हाथीपुरा साइट	बून्दी	25
90.	कुनवारपुर	,,	15
91.	गणेश गंज साइट	,,	45
92.	कालदा साइट	,,	20
93.	छतरगंज	कोटा	750
94.	बहुमदी	,,	220
95.	ओटाओली टैंक	,,	500
96.	उशांदा		50
97.	दोवनपुरा		90
	पीपलाज	झालावाड़	2250

1		3	4
99.	रिजोन	झालावाड़	100
100.	कुन्दी का तालाव	डूंगरपुर	220
101.	मंजोला	,,	200
102.	सिलूमान	उदयपुर	200
103.	चोरंरा	बांसवाड़ा	900
104.	कोटरी	,,	180
105.	पथपरा	,,	120
106.	बारा मैन का नाका	डूंगरपुर	730
107.	सिमरिया	,,	310
108.	दोली	,,	360
109.	पलगादव	,,	46
110.	नेबारा	,,	824
111.	वथनी	,,	300
112.	अथोनी	उदयपुर	1000
113.	वरोदी	,,	154
114.	जराव	नागौर	607
115.	कुरा	,,	117
116.	गुड़ा	,,	450
117.	सलानचक्र	,,	200
118.	लोमार तालाब	,,	60
119.	लाघोली	,,	158
120.	गांथिया	,,	250
121.	पाड़ली सिंचाई योजना	,,	200
122.	रोदू	पाली	774
123.	गोंड़च	,,	730
124.	नाडोल	,,	880
125.	पालडी	जालोर	200
126.	पालड्न नडेशन	,,	88
127.	ढेलोरी	पाली	192
128.	फालपुर	जालोर	868
129.	मोटागांव	सिरोही	1336
130.	कालन्दरी	सिरोही	470

1	2	3	4
131.	बोलदरतालाब	सिरोही	660
132.	सुमवार	,,	330
133.	बिलार	,,	132
134.	मंडावरा	,,	1085
135.	बाघोली	,,	200
136.	थाल	,,	150
137.	थाडली	,,	200
138.	घांनदोरा	,,	500
139.	करोनीघाज	,,	325
140.	मनाइनाला	,,	1110
141.	सांगरानिखेरी	,,	120
142.	मंदारनाल II	,,	1200
143.	मिरक	जालोर	1560
144.	केरू	,,	220
145.	लैंडवानाला	अलवर	90
146.	योसबंद	,,	1000
147.	खानपुर	,,	1200
148.	मिर्जापुर	,,	330
149.	रूपवास	,,	30
150.	चिरोचाना	,,	30
151.	रघुनाथपुरा	,,	30
152.	जाजोर का नाका	,,	100
153.	करोली का नाका	,,	128
154.	खोह का नाका	,,	68
155.	रामगढ़ बाढ नियंत्रण	सीकर	
156.	सूरतसागर	भीलवाड़ा	80
157.	अंजूदा	,,	80
158.	पाडिया	,,	80
159.	चातियागुजरी	,,	100
160.	खासरोल	,,	40
161.	मूडिया	,,	180
162.	किशनगढ़	,,	175
163.	चौपरियास	,,	100
164.	खेरी	,,	115

Page No.157

1	2	3	4
165.	लूहारिया	चित्तौड़गढ	400
166.	रिडियारी सिघियारी	,,	200
167.	वालोता की खारी	,,	80
168.	बानजारनगढ़	,,	180
169.	गूगली की फुट	उदयपुर	51
170.	चंदन सागर	,,	15
171.	राजनगर लिफ्ट	,,	119
172.	सुखार का नाका	,,	118
173.	ओबरा	,,	19
174.	बेटरी	,,	16
175.	जिरीफरी	,,	119
176.	मुरवानिया	बांसवाड़ा	90
177.	गोरचा	,,	80
178.	कामलीपुरा	,,	62
179.	बोरिदानपुरा	,,	180
180.	चापरिया	,,	84
181.	नालदा	,,	40
182.	महुपुरा	,,	100
183.	शेरगढकुन्ता	,,	280
184.	पिपलान	,,	52
185.	गोयाकाप्रसाद	,,	39
186.	केशरा	झालावाड़	272
187.	वेनियागा	,,	
188.	हुटबाडी	कोटा	84
189.	इन्द्रानी	,,	411
190.	रूप की खाल	,,	58
191.	बिन्द्रारी	,,	40
192.	ऐनीकट	,,	30
193.	बाकिया	,,	40
194.	अनुपुरा	,,	230
195.	सूंघटा	टोंक	181
196.	अकोडिया	,,	94
197.	शाहपुरा	भरतपुर	80

Page No.158

1	2	3	4
198.	माड़ूपुरा	भरतपुर	44
199.	बावड़	जयपुर	70
200.	दातिलका नाका	,,	52
201.	छतरपुरा	,,	40
202.	सुकलावास	,,	20
203.	विधून	,,	80
204.	बाहेरीपुरा	सीकर	465
205.	अमलारी	सिरोही	22
206.	बनवारिया	,,	235
207.	सिगटोली	सवाई माधोपुर	56
			योग:—84,010

ओवरसियरों के तबादले

80. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर वृत्त द्वारा जून 74 से जुलाई 77 तक कुल कितने तबादले ओवरसियरों के किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि एक ओवरसियर के एक साल में कई तबादले किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या आधार और औचित्य है ?

(3) इन तबादलों से राजकीय कोष पर कितना व्यय भार पड़ा है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। तबादले प्रशासनिक सुविधा एवं जनहित को दृष्टिगत करते हुए किए गये।

(3) इन तबादलों से राजकीय कोष पर जो व्यय भार पड़ा उसकी खण्डवार सूची संलग्न है।

जयपुर सिचाई वृत्त में 1974 से 1977 तक ओवरसियरों के तबादलों की सूची

क्र. सं.	आदेश सं. व दिनांक	कनिष्ठ अभियन्ता का नाम
1	2	3
1.	सी/स्टेनो/2289 दि. 22 3-74	1. श्री बलजीत सिंह 2. श्री आर. पी. कथुरिया 3. श्री राधारमण शर्मा
2.	,, 2234 ,, 30-3-74	1. श्री बलजीतसिंह 2. श्री जगमोहन नाथ
3.	,, 75 ,, 10-4-74	1. श्री जगमोहन नाथ 2. श्री एम. एम बेग
4.	,, 92 ,, 16-4-74	1. श्री पी. डी. आहूजा 2. श्री निरंजनसिंह 3. श्री एन. के. जैन 4. श्री बनवारी लाल गुप्ता
5.	,, 173 ,, 24-4-74	1. श्री मिट्ठनलाल जैन 2. श्री वाई. पाम्पन 3. श्री महावीरसिंह 4. श्री एम. एम. बेग 5. श्री एन. के. कार
6.	,, 245 ,, 7-5-74	1. श्री एल. के. अग्रवा 2. श्री महावीर सिंह
7.	,, 315 ,, 9-5-74	1. श्री आई. सी. राजवशी 2. श्री वी. वीमटाई
8.	,, 1 ,, 13-5-74	1. श्री एल. आर. कालरा 2. श्री आर. एस. सिरोही 3. श्री जे. एस. सक्सेना 4. श्री एन. पी. सिंह 5. श्री यू. सी. राजपूत 6. श्री एस. एस. विश्नोई

1	2	3
9. सी/स्टेनो	383 दिनांक 20-5-74	1. श्री राधारमण
		2. श्री एन. के. कासलीवाल
10. ,,	465 ,, 9-6-74	1. श्री एम. एम. बेग
		2. श्री ओ. पी. वर्मा
11. ,,	544 ,, 21-6-74	1. श्री एल. के. अग्रवाल
		2. श्री वी. एम. पंवार
12. ,,	590 ,, 2-7-73	1. श्री गोपी चन्द चांदव
13. ,,	742 ,, 14-8-74	1. श्री जी. एन. कपूर
		2. श्री ओ. पी. वर्मा
14. ,,	755 ,, 14-8-74	1. श्री एन. एन. कुबुशिया
		2. श्री रामभरोसे लाल
15. ,,	879 ,, 6-9-74	1. श्री घासीराम गढ़वाल
		2. श्री विजय चन्द गुप्ता
16. ,,	1004 ,, 19-9-74	1. श्री एल. के. अग्रवाल
		2. श्री ओमप्रकाश
17. ,,	1054 ,, 8-10-74	1. श्री एम. के. मित्तल
18. ,,	1134 ,, 22-10-74	1. श्री आई. डी. शर्मा
		2. श्री चुन्नीराम
		3. श्री ओ. पी. पाटनी
		4. श्री महेश कुलश्रेष्ठ
19. ,,	1436 ,, 31-12-74	1. श्री आई. सी. राजवंशी
		2. श्री ओ. पी. वर्मा
		3. श्री महावीरसिंह चौधरी
		4. श्री ओ. पी. सोनी
		5. श्री राधारमण शर्मा
		6. श्री बी. एम. पंवार
20. ,,	1443 ,, 8-1-75	1. श्री भगवती लाल अग्रवाल
		2. श्री एम. के शर्मा
21. ,,	1468 ,, 13-1-75	1. श्री प्रमोदकुमार अग्रवाल
22. ,,	1649 ,, 5-2-75	1. श्री एन. सी. सारस्वत
		2. श्री बी. के. अग्रवाल

1	2	3
		3. श्री लान सिह्
		4. श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता
		5. श्री एल.आर. कालरा
		6. श्री निरन्जन सिह्
23. सी/स्टेनो	1762 दिनांक 10-3-75	1. श्री मक्खन लाल जैन
24. ,,	1923 ,, 31-3-75	1. श्री एम. के. शर्मा
		2. श्री वासुदेव वर्मा
25. ,,	140-41 ,, 19-4-75	1. श्री अनिल प्रकाश राय
		2. श्री ओ.पी. खतेरिया
		3. श्री महेश कुलश्रेष्ठ
		4. श्री बलजीत सिह्
		5. श्री मक्खन लाल जैन
		6. श्री टी.आर. सिंघवी
		7. श्री चन्द्र मोहन सिंह
		8. श्री आई.डी. शर्मा
26. ,,	439 ,, 14-7-75	1. श्री जी.एन. कपूर
		2. श्री ओ.पी. पाटनी
27. ,,	598 ,, 9-7-75	1. श्री रघुबीर सिह्
		2. श्री एन.के. जैन
28. ,,	625 ,, 14-7-75	1. श्री एन.के. जैन
		2. श्री के.पी. चोपड़ा
29. ,,	771 ,, 4-8-75	1. श्री वासुदेव वर्मा
		2. श्री एम.के. शर्मा
30. ,,	872-79 ,, 16-8-75	1. श्री बलजीत सिह्
31. ,,	754 ,, 1-8-75	1. श्री अनिल कुमार तोमर
		2. श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता
		3. श्री निरंजन सिंह
		4. श्री आर.एस. सिरोही
32. ,,	1054 ,, 6-9-75	1. श्री बी. बी. मटाई
		2. श्री एस. के. अग्रवाल
		3. श्री नसीब अली

1	2		3
सी।स्टेनो	1054	दिनांक 6-9-75	4. श्री महेश कुमार कुलश्रेष्ठ
			5. श्री जगमोहन नाथ शर्मा
33.	,, 1365	,, 9-10-75	1. श्री ओ. पी. पाटनी
			2. श्री मदनलाल शर्मा
34.	,, 10365-66	,, 11-12-75	1. श्री बी. बी. मटाई
			2. श्री श्रीनाथ गुप्ता
			3. श्री निरंजन सिंह
			4. श्री बृज मोहन पंवार
			5. श्री ए. बी. राय
			6. श्री एन. के. जैन
			7. श्री ओ. पी. पाटनी
35.	,, 11211-21	,, 27-12-75	1. श्री जे. एस. चौहान
			2. श्री ओ. पी. वर्मा
			3. श्री डी. एल. गुप्ता
36.	,, 58-68	,, 17-1-76	1. श्री ओ. पी. पाटनी
			2. श्री जी. एन. कपूर
37.	,, 260-61	,, 25-2-76	1. श्री जी. एम. कपूर
			2. श्री बी. एस. माथुर
			3. श्री एन. सी. अवस्थी
			4. श्री नसीद अली
			5. श्री चन्द्र मोहन सिंह
			6. श्री पी. सी. गोयल
38.	,, 529	,, 29-3-76	1. श्री जी. एन. कपूर
39.	,, 950	,, 14-6-76	1. श्री के. पी. चोपड़ा
40.	,, 5025-80	,, 15-6-76	1. श्री वाई. सी. पालीवाल
			2. श्री मक्खनलाल जैन
41.	,, 1114	,, 2-7-76	1. श्री मक्खनलाल जैन
42.	,, 1002	,, 24-6-76	1. श्री जगमोहन नाथ शर्मा
			2. श्री महेश कुलश्रेष्ठ
43.	,, 1452-61	,, 13-9-76	1. श्री चन्द्र मोहन सिंह
44.	,, 1545-51	,, 8-10-76	1. श्री बी. बी. मटाई

1	2		3
45.	सी॰स्टेनो 1568	दिनांक 25-10-76	1. श्री अशोक गुप्ता
			2. श्री बाबूलाल शर्मा
			3. श्री के. सी. सैनी
			4. श्री हरी ओम शर्मा
			5. श्री पी. एन. बन्सल
46.	,, 1641	,, 17-11-76	1. श्री गोपीचन्द यादव
			2. श्री जे. सी. गर्ग
47.	,, 3780-86	,, 30-11-76	1. श्री एस. एस. विश्नोई
48.	,, 732	,, 18-12-76	1. श्री वी. वी. भटाई
49.	,, 1694	,, 6-12-76	1. श्री वाई. यापन
50.	,, 766	,, 11-1-77	1. श्री गोपीचन्द यादव
			2. श्री जे. सी. गर्ग
51.	,, 1602-17	,, 21-1-77	1. श्री परमाल सिंह
			2. श्री ओ. पी. कथूरिया
			3. श्री वी. वी. भटाई
52.	,, 2064-75	,, 20-6-77	1. श्री वी. के. गुप्ता
			2. श्री निरंजनसिंह
			3. श्री दामोदरलाल गुप्ता
53.	,, 2078-92	,, 8-7-77	1. श्री वी. के. गुप्ता
			2. श्री एस. एस. विश्नोई
			3. श्री एल. आर. कालूरा
			4. श्री अनिल कुमार तोमर

वर्ष 1974 से 1977 तक जयपुर सिचाई वृत्त में ओवरसियरों के तबादले पर व्यय की गई राशि की खण्डवार सूची

1.	जयपुर सिंचाई खण्ड	रु.	407.60
2.	अलवर सिंचाई खण्ड	रु.	2226.36
3.	भरतपुर सिंचाई खण्ड	रु.	1099.48
4.	सवाई माधोपुर खण्ड	रु.	5483.16
		कुल रुपये	9216.60

उदयपुर डिवीजन में नये आयुर्वेद औषधालय

81. **श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर** (कपासन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य सरकार उदयपुर डिवीजन में कौन से गांवों में नये आयुर्वेद औषधालय खोलने जा रही है या खोलने की आज्ञा प्रदान कर चुकी है ? सूची गांववार व तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा औषधालय खोलने का क्या क्राइटेरिया बनाया गया है ?

(3) पंचायत समितियों द्वारा कहां कहां दवाखाना खुलवाने की मांग आई है ?

(4) क्या नई राज्य सरकार द्वारा इसके संबंध में कोई माप-दण्ड बनाया गया है कि औषधालय के लिये गांव वालों को इतने मील से दूर नहीं जाना पड़ेगा ?

उत्तर

(1) उदयपुर डिवीजन के उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, व बांसवाड़ा जिलों में खोले गये इस वर्ष के औषधालयों की सूची संलग्न है।

(2) नवीन औषधालय खोलने का निम्न निर्धारित मापदण्ड वर्तमान में प्रचलित है:–

(1) औषधालय हेतु निःशुल्क भवन व्यवस्था,

(2) ग्राम की आबादी कम से कम 1000 होना,

(3) ग्राम एवं ग्राम के आस पास 8 कि.मी. के क्षेत्र में अन्य कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना,

(4) वैद्य एवं अन्य औषधालय स्टाफ हेतु आवास व्यवस्था का होना।

(3) उदयपुर डिवीजन में जहां जहां से औषधालय खोलने की मांग आई उसकी सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं।

उदयपुर डिवीजन में नवीन औषधालय खोलने हेतु प्राप्त मांगों की सूची

उदयपुर जिला

क.सं.	ग्राम का नाम	क.सं.	ग्राम का नाम
1	2	1	2
1.	जैतगढ़	2.	एठोड़ा
3.	जसवंतगढ़	4.	कमाज
5.	अमरपुरा	6.	रावलिया खुर्द
7.	ताव	8.	दानेर
9.	गोगुन्दा	10.	माना
11.	पाडावणी	12.	गोरवण
13.	ढोल	14.	बेगडूबा
15.	मथारिया	16.	जराना
17.	कालादेह	18.	कुकर खेड़ा
19.	ठिकरवास खर्द	20.	दीलाडी
21.	नवागांव	22.	बिझोटी

भीलवाड़ा जिला

1.	गुलाबपुरा	2.	उमेआई
3.	मानणिया	4.	रोवड़ा
5.	आमसीर	6.	सीनवियाबास
7.	कथिया खुर्द	8.	रबाडेरी
9.	सोमा का खेड़ा	10.	सेम्बाड़िया
11.	राहूजी	12.	बाजका
13.	बोंछान (बीरखाज)	14.	बोसियापुरा
15.	करोनिया घाटी	16.	हेनाबा
17.	बाबड़ो	18.	धागोलिया
19.	भोजपुरा	20.	छागबा
21.	खटखाड़ा	22.	रचिवास
23.	लेरिया	24.	डाबला सोबा
25.	मोहनपुरा	26.	एहुड़
27.	डोसर	28.	काजी खतना
29.	भोजरास		

बांसवाडा जिला		चित्तौडगढ़ जिला	
1.	बोलडो	1.	कूथाना

1	2	1	2
डूंगरपुर जिला		चित्तौड़गढ़ जिला	
		2.	कपासन
1.	दाहेता	3.	सुरपुर
2.	भाबरा	4.	राजी खेडी
3.	कांठस	5.	संभावली
4.	सामलिया	6.	नरडिया
		7.	तमेतकली
		8.	समरथने
		9.	सांगरिया
		10.	घरखेडा
		11.	गदुड़ा